RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

पॉलिसी वॉच

प

वॉल्यूम 10 अंक 1
जनवरी 2021 नयी दिल्ली

शासन और विकास

इस अंक में

सुनने की कमी
- अरुण मायरा

महामारी में ग्रामीण जीवन - कुली संघ की एक ग्राउंड रिपोर्ट
- राम एस्टेव्स ADATS बागपल्ली

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोज़गार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की समीक्षा
- अर्नब बोस

किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, मीडिया का रोल और सरकार की नीयत दोनों ठीक नहीं, किसान और मजबूत होंगे
- डॉ राजाराम त्रिपाठी, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासंघ

विश्व सामाजिक मंच (WSF)2021

RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

पॉलिसी वॉच

वॉल्यूम 10, अंक 1
जनवरी 2021, नयी दिल्ली

शासन और विकास

इस अंक में

सुनने की कमी
- अरुण मायरा

महामारी में ग्रामीण जीवन - कुली संघ की एक ग्राउंड रिपोर्ट
- राम एस्टेव्स ADATS बागपल्ली

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रोज़गार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की समीक्षा
- अर्नब बोस

किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, मीडिया का रोल और सरकार की नीयत दोनों ठीक नहीं, किसान और मजबूत होंगे
- डॉ राजाराम त्रिपाठी, अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासंघ

विश्व सामाजिक मंच (WSF)2021

संपादकीय

राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान (RGICS) पाँच विषयों पर काम करता है:

1. संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थान
2. शासन और विकास
3. रोज़गार के साथ विकास
4. पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और स्थिरता
5. विश्व में भारत का स्थान

हम निम्नलिखित में से प्रत्येक विषय पर क्रमिक रूप से मासिक पॉलिसी वॉच लाते हैं जिसका प्रत्येक छठा अंक एक विशेष अंक होता है, जिसमें हम प्रत्येक विषय से कुछ खास लेख लेते हैं। यह अंक शासन और विकास विषय पर आधारित है।

योजना आयोग के पूर्व सदस्य अरुण मायरा अपने पहले लेख में "सुनने की कमी" के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। वह आगे कहते हैं कि "भारत को (और दुनिया को भी) जिन मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है, उसमें "कोई तकनीक नहीं" है। यह उन लोगों को सुनने की प्रक्रिया है जो हमारे जैसा नहीं सोचते हैं। अन्य दृष्टिकोणों को सुनकर हम उस प्रणाली को समझेंगे जिसके हम सभी एक छोटे हिस्से हैं... हम एक-दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, और फिर हम सभी के लिए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं।

पॉलिसी वॉच के जून 2020 के अंक में हमने बैंगलोर-हैदराबाद राजमार्ग पर स्थित ADATS (कृषि विकास और प्रशिक्षण समिति) बागपल्ली के Ram Esteves द्वारा योगदान किए गए एक अंश को प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा का एक चश्मदीद गवाह के बारे में वर्णन था, जब वे बैंगलोर से पैदल चलकर अपने गृह राज्य (गाँव घर) आए थे। परन्तु इस अंक में हम एक दूसरा लेख लेकर आए हैं, जहाँ Ram Esteves ने विस्तार से वर्णन किया है कि महामारी और तालाबंदी के दौरान बागपल्ली के आसपास के गाँवों में क्या हुआ था।

तीसरा लेख हाथ से मैला उठाने वाले मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की RGICS के वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी अर्नब बोस द्वारा की गयी समीक्षा है। इसमें हम 2004-2013 दशक में अधिनियमित किए गए सामाजिक कानून के पूरे समूह की स्थिति की समीक्षा करने वाले लेखों की श्रृंखला जारी करते हैं। जैसा कि हमने पहले के मामलों में देखा है, अधिनियमन और उसे स्वीकार करने में हम अत्यधिक प्रगतिशील थे, लेकिन यह कमजोर पड़ा है और कार्यान्वयन की स्थिति में गंभीर रूप से क्षीण हुआ है।

चौथा और पाँचवाँ लेख लगभग तीन महीने से चल रहे किसानों के विरोध पर आधारित है। जिसमें पहला, नेशनल हेराल्ड से दोबारा लिया गया है और इसमें पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री, श्री पी चिदंबरम और अनुभवी कार्यकर्ता पत्रकार पी. साईनाथ द्वारा की गई टिप्पणियाँ हैं। लेख के अंत में मुंबई की पत्रकार सुजाता आनंदन की छोटी-सी पोस्ट इसके गूढ़ विवरण के लिए पढ़ने योग्य है कि कैसे निजी खिलाड़ियों में विश्वास को झुठलाया जा सकता है। अगला लेख अखिल भारतीय किसान महासंघ के अध्यक्ष डॉ. राजाराम त्रिपाठी द्वारा हिंदी में दिए गए एक साक्षात्कार में है जो यह बताता है कि 26 जनवरी को जो हुआ उसकी न तो सरकार की कार्रवाई से और न ही मीडिया की रिपोर्टिंग से कोई फर्क पड़ेगा बल्कि किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत ही होगा।

पॉलिसी वॉच का यह अंक महीने के आखिरी दिन तैयार किया गया था क्योंकि हम 30 जनवरी 2021 को अपनाए गए सामाजिक शांति और पर्यावरण आंदोलनों की सभा से की गयी घोषणा को हाल ही में संपन्न विश्व सामाजिक मंच (WSF) 2021 में ले जाना चाहते थे।

हमें उम्मीद है कि ये लेख पाठकों को दिलचस्प लगेंगे और नीति निर्माता कुछ पाठों का उपयोग, लोगों की भागीदारी के साथ बेहतर नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए करेंगे।

विजय महाजन

निदेशक - राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान

विषय सूची

संपादकीय........ 2
सुनने की कमी........ 5
महामारी में ग्राम जीवन - कुली संघों की एक ग्राउंड रिपोर्ट........ 7
1.0 परिचय........ 8
1.1 कृषि विकास और प्रशिक्षण समिति........ 8
1.2 कुली संघ क्या है?........ 8
2.0 संवर्ग की बैठकें........ 9
3.0 महामारी........ 10
3.1 कोरोना-वायरस........ 10
3.2 कोविड-19 केस........ 11
3.3 स्वास्थ्य सेवाएँ........ 14
4.0 लॉकडाउन........ 15
4.1 मौत की छाया........ 15
4.2 धन........ 15
4.3 घर वापसी........ 16
4.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन की दुकानें........ 17
5.0 फसल और खेती........ 17
5.1 फसल बरबाद होना........ 17
5.2 मातम........ 18
5.3 देशी मवेशी........ 18
5.4 कीट और रोग........ 19
5.5 परिवहन........ 19
5.6 कृषि के काम में महिलाएँ........ 20
6.0 बच्चों की स्कूली शिक्षा........ 20
6.1 सरकारी स्कूलों में प्राथमिक बच्चे........ 21
6.2 कार्य योजना........ 23
6.3 प्राइवेट स्कूलों में प्राथमिक बच्चे........ 24
6.4 हाई स्कूल में बड़े बच्चे और कॉलेज में युवा........ 26
7.0 महात्मा गांधी - राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम........ 27
8.0 कुली संघ........ 28
मैला ढोने वालों के रूप में रोज़गार के निषेध की समीक्षा और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013........ 30
1.0 परिचय........ 30
2.0 एक संक्षिप्त इतिहास........ 30
3.0 हाल का परिदृश्य........ 32
4.0 हाथ से मैला उठाने वालों के संरक्षण के लिए राज्यों का हस्तक्षेप........ 33

4.1 संवैधानिक सुरक्षा के उपाय....33
4.2 विधायी प्रावधान....33
4.3 सरकारी आयोग....34
4.4 सरकारी योजनाएँ....34
5.0 न्यायिक स्थिति....35
6.0 अधिनियम 2013....36
6.1 मुख्य विशेषताएँ....36
7.0 महत्वपूर्ण मुद्दे....38
9.0 सिफारिशें....39
10.0 परिणाम....40
11.0 संदर्भ....40
किसान विरोध क्यों कर रहे हैं?....43
मीडिया का भूमिका और सरकार की नीयत दोनों ठीक नहीं, किसान और मजबूत होंगे....47
आदिवासियों और अन्य परंपरागत वननिवासियों पर "कृषि कानूनों" के प्रभाव....48
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून....49
कृषि बाज़ारों / मंडियों / हाटों का निजीकरण....49
क्या "न्याय तक पहुँच" (access to justice) खतरे में हैं?....50
अनुचित व्यापार (unfair trading) के कारण स्थानीय हाट की अस्थिरता....50
खाद्य असुरक्षा के लिए कानून....51
खाद्य असुरक्षा एवं जन-वितरण प्रणाली (PDS) प्रणाली की तबाही....51
क्या ये कानून पैसा और वन अधिकार कानून के अंतर्गत प्रदान किये गए संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा?....52
हमें क्या करना चाहिए?....53
किसान....53
विश्व सामाजिक मंच (W.S.F) 2021 सामाजिक, शांति व पर्यावरण आंदोलनों की सभा से घोषणा....55
संस्थाएँ....58
केवल व्यक्ति की पहचान के उद्देश्यों के लिए संगठन....58
घोषणा करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त दस्तावेज....59
विश्व सामाजिक मंच 2021 के लिए यूरोपीय/प्राग स्प्रिंग दिसंबर 5 - 6 मोबिलाइजिंग मीटिंग का वक्तव्य....60
हम आवश्यकता का दावा करते हैं :....60

सुनने की कमी

- अरुण मायरा

डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थकों द्वारा अमेरिका की राजधानी (यूएस कैपिटल) पर हमले पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "गैरकानूनी विरोध के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।" इसी बीच हजारों किसान भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास कड़ाके की ठंड में डेरा डाले हुए हैं। वे वहाँ देश की चुनी हुई संसद में चर्चा के बिना सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों में संशोधन का शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। वे देश के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने की धमकी देते हैं लेकिन तब भी उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं। दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में ये विरोध वैश्विक लोकतांत्रिक उद्यम के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े करते हैं।

एक "वैध" विरोध क्या है? यह कौन निर्धारित करता है कि विरोध का उद्देश्य वैध है? और विरोध के कौन से तरीके वैध हैं? ऐसे प्रश्नों पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संसद (or Congress), के भीतर चर्चा की जानी चाहिए, और यदि निर्वाचित संस्थाएँ कार्य नहीं करती हैं, तो क्या लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए? उन्हें विरोध करना चाहिए, भले ही अहिंसक तरीके से ही हो, या जैसे शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी थे, जिससे कि उनके विरोध को भारतीय किसानों के रूप में सुना जा सके।

सरकार को सलाह देने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि वे किसानों के साथ चर्चा के लिए तैयार हैं, बशर्ते चर्चा "सबूत-आधारित" हो। जो और भी सवाल खड़े करता है। कि सबूत के लिए क्या साक्ष्य चाहिये क्या आवश्यक है? साक्ष्य के रूप में क्या स्वीकार्य है? क्या महत्वपूर्ण है? इसके बारे में विशेषज्ञों के अपने वैज्ञानिक मॉडल (विचार) हैं। किसानों को उनका अपना अनुभव है कि क्या मायने रखता है। विशेषज्ञ अधिक कठिन डेटा चाहते हैं। जबकि सरकार की नीयत पर किसानों का अविश्वास उनके अनुभव पर आधारित है, जिसमें सुधारों को उन पर थोपने का तरीका भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए, जिसका वे विरोध करते हैं।

हर जगह उदारवादी लोग निरंकुश नेताओं के उदय से खतरा महसूस कर रहे हैं। चुने हुए नेता कह सकते हैं कि वे लोगों के लिए काम करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। हालाँकि, जो विशेषज्ञ उन्हें सलाह देते हैं, वे लोगों को उनके वैज्ञानिक मॉडल में केवल संख्याओं के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें इस रूप में अशिक्षित जनता के रूप ही देखते भी हैं जब नेता समाधान के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, तो निर्वाचित नेताओं पर भरोसा टूट जाता है। जब नेता समाधान के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों पर जरूरत से अधिक भरोसा करते हैं, तो निर्वाचित नेताओं पर जनता का भरोसा टूट जाता है। जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थान काम कर रहे हैं, उस पर नागरिकों के अविश्वास की वैश्विक लहर पर ट्रम्प उठे। भले ही ट्रंप गिर गए हों, लेकिन फिर भी उदारवाद की लहर थमी नहीं है। यह मानवीय स्थिति में सुधार की नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अब तक दो परियोजनाओं - चुनावी लोकतंत्र की परियोजना और वैज्ञानिक तर्कसंगतता की परियोजना की विफलता के कारण बढ़ी है।

अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों द्वारा भारत सरकार से आर्थिक सुधारों को मजबूती से लागू करने का आग्रह किया जा रहा है। लेकिन जो लोग लक्षित लाभार्थी हैं, वे इन सुधारों से आश्वस्त नहीं हैं, जैसा कि किसान कह रहे हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी इस सुधारों से आपस में सहमत नहीं हैं उनका कहना कि क्या ये सुधार सही हैं। भारतीय अर्थशास्त्री हाल के वर्षों में कर मामलों आदि में अपने निर्णयों के साथ अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय ने "हस्तक्षेप" करके उनकी आलोचना की है। इस पर अर्थशास्त्री कहते हैं कि उनके पास आर्थिक नीतियों के लिए आवश्यक विशेषज्ञता की कमी है। अत: कृषि सुधारों के गतिरोध में फँसी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करने देना चाहती है कि क्या किया जाना चाहिए। क्या यह स्वीकार नहीं है कि सरकार और इसे सलाह देने वाले अर्थशास्त्रियों के पास लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है?

मानव अधिकारों के विचार का विस्तार करना लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र इस अहसास से गहरा होता है कि जो शासन करते हैं उनके पास हमेशा उन लोगों की तुलना में अधिक शक्ति होती है जिन पर वे शासन करते हैं। किसानों पर बड़प्पन; रंगीन लोगों पर गोरे लोग; निचली जातियों पर ऊँची जातियाँ; श्रमिकों पर नियोक्ता; महिलाओं के ऊपर पुरुष आदि। हाल के वर्षों में दुनिया भर में अनियंत्रित पूँजी की प्रगति ने जीवन की सुगमता के बजाय व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन वाले लोगों को उन नागरिकों की तुलना में नियम बनाने की अधिक शक्ति प्रदान की है जिनके पास धन नहीं है। लोकतंत्र को इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र में दोष-रेखाएँ हैं; अनियंत्रित पूँजीवादी बाज़ार लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं, विशेषज्ञों को वैश्विक अभिजात वर्ग की वास्तविकताओं के बारे में गलत जानकारी दी जाती है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को लाँघकर एक वैश्विक समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें आम लोगों से अलग कर दिया गया है। वे "वैश्विक" सोच रखते हैं और मानते हैं कि "राष्ट्रीय और स्थानीय" सोच पीछे की ओर जा रही है, जबकि हर जगह देशों के लोग, विशेष रूप से वे जो वैश्विक दौड़ में पीछे रह गए हैं, चाहते हैं कि उनकी सरकारें पहले उनकी जरूरतों को देखें और समझें।

ऐडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर ने संस्थानों में नागरिकों के भरोसे के लिए एक वार्षिक वैश्विक सर्वेक्षण 2020 में रिपोर्ट पेश की, कि: "असमानता की बढ़ती भावना सभी संस्थानों - सरकार, व्यवसाय, मीडिया, यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठनों में विश्वास को कम कर रही है।" सरकार, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों को लोगों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक कि व्यवसायों को भी एहसास होता है कि उनके लाइसेंस के संचालन के लिए लोगों द्वारा उन पर भरोसा किया जाना चाहिए। उन्हें नागरिकों को यह समझाने के लिए सरकार के पास नहीं जाना चाहिए कि बड़े निगम लोगों के लिए अच्छे हैं। क्योंकि तब लोग मानेंगे कि सरकार और निगम कॉर्पोरेट हितों की सेवा करने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, उनका अपनी ही सरकार पर से विश्वास उठ जाएगा।

भरोसा कम होता जा रहा है क्योंकि कोई भी एक दूसरे की नहीं सुन रहा है। न तो सरकार जनता की सुन रही है, और न ही विशेषज्ञ। अपने-अपने क्षेत्रों के विशेष साइलो विशेषज्ञ एक दूसरे की बात तक नहीं सुन रहे हैं। सोशल मीडिया लोगों को "हमारे जैसे लोगों" के सुरक्षा पूर्ण समुदायों में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, जो "हमें पसंद नहीं करने वाले लोगों" को सुनने के लिए असमर्थ और अनिच्छुक हैं। लोकतांत्रिक शासन टूट रहा है क्योंकि कोई भी उन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है जिन्हें वे समझते नहीं हैं या जिनसे वे सहमत नहीं हैं।

भारत को (और दुनिया को भी) जिस मूलभूत सुधार की जरूरत है, वह है "नो टेक"। यह उन लोगों को सुनने की प्रक्रिया है जो हमारे जैसा नहीं सोचते हैं। इस तरह हम अन्य दृष्टिकोणों को सुनकर उस व्यवस्था को समझ सकेंगे जिसके हम सब छोटे-छोटे अंश हैं; और इससे अर्थशास्त्री भी अपने विज्ञान में सुधार करेंगे। इसके अलावा एक-दूसरे की बेहतर ढंग से सुनने से हम एक-दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, और फिर हम सभी के लिए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं।

यह लेख पहली बार इंडियन एक्सप्रेस के प्रिंट संस्करण में 23 जनवरी, 2021 को 'द लिसनिंग डेफिसिट' शीर्षक के तहत छपा था। योजना आयोग की पूर्व सदस्य मायरा, 'लिसनिंग फॉर वेल-बीइंग : कन्वर्सेशन्स विद पीपल नॉट लाइक अस' लेख की लेखिका हैं।

https://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-listening-deficit-7157885/

महामारी में ग्राम जीवन - कुली संघों की एक ग्राउंड रिपोर्ट

- Ram Esteves कृषि विकास और प्रशिक्षण समिति, बागपल्ली

1.0 परिचय[1]

1.1 कृषि विकास और प्रशिक्षण समिति

कृषि विकास और प्रशिक्षण समिति (ADATS) एक धर्मनिरपेक्ष गैर-सरकारी संगठन (NGO) है, जो पिछले 44 वर्षों से 14 दिसंबर 1977 से कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले के 5 तालुकों के 1,257 गाँवों के 55,010 छोटे और गरीब किसान परिवारों के साथ काम कर रहा है। ADATS सामुदायिक संगठन, वयस्क साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, सामुदायिक और परामर्श स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और सहायता संकट, शुष्क भूमि विकास, कृषि, वैकल्पिक ऋण, महिला कार्यक्रम आदि के मुद्दों और संघर्षों के क्षेत्र में व्यापक ग्रामीण विकास गतिविधियों को लागू करता है। हम लैंगिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रीकरण के मुद्दों पर भी काम करते हैं।

कृषि विकास और प्रशिक्षण समिति (ADATS) जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी है। पिछले 25 वर्षों से, हम समुदाय के स्वामित्व वाली और प्रबंधित जलवायु परियोजनाओं को लागू करते हैं। ग्रामीण महिलाएँ ग्रीनहाउस गैसों को कम करती हैं और साथ ही, बड़े पैमाने पर समाज को एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवा प्रदान करके कार्बन राजस्व अर्जित करती हैं। इन तकनीकों के अंतिम उपयोगकर्ताओं को उन्हें खुद को "व्यावसायिक महिला" के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, न कि किसी के दान के प्राप्तकर्ता के रूप में। ये सभी प्रयास ग्राम समाज में कुली जाति-वर्ग को सशक्त बनाने और ग्राम पंचायत और तालुका स्तरों पर एक प्रामाणिक जन संगठन (कुली संघ) का निर्माण करने के प्रयास हैं।

1.2 कुली संघ क्या है?

कुली संघ एक सदस्यता आधारित जन संगठन है, जिसमें छोटे और गरीब किसान परिवार शामिल हैं जो रैयत (जमींदारी) शोषण से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते हैं और जमीनी स्तर पर नियोजित विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए अपने स्वयं के जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। कुली संघ एक 41 साल पुराना सदस्यता आधारित जन संगठन है जो अपने-अपने गाँवों में छोटे और गरीब किसान परिवारों (भूमिहीन और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों) द्वारा बनाया गया है। गाँव के सभी गरीब केवल अपने जाति-वर्ग के आधार पर ही इसका हिस्सा नहीं बनते हैं। हर साल परिवार अपने संबंधित ग्राम कुली संघ इकाई को वार्षिक आय का प्रतिशत देकर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करते हैं।

[1] https://www.adats.com/

- वर्तमान में कुल 448 ग्राम कुली संघ इकाइयों में 9624 छोटे और गरीब किसान परिवार सक्रिय सदस्य हैं।
- काम कर रहे गाँवों के 31,624 परिवार और साथ ही छोड़े गए 462 गाँव इस साल निष्क्रिय हैं।
- इसके अलावा अन्य 13,762 गैर-कुली संघ परिवार ADATS के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों का लाभ उठाते हैं।

कुली संघ इकाइयों के संचालन वाले गाँवों के भीतर जनसंख्या कवरेज 19% है। कामकाजी और छोड़े गए गाँवों में कुल जनसंख्या कवरेज 44% है। दोनों आंकड़े चिकबल्लापुर जिले में 24% की सामाजिक-राजनीतिक उपस्थिति में योगदान देते हैं।

ADATS के संस्थापक Ram Esteves के बारे में एक वीडियो में और देखें -

https://youtu.be/3GMhU0Q81jo

और https://youtu.be/jPHINoBmlXM पर एक वीडियो में कुली संघों के बारे में जानें -

2.0 संवर्ग की बैठकें

लॉकडाउन और अनलॉक के इतने लंबे समय के बाद हमने ADATS कैंपस, बागपल्ली में प्रत्येक ग्राम पंचायत से दिन भर की बैठकों के लिए कुली संघ कैडर को बुलाने का फैसला किया। हमने दो या तीन ग्राम पंचायतों के 30-40 के छोटे समूहों से अनुरोध किया कि वे निर्धारित दिनों पर आएँ, मास्क पहनें और कुछ फीट की दूरी पर बैठें। लेकिन चूहों और पुरुषों की सभी बेहतरीन योजनाओं की तरह प्रतिक्रियाएँ हमारी योजनाओं से अलग थीं। कई पुराने (CSU) कुली संघ इकाई के सदस्य ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, कि "क्या??!! आप नहीं चाहते कि मैं आकर राम सर को सुनूँ?

चूँकि बागपल्ली में अभी ग्रामीण बस सेवाएँ शुरू नहीं हुई हैं, इसलिए उन्होंने बागपल्ली के ग्रामीणों के लिए ट्रैक्टर, टेम्पो और ऑटोरिक्शा किराए पर लिए। बहुत से लोगों के लिए पिछले आठ महीनों से उनके गाँवों में और उनके आस-पास से जुड़े होने के बाद यह उनका पहला "आउटिंग" पिकनिक का साधन था। महिलाओं ने अपनी सबसे अच्छी साड़ियाँ पहनी हुई थीं और यहाँ तक कि बीमार भी कर्कश कदमों और खुश मुस्कान के साथ आए थे जो उनके पहने हुए कपड़े के चहरे की मुश्कान तथा आँखों की चमक में देखी जा सकती थी।

मंगलवार, 17 नवंबर 2020	रास्चेरुवु और बिलूर ग्राम पंचायत	सुबह 11:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक	9 गाँव	32 महिलाएँ	31 पुरुष
बुधवार, 18 नवंबर 2020	थिम्ममपल्ली और गोरथापल्ली ग्राम पंचायत	सुबह 11:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक	12 गाँव	35 महिलाएँ	37 पुरुष
शनिवार, 21 नवंबर 2020	मार्गनाकुंटा, गुलूर और कोठाकोटा ग्राम पंचायत	सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक	19 गाँव	38 महिलाएँ	51 पुरुष
मंगलवार, 24 नवंबर 2020	जुलापाल्या ग्राम पंचायत	सुबह 11:30 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक	14 गाँव	40 महिलाएँ	28 पुरुष
शनिवार, 28 नवंबर 2020	कनागमकलपल्ली और मित्तेमरीक ग्राम पंचायत	सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक	21 गाँव	31 महिलाएँ	22 पुरुष
बुधवार, 2 दिसंबर 2020	सोमनाथपुरा और वेंकटपुरा ग्राम पंचायत	सुबह 11:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक	19 गाँव	36 महिलाएँ	22 पुरुष

एक-दूसरे का अभिवादन करने के बाद और साल के अधिकांश समय के लिए कई किलोमीटर दूर रहने के बाद आखिरकार सिर्फ 3 फीट की दूरी पर आमने-सामने एक वास्तविक आनंद साझा करते हुए मैंने उन्हें पिछले 8 महीनों के व्यक्तिगत पारिवारिक और गाँव के अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा। हम वहीं बैठकर अपने-अपने व्यक्तिगत पारिवारिक अनुभव साझा करते रहे, जब तक कि उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इसके बाद दुःख, पीड़ा, भय, क्रोध, आक्रोश, उपलब्धि, उबरने की कहानियाँ, महामारी और तालाबंदी के कारण ग्रामीण

इलाकों में वास्तव में क्या हुआ, इस पर गहन साहित्य मंत्रणा करने का दौर ज़ारी रहा। उनके द्वारा पूछे गए भ्रम, चिंता और सवालों के उत्तर केवल पूरी ईमानदारी के साथ दिए गए, जिसके लिए अक्सर अज्ञानता की विनम्र स्वीकृति की जरूरत होती है।

योजना यह थी कि मैं प्रत्येक बैठक के अंतिम आधे घंटे में ही बोलूँगा, इसलिए मैंने जो कुछ भी सुना है उसकी अपनी व्याख्या पेश करते हुए और साथ में हर किसी के अनुभव को फिट करने के लिए एक पैटर्न या ढाँचे को खोजने का प्रयास किया। लेकिन फिर, जैसा कि सभी बेहतरीन योजनाओं के साथ होता है...फिर एक जल्दबाजी में दो-कोर दोपहर का भोजन और फिर एक ठंडी बूँदा बाँदी भरे सुहावने मौसम में अंधेरे से पहले घर पहुँचने के लिए परिवहन के अपने - अपने प्रेरक साधनों को खोजने के लिए उन्मत्त हाथापाई का दौर शुरू हो जाता है।

(जैसा कि मानव समाजीकरण में अभ्यस्त है, बहुत से लोग मेरे हाथों को कसकर पकड़ने, गले लगाने का विरोध नहीं कर सकना, और फिर जाने से पहले "सेल्फ़ी" की एक जोड़ी का 3-4 घंटे लंबी शारीरिक थकावट को पल भर हवा में दूर फेंकना...)

यह वृतांत केवल छह बैठकों के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग नहीं है। यह सब कुछ एक योग और सार की एक कलम है जिसे 94 गाँवों की 212 महिलाओं और 191 पुरुषों ने 6 दिनों के वृतांत को 21½ घंटे में साझा किया है।

3.0 महामारी

"हम सब बहुत डरे हुए थे। हर गाँव में पुलिस कर्मी गस्त कर रहे हैं। सरकारी स्वास्थ्यकर्मी हर गाँव -गली मोहल्ले में बार -बार आ रहे हैं। सर्किल इंस्पेक्टर अपनी जीप में घूमकर छोटी-छोटी दुकानों को भी बंद करने को कह रहे हैं. उन्होंने तो वास्तव में हमें डरा दिया।"

"न केवल लॉकडाउन के दौरान बल्कि उसके बाद में भी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। यह कोरोना है क्या? इसकी कोई दवा क्यों नहीं है?"

इस तरह हर मुलाकात की शुरूआत कोरोना के डर और भय से होती।

3.1 कोरोना-वायरस

हालाँकि हमने कहा था कि पहले उन्हें अपने अनुभव साझा करने चाहिए, और फिर हम जवाब देंगे मुझे कोरोना वायरस पर 15 मिनट का स्पष्टीकरण देना था कि कैसे कोई निर्जीव "वस्तु" कई गुणा फैल सकती है, इसका उत्परिवर्तन इतिहास क्या है हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। एक सदी पहले की महामारी में मृत्यु दर तब और अब संक्रमण और बीमारी (स्पर्शोन्मुख और रोगसूचक) के बीच एक संचरण अंतर कि दवाएँ ऐसे रसायन हैं जो उन बैक्टीरिया और रोगाणु जैसे रोगजनकों को मारते हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं लेकिन कोई भी दवा एक निर्जीव वायरस को नहीं "मार" सकती है।

मैंने इस बात पर जोर दिया कि COVID-19 का कोई "इलाज" नहीं है। इसके विरुद्ध "लड़ाई " के साथ भ्रामक अनुरूपता वायरस को "पराजित" करने की झूठी धारणा पर आधारित है। इसके बजाय हमारा ध्यान मास्क के साथ प्रसार को रोकने, शारीरिक दूरी बनाने और टीकाकरण के माध्यम से प्रतिरक्षा के निर्माण पर होना चाहिए। मैंने यह सब अपनी सामान्य अज्ञानता के कुंद प्रवेश में जोड़ा।

"फिर लॉकडाउन का क्या? क्या यह अच्छा है या बुरा? क्या यह उपयोगी भी था?"

मैंने समझाया कि लॉकडाउन तत्काल तैयारी करने के लिए दबाया गया एक पॉज़ बटन था; यह कोई "इलाज" नहीं था। एक पंख और एक प्रार्थना पर कोरोना वायरस की कामना नहीं की जा सकती थी। लॉकडाउन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती करने और प्रशिक्षित करने, तथा अस्पताल के बिस्तर बढ़ाने और अधिक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर प्राप्त करने का समय दिया। और यह समय COVID-19 पर आबादी को शिक्षित करने और उन्हें यथासंभव सुरक्षित रहने और प्रसार को

रोकने के लिए तैयार करने का है।

दुर्भाग्य से, यह एक ऐसा समय भी था जब बेकार दिमाग वाले दुष्टों ने लापरवाह अफवाहें फैलाईं, झूठी सूचना प्रसारित की, समुदायों को दोषी ठहराया, बीमारों को निशाना बनाया और समाज में एक भय पैदा किया।

जहाँ तक हम जानते हैं, कोरोना वायरस कम से कम 130 वर्षों से है। नहीं, उस समय चीन में इस वायरस को बनाने की कोई फैक्ट्रियाँ नहीं थीं।

3.2 कोविड-19 केस

इस संक्षिप्त "पाठ" के बाद ही उन्होंने अपने अनुभव बताना शुरू किये। कि कुछ मौतें हुईं, लेकिन उनके गुजरने का तरीका क्रूर और अमानवीय था।

> *"सिद्दापल्ली थंडा के थिप्पे नाइक ने अपने आप को अस्वस्थ महसूस किया तो वे खुद चिकबल्लापुर के जिला COVID-19 अस्पताल गए। तब हमने उन्हें आखिरी बार देखा था। 15 दिनों के बाद वह अकेला ही मर गया और अधिकारियों ने उसे दफना दिया। हम शव को अपने गाँव वापस लाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे।*
>
> *यहाँ "दोहरी त्रासदी की बात यह है कि थिप्पे नाइक के बेटे की किडनी कुछ साल पहले खराब हो गई थी और इस परिवार चलाने वाले पिता (थिप्पे नाइक) और उनकी बहु थे। अब यह सब उसके (बहु) के ऊपर है।*
>
> *यह घटना है मल्लीगुरकी गाँव की लक्ष्मीदेवी की जिन्होंने एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया बयान किया कि कैसे वह अपने तीन साल के बेटे को निजी क्लीनिकों और अस्पतालों में लेकर गई जहाँ उन्होंने उसकी जाँच करने से भी इनकार कर दिया। अंत में वह बैंगलोर के चिल्ड्रेन स्पेशलिस्ट अस्पताल में लेकर गयीं जहाँ उन्होंने निमोनिया की जाँच और उसका इलाज किया। लेकिन वहाँ भी उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह बच्चा कोविड -19 से संक्रमित हो सकता है और नहीं भी और वे वार्ड में अन्य रोगियों को जोखिम में नहीं डाल सकते। और वह बच्चे को घर लेकर आ गयी और फिर उसने अपने बेटे को धीमी और दर्दनाक मौत मरते देखा।*
>
> *जब राचेरुवु एमवी गाँव के शेरिफ सब को संदेह हुआ तो वह सीमा पार कादिरी गए जहाँ उन्होंने सोचा कि उन्हें अच्छा इलाज मिलेगा। परन्तु जब कोई सुधार नहीं हुआ तो वह लॉकडाउन के बावजूद भी बैंगलोर के प्रमुख COVID-19 अस्पताल तक भी गए। लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मौत हो गई।*
>
> *उनके परिवार ने सरकारी एम्बुलेंस में शव को गाँव वापस लाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उसके बावजूद भी वे शेरिफ सब को आखिरी बार देख भी नहीं पाए, क्योंकि उनका वह एक सीलबंद प्लास्टिक बैग में था। अधिकारियों ने उसके शव को जेसीबी मशीन से उठाया, और उसी जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में शव को फेंक दिया और उसके बाद शव को मिट्टी से दवा दिया।*
>
> *रासचेरुवु एचसी गाँव के शफीक को समाज से अलग-थलग कर दिया गया था क्योंकि वे मरहूम शेरिफ सब के निकट संपर्क में थे। जबकि उन्होंने लगातार अपना कोविड -19 का परीक्षण कराया हुआ था*
>
> *जब उन्होंने परीक्षण किया था तो मांडयमपल्ली गाँव में वेंकटरावनप्पा के घर को सील कर दिया गया था और किसी को भी बाहर आने या अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उन्हें एम्बुलेंस में चिकबल्लापुर के जिला COVID-19 अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से 14 दिन बाद वह ठीक होकर वापस घर आया था। परन्तु उन्हें फिर दूसरा दिल का दौरा पड़ा और स्वास्थय कर्मी उन्हें बैंगलोर के प्रमुख COVID-19 अस्पताल ले गए जहाँ उनकी मृत्यु हो गई।*
>
> *जुलापाल्या गाँव की आशा कार्यकर्ता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई जब उसने देखा कि परीक्षण में उसको संक्रमित पाया गया है।*

सभी की मृत्यु नहीं हुई है, हमने बताया कि 102 साल पहले पहली बार के विपरीत इस बार केवल 1.4% संक्रमित लोगों की मृत्यु COVID-19 से हुई है। एक सदी पहले मृत्यु दर दुनिया की आबादी का 4% थी। यह कोरोना वायरस के प्रति बढ़ती समझ, इसके प्रसार की बेहतर रोकथाम और लक्षणों के उपचार की क्षमता के कारण है। गणित भारत में 1.4 लाख मौतों का आँकड़ा प्रस्तुत COVID-19 करता है, इसके अलावा (COVID-19) के अलावा एक सामान्य और वृद्धावस्था में, दिल के दौरे से, सड़क दुर्घटनाओं, हत्याओं और दहेज से होने वाली मौतों के कारण 94 लाख प्राकृतिक मौतें हुईं।

देवारेड्डीपल्ली गाँव में जिस समय देवारेड्डीपल्ली गाँव के नागराज का परीक्षण किया गया था और उन्हें पास के पूलावरिपल्ली में बनाये गए अस्थायी COVID-19 केंद्र में ले जाया गया था। तब नागराज के घर को सील कर दिया गया था, और जब तक वह ठीक होकर वापस घर नहीं आ गया, तब तक उसके परिवार के किसी सदस्य को 14 दिनों तक बाहर नहीं आ सका और न ही कोई बाहर से अंदर जा सका।

इड्डीलिवारीपल्ली में एक बच्चे और गुंडलापल्ल और चिन्नागनपल्ली गाँवों के दो वयस्कों ने सभी लोगों का परीक्षण किया और उन्हें पुलिगल क्रॉस के एक अस्थायी COVID-19 केंद्र में भेज दिया गया। वे सभी ठीक हो गए और अपने-अपने गाँवों को वापस चले गए।

जीकावनलापल्ली की मोटा अंजिनम्मा बैठक में रो पड़ीं, उन्होंने बताया कि "मेरे पति को साधारण खांसी और जुकाम हो गया था। तो ग्रामीणों ने उसे गाँव से बाहर निकाल फेंक दिया, और वह भी गाँव में त्योहार के दिन। परन्तु इस पर कुली संघ के सदस्य दृढ़ रहे और उन्होंने कहा कि आप सभी ग्रामीण चाहें तो गाँव से बाहर निकल सकते हैं। जब इस आदमी का परीक्षण नहीं किया गया है। तो आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि उसे COVID-19 है? और वे वापस उसे गाँव ले आए।

"कुछ दिनों के लिए ग्रामीणों ने मेरी दुकान से बोंडा खरीदने से भी इनकार कर दिया।"

बिल्लुर के शंकराचार्य का पेयजल आपूर्ति का व्यवसाय है। जब ग्रामीणों ने सुना कि उसके रिश्तेदारों ने बैंगलोर में +ve परीक्षण कराया है। तो उन्होंने (गाँव वासियों) ने शंकराचार्य को गाँव में फ्लोरोसिस मुक्त बोरवेल से पानी लेने से मना कर दिया। तब कुली संघ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि वे (ग्रामवासी) चाहें तो नमक रहित पानी पीना बंद कर सकते हैं।

अधिकारियों ने गंगुलम्मा के पति को राचेरुवु एमवी में क्वारंटाइन में रखा क्योंकि वह गाँवों में जाते थे और रात में भजन गाते थे और संभवतः वह एक स्प्रेडर (रोग फैलाने वाले) हो सकते थे, हालाँकि उनका कभी परीक्षण नहीं *किया गया था।*

मरगनाकुंटा गाँव में भाग्यम्मा के घर को उसकी बूढ़ी मां, पति और 3 छोटे बच्चों के साथ सील कर दिया गया था। पहले दो दिनों तक कोई पास नहीं गया। लेकिन दूसरे दिन शाम को (VHW) और संघ के अन्य सदस्यों ने फैसला किया कि बस अब बहुत हो गया। और उन्होंने अगले 10 दिनों के लिए पीने के पानी की बाल्टी और कुछ पका हुआ खाना उसके घर के बाहर रखना शुरू कर दिया।

मरगनाकुंटा एचसी गाँव में जयम्मा और उनके बेटे बेटी और दो बच्चों का परीक्षण किया गया। चूंकि उनका घर कॉलोनी के सेंटर में था, इसलिए उन्होंने खेत में अपने पंपहाउस में जाकर रहने का फैसला किया। तो VHW (नागफनी वुड्स का गाँव), बालकेंद्र शिक्षक और एक ग्राम पंचायत सदस्य ने उनके लिए अगले सात दिनों के लिए हर दिन पका हुआ भोजन भेजा।

चौडप्पा का दामाद मदनपल्ली कस्बे में ट्रैक्टर चालक था। जब वह वापस गाँव आया तो उसे बुखार था और उसका टेस्ट + वी था। इसलिए उनके घर को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था। तब VHW, बालकेन्द्र शिक्षक और (CSU) कुली संघ इकाई के सदस्यों ने प्रतिदिन पीने के पानी और भोजन की आपूर्ति करके परिवार की मदद की।

नारायणस्वामी कोटे गाँव में, श्रीनिवास के परिवार का एक कुली संघ के सदस्य और दो गैर-संघ परिवारों ने सभी का परीक्षण किया। श्रीनिवास के परिवार में सिर्फ एक उसकी बूढ़ी माँ और दो बेटियाँ रहती हैं, जिनमें से एक योग्य नर्स है। उन सभी को एक हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया गया और नर्स ने उनकी देखभाल की। और अंत में यह पाया गया कि सभी के परीक्षा परिणाम गलत थे। इस कारण पड़ोसियों ने अधिकारियों की अवहेलना की और सुनिश्चित किया कि तीनों परिवारों को पका हुआ भोजन और पीने का पानी मिले।

इन छह बैठकों में एक बार भी किसी ने किसी को भी दोष नहीं दिया, मेरे उन उदाहरणों को इंगित करने के बावजूद भी जहाँ मानवता में सबसे खराब स्थिति सामने आई, यहाँ तक कि उनके अपने ज्वलंत कथनों में भी किसी के लिए दोष भावना नहीं थी। बस एक चकित करने वाला भ्रम और कुछ ऐसा जो पहली बार में कट्टर नियतिवाद जैसा लग रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि उनमें से अधिकांश के लिए मुझसे बात करना एक रोचक अनुभव था, उनका चिंताओं को साझा करना, मन की भावनाओं को मुक्त करना और किसी तरह एक पीड़ादायक क्रोध से छुटकारा पाना जो उनके अंदर फट रहा था। यही कारण है कि उन्होंने इन सभी बैठकों में आने का साहस किया।

लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति हर किसी के रवैये को सबसे अधिक अस्पष्ट और परीक्षण में उनकी विश्वास को संदिग्ध बताया जा सकता है।

> *सीगलापल्ली के आंगनवाड़ी शिक्षक ने अपना परीक्षण कराया तो उन्हें पुलिगल क्रॉस के एक अस्थायी COVID-19 केंद्र में भेज दिया गया। अगले दिन उसने परीक्षण कराया तो रिपोर्ट (-ve) नेगेटिव आयी लेकिन तीसरे दिन फिर पॉज़िटिव (+ वी), यह क्रम बारी-बारी से चलता रहा, जब तक कि उन्होंने 10 दिनों के बाद उसे छुट्टी नहीं दे दी. अब वह ठीक है, लेकिन आज भी ग्रामीण अपने बच्चों को उसके अंडर-5 क्रेच (शिशु-गृह) में भेजने से डरते हैं।*

> *पिचिलावरिपल्ली गाँव के श्रीनिवास रेड्डी टमाटर की फसल पर छिड़काव करने गए थे। छिड़काव करते हुए उसका पंप फंस गया था तो उसने पहले पंप में विस्फोट किया और फिर पाइप को चूसा। जिससे वह तुरंत बहुत बीमार हो गया तो अधिकारियों द्वारा उसे तुरंत बैंगलोर के प्रमुख COVID-19 अस्पताल ले जाया गया। जहाँ 15 दिनों के बाद वह मर गया। वे उसके शव को वापस ले आए और उसे भी जेसीबी के द्वारा दफना दिया गया। पूरा गाँव एक किलोमीटर दूर खड़े होकर देखने के लिए मजबूर हो गया। "उसे (श्रीनिवास रेड्डी) को COVID-19 अस्पताल क्यों ले जाया गया? क्या वह कीटनाशक नहीं था जिसने उसे जहर दिया था?"*

> *देवारेड्डीपल्ली गाँव की ईश्वरम्मा ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया जब उसकी 19 वर्षीय बेटी को पहली डिलीवरी में कठिनाई हुई। एम्बुलेंस चालक उसे अस्थायी COVID-19 केंद्र में ले गया क्योंकि वह, वह जगह है जहाँ नजदीक में डॉक्टर था। सौभाग्य से बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ था और कई दिनों के कठोर इंतजार के बाद उन्होंने पाया कि न तो माँ को और न ही बच्चे और न ही उसकी दादी संक्रमित थे।*

> *जब पापनेपल्ली गाँव के वेंकटेश की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया तो वेंकटेश की मां को अपने घायल बेटे के साथ दर-दर भटकना पड़ा। क्योंकि कोई भी निजी अस्पताल उसे छूने को भी तैयार नहीं हो रहा था और वह उसे सरकारी अस्पताल ले जाने से भी डरती थी। परन्तु सौभाग्य से किसी तरह वह बच गया।*

बायरप्पनपल्ली के एक अन्य युवक की भी मोटरसाइकिल दुर्घटना ग्रस्त हो गई। वे उसे निजी क्लीनिक और सरकारी अस्पतालों में ले गए। लेकिन कोई उसे प्राथमिक उपचार भी नहीं दे रहा था। और आखिरकार जब वे उसे बंगलौर ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे, तब ही उसकी मौत हो गई।

3.3 स्वास्थ्य सेवाएँ

कुली संघ की स्वास्थ्य गतिविधियों का लाभ - कुली संघ इकाई (CSU) के सदस्य और गैर-सदस्य, अमीर और गरीब सभी ने उठाया है। हर कोई न केवल सिरदर्द, कान का दर्द, बुखार और पेट खराब, कट, खरोंच और त्वचा पर चकत्ते के लिए, बल्कि हर संभावित बीमारी के लिए हमारे ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास गया; खासकर जब उनका सिर ठंडा हो, गले में खराश हो और नाक बह रही हो और किसी स्वास्थ्य पेशेवर के पास जाने की भी हिम्मत न हो। हमें लॉकडाउन के महीनों के दौरान भी, हर महीने VHW को गुप्त रूप से भेजी जाने वाली बुनियादी दवाओं की मात्रा को दोगुना और कभी-कभी तिगुना भी करना पड़ता था।

दो महीने पहले, जब सरकार ने गाँवों में सभी का परीक्षण करने के लिए एक जिला व्यापी अभियान शुरू किया था। तो मारगनकुंटा गाँव में जिन 13 लोगों ने परीक्षण कराया, उनमें मुगुचिन्नापल्ली से दो और मल्लिगुर्की से एक खेतों में भाग गए और खुद को चट्टानों में छिपा लिया।

ADATS (कृषि विकास और प्रशिक्षण समिति) स्टाफ ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किया और पूछा कि वे क्या करेंगे। डॉक्टर ने उत्तर दिया, "हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हम पर भरोसा नहीं है। फिर डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप कृपया उनकी मदद कर सकते हैं? मैं कुछ पेरासिटामोल, विटामिन, सप्लीमेंट्स, इनहेलर ड्रॉप्स और एक एँटीबायोटिक कोर्स लिख सकता हूँ (बस इस मामले में; जैसा कि आप जानते हैं, COVID-19 का कोई इलाज नहीं है)। दुर्भाग्य से, मेरे पास सामान्य अस्पताल में स्टॉक उपलब्ध नहीं है।"

हम एक स्थानीय फार्मेसी में गए और प्रत्येक फील्ड स्टाफ के लिए @ ₹250 के दर से 200 'किट' खरीदे, कि जब भी वे गाँवों में जाएँ तो ये किट अपने साथ लेकर जाएँ।

> *गोरथापल्ली में थिप्पम्मा का बेतरतीब ढंग से परीक्षण किया गया था। और 2 दिनों के बाद उसके बेटे को उसके मोबाइल पर एक संदेश मिला कि वह +ve है और फिर उसे एम्बुलेंस में बागपल्ली अस्पताल लाया गया है। जब वे उसे एक अस्थायी COVID-19 केंद्र में भेजने के लिए प्रसंस्करण कर रहे थे, तो वह COVID-19 केंद्र से भाग कर ADATS परिसर में आ गयी। हमारे फील्ड कर्मी ने उसे एक 'किट' देकर अपने गाँव वापस जाने और खुद को घर में आइसोलेट करने के लिए कहा।*
>
> *मल्लीगुरकी गाँव में, सुब्बारायप्पा के घर को चार वयस्कों और दो बच्चों के साथ सील कर दिया गया था। कुली संघ के सदस्यों ने उन्हें एक सप्ताह के लिए वह सब कुछ दिया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और उन सभी को ADATS 'किट' भी मिले। अब वे सभी परीक्षण कर चुके हैं और सब ठीक हैं।*
>
> *मुगुचिन्नापल्ली से गंगुलप्पा के बेटे नंदीश और चौदम्मा के बेटे हरीश का परीक्षण किया गया। और उनका दावा है कि ADATS द्वारा दी गयी 'किट' ने उन्हें 'ठीक' कर दिया है।*
>
> *"राम सर, की यह 'किट' ADATS 'किट' है जो कोरोनावायरस को ठीक कर देगी। पर वह कोई अस्थायी और विशेष COVID-19 अस्पताल नहीं है।"*
>
> *"अब सड़क किनारे की सब दुकानें बंद हैं और किसी भी हाल में हम शहर में चाट, बज्जी, बोंदा और पानी पुरी खाने नहीं जा सकते। अब हम स्वस्थ भोजन खाते हैं और अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं। हमने शुद्ध (हर्बल टॉनिक और शंखनाद) लेना शुरू कर दिया है जिसे हमारे दादा-दादी तैयार करते थे।"*
>
> *हालाँकि मुझे पता था कि ये धोखाधड़ी - चाहे वे रोगसूचक दवाएँ हों या मनगढ़ंत बातें - कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, मैं बस मुस्कुराया और चुप रहा, यह जानते हुए कि स्वास्थ्य चिकित्सा हस्तक्षेप के परिणाम के रूप में मन की एक आश्वस्त अवस्था थी। जब पूछा गया, तो ये मेरी प्रतिक्रिया थी।*
>
> *"COVID-19 एक बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम है। यह हमारे शरीर को सभी प्रकार के संक्रमणों के लिए श्वासनली के माध्यम से प्रवेश करने के लिए खोलता है। जब हम अपने सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खुले रखते हैं, तो हम यह नहीं जानते कि कौन से रास्ते से चोर प्रवेश करेगा और क्या लूटेगा। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन मूर्खतापूर्ण तरीके से डरना नहीं चाहिए।"*

4.0 लॉकडाउन

4.1 मौत की छाया

जब उन्होंने लॉकडाउन और अनलॉक की बात की तो लोग इससे एकमत थे। यह ऐसा समय होता है, जब हर कोई पैसे की कमी के साथ-साथ मौत के निरंतर भय से त्रस्त होता है।

> *"घर से निकलते समय हमसे पूछा जाता है, कि हम घर कब तक लौटेंगे, तो हमारी मानक प्रतिक्रिया होती है कि 'आज शाम तक' या 'एक घंटे में' या ऐसा ही कुछ होता। हम अब भी अपने आप वही बात कहते हैं, लेकिन हम अपने मन में सोचते हैं... पहले भी हमारा कोई एक्सीडेंट या दिल का दौरा पड़ा होगा। लेकिन यह ख्याल हमारे दिमाग में कभी नहीं आया, अब बात अलग है।"*
>
> *"अभी-अभी, राम सर ने हमें बताया कि COVID-19 से बहुत अधिक लोग नहीं मर रहे हैं। लेकिन फिर भी..."*
>
> *"एक रात मैंने एक बच्चे से कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है और जब तक वह ठीक नहीं हो जाती, तब तक वह आठ दिनों तक तुमसे दूर रहेगी। उसने (बच्चे) ने जवाब दिया, 'या शायद हमेशा के लिए'। डराने वाली बात तो यह थी कि उसने इसे इस तरह से कहा और तुरंत सो गया।*
>
> *"दूसरी ओर, क्या आपने देखा है कि लोग आजकल बहुत कम शिकायत करते हैं? वे दर्द और पीड़ा, अच्छी नींद, सांस फूलना और सामान्य परेशानी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। सिर्फ बूढ़े लोग और पुराने हाइपोकॉन्ड्रिअक्स ही नहीं। बल्कि सब लोग। शायद वे इस बात से खुश हैं कि वे मरे नहीं!"*

4.2 धन

गाँवों में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों का वर्णन करने के लिए निजीकरण और दरिद्रता बहुत हल्का शब्द है। जो भौतिक अभाव के अलावा, यह एक आत्म-मूल्य को भी लूटता है। जब कोई नई स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो पहले के दिनों को याद करने से व्यक्ति एक अकथनीय भय से भर जाता है।

"लॉकडाउन के दौरान पैसा हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। हमारे पास कुछ नहीं था। कोई हमें अपने खेतों में काम करने के लिए नहीं बुलाएगा। उधार देने वाला कोई नहीं था। छिटपुट नरेगा मजदूरी और दूध के बिलों को छोड़कर, जो कि क्रॉसब्रेड गायों को दूध संग्रह सोसायटी से नियमित रूप से मिलते थे, उनके पास नकदी नहीं थी।"

"हम थोड़े पैसे रखने के आदी हैं। यह पुराने दिनों की तरह नहीं है जब हमारे पास नकदी नहीं थी। मैं अपने पोती को 5 रुपये देता था जब वह स्कूल जाती थी। और अब मेरे पास सिक्का नहीं है और उसके पास स्कूल नहीं है।"

"पहले कुछ हफ्तों के लिए जिस महिला की एक छोटी सी दुकान थी, उसने थोड़ी सी प्रसिद्धि बढ़ायी थी। परन्तु जल्द ही उसे भी बंद करना पड़ा जब कोई भी उनका बकाया नहीं चुका सका। इतना ही नहीं पुलिस भी काफी सख्त थी। इतना ही नहीं पुलिस भी काफी सख्त थी। हम बिस्कुट का एक छोटा पैकेट या कुछ पारले बिस्कुट भी नहीं खरीद सकते हैं।"

"मेरे गाँव जैसे छोटे गाँवों में, कोई दुकान नहीं हैं। आमतौर पर हम साले से या किसी करीबी रिश्तेदार से हैंड लोन (उधार) लेते हैं। पर अब सबकी हालत एक जैसी है।"

लॉकडाउन की शुरुआत में ही हमने 9,337 टन ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए मुआवजे के रूप में पहली बायोगैस स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) परियोजना की लगभग 3,000 अंतिम उपयोगकर्ता महिलाओं को 58 लाख रुपये वितरित किए थे।

"बायोगैस का पैसा इतना काम आया! मुझे कार्बन राजस्व के रूप में ₹5,500 मिले और इसका उपयोग अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए किया। आम तौर पर मुझे उचित मूल्य डिपो (सरकारी राशन की दुकान) से जो राशन मिलता है वह हम तीनों के लिए काफी होता है। अचानक से चार लोगों को और खिलाने लगे। क्योंकि मेरे बेटे और उनके परिवार तालाबंदी के कारण बैंगलोर से वापस आ गए थे।"

"आपने हमारे जीरो बैलेंस बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए। यहाँ तक कि बैंकों में जाकर निकालने में भी दिक्कत होती थी। या तो बैंक बंद था या हमें यात्रा करने की अनुमति नहीं थी।

"हम में से कई लोगों को अपनी दो गायों या एक गाय और एक बछिया (बड़ी मादा बछिया) के साथ अपना पेट भरने के लिए एक जानवर बेचना पड़ा। नतीजतन, बायोगैस के लिए कम गोबर मिलने लगा। तो बायोगैस ने काम किया, लेकिन कम दबाव के साथ और वो भी सिर्फ एक स्टोव पर। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि हमारे पास खाना बनाने के लिए मुश्किल से ही कुछ था और समय बचाना हमारे लिए कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं था।

"कुछ बायोगैस इकाइयों को ऐसे समय में छोड़ना पड़ा जब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही थीं और हमारे पास पैसे होने के बावजूद, हम शहर से सिलेंडर लाने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। इसने हमें जलाऊ लकड़ी के साथ खाना बनाने के लिए मजबूर किया गया था परन्तु जिसे इकट्ठा करने के लिए हम बाहर नहीं जा सकते थे। यह मत पूछो कि मैं इसमें कैसे कामयाब रहा।"

जून 2020 में हमने 169 गाँवों की 1,539 बेहद गरीब महिलाओं को 1,734 ईंधन के विशेष लकड़ीचूल्हे वितरित किए, जिनके पास बायोगैस इकाइयों के निर्माण हेतु गाय या घरों के पास जगह नहीं थी। यह कटौती लॉकडाउन के दौरान कटी हुई टहनियों और शाखाओं को इकट्ठा करने के लिए महिलाओं की कठिन यात्राओं की संख्या में आधी हो गई।

4.3 घर वापसी

परिवार के आकार में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि लॉकडाउन के कारण लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कई कठिनाइयों में से एक थी। बेटे, बेटियाँ और उनके युवा परिवार वापस गाँवों की ओर आ रहे थे, जिनमें ज्यादातर खाली हाथ थे। कई लोग शहर की विभिन्न नौकरियों में 10-15000 रुपये प्रति माह कमा रहे थे और केवल 500-1000 रुपये घर भेज रहे थे। फिर भी वे खाली जेब लेकर आए।

नाराजगी की भरे अंदाज में और एक मजबूत खंडन में और यहाँ तक कि गुस्से में मैंने पूछा, कि "ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास कोई बचत नहीं है? या तो वे कुछ छिपा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं?"

हैरानी की बात तो यह है, कि एक भी माता-पिता ने अपने बच्चों के बचाव में कुछ नहीं कहा। मतलब ये की वे भी काफी ईमानदारी से यही बात सोच रहे थे। मई 2020 के महीने में मैंने प्रवासियों के लिए जो सहानुभूति महसूस की थी, वह अब थोड़ी कम हो गई है।

4.4 सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन की दुकानें

हर एक बैठक में लगभग सभी ने राशन की दुकानों से हर महीने मिलने वाले 10-12 किलो मुफ्त चावल की बात की।

> *"हम सिद्धारमैया के दिए गए चावल के कारण जीवित हैं!"*
>
> *"दुकानें सभी बंद थीं और हमें अन्य किसानों से कुछ रागी (एक तरह का मोटा अनाज) और दाल खरीदनी पड़ी।"*
>
> *क्योंकि "लॉकडाउन के कारण, हमें अपने गाँव में सब्जियाँ नहीं मिल रहीं थीं!"*

पहली ही बैठक में उनके कटे-फटे चेहरों को देखकर, मेरे पास बाद की बैठकों में, यह कहने का दिल नहीं था कि नए कृषि कानून धीरे-धीरे खरीद को आसान बना देंगे, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जल्द ही ध्वस्त हो जाएगी। कुछ वर्षों के बाद उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के तहत केवल प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्राप्त होगा, जिसकी गणना उस समय की मौजूदा कीमतों पर की जाएगी। खुले बाज़ार में वह नकदी 10-12 किलोग्राम कम गुणवत्ता वाले टूटे हुए चावल खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जो अब उन्हें मुफ्त में मिलती है।

लॉकडाउन के दौरान अजीबोगरीब चीजें हुईं।

> *मार्गनाकुंटा एचसी गाँव की रियाज की पत्नी शाहीन ने अफसोस जताते हुए बताया, "हर जगह पुलिस कांस्टेबल होने के बावजूद, हमारे जनता घर के बाहर से हमारी गाय को लूट लिया गया था, जहाँ पर इसे हमेशा हर रात में बांधा जाता था। अगले दिन से हमने दो दिन तक हर जगह उसकी खोज की, लेकिन वह नहीं मिली। दो दिन बाद उन्होंने गाँव के बाहर मंदिर के पास इसका वध किया। उसका अधिकांश मांस गायब था और उसका गर्भाशय भी खाली था। ऐसा कौन सा इंसान उस 9 महीने की गर्भवती गाय को कभी मारेगा जो ब्याने वाली थी? यह एक बहुत ही कायराना और शर्मनाक घटना है यह किसने और क्यों किया?*
>
> *"पुलिस का कहना है कि वे चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे लूट को तो रोक नहीं पाए। अब चोरों को क्या पकड़ पाएँगे? जब वह गाय हमारे पास थी तो हम जल्द ही हर 15 दिनों में कुछ पैसे पाने के लिए 8-10 लीटर दूध बेच देते थे क्योंकि गाँव की डेयरी अभी भी तालाबंदी के दौरान भी चल रही थी।"*

5.0 फसल और खेती

5.1 फसल बरबाद होना

बागपल्ली की पूर्व में दो ग्राम पंचायतों को छोड़कर जहाँ वे आधी फसल को बचाने में कामयाब रहे, वहीं दूसरी ओर बाकी सभी ने कहा कि उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जून से नवंबर तक लगभग छह महीने तक लगातार बूँदाबांदी और बारिश होती रही। जिससे फसल को उगने के लिए शायद ही कभी सूखा हुआ हो। जिसका नतीजा यह हुआ कि न केवल मूंगफली की फसल या तो खेत में ही सड़ गई या खेतों में फिर से अंकुरित हो गई, और बाजरा और दालों के तो डंठल भी सड़ गए हैं।

जी. माद्देपल्ली एचसी गाँव के रामचंद्र ने कहा, कि "कुली संघ से पहले मैं भूमिहीन था। 35 साल पहले शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम (DLDP) के दौरान, कुली संघ ने कुली संघ यूनिट (CSU) के एक अन्य सदस्य के बगल में 1 एकड़ खराब भूमि को मंजूरी देकर मुझे दे दी। इन वर्षों में मैंने और मेरी पत्नी ने इसे एक उपजाऊ भूमि के रूप में बदल दिया। हर साल हम मूँगफली, बाजरा, कुछ दालें और कुछ मसाले उगाते हैं जिनसे होने वाली आय से मेरे परिवार को 2-3 महीने तक के आमदनी प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इस साल मुझे कुछ नहीं मिला।"

> *"हाँ", मैंने जवाब दिया, "हमारा रिश्ता आपके पैदा होने से बहुत पहले का है।"*

यहाँ तक कि जमींदार परिवारों के लिए भी लॉकडाउन के दौरान पैसा निकालना एक चुनौती थी। उन्होंने अपनी पिछली बचत और बीजों में से जो कुछ भी निवेश किया था, वह 94 गाँवों में से 75 गाँवों में पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लोग याद करा रहे हैं कि पिछले 43 वर्ष पहले इसी तरह की बेमौसम बारिश हुई थी। लेकिन इस साल की तरह फसल का नुकसान कभी नहीं हुआ। तो इसलिए, हमने एक साथ इस के अन्य कारकों का पता लगाना शुरू किया।

5.2 मातम

"आम तौर पर जब फसल लगभग 6 इंच लंबी होती है और खरपतवार सिर्फ २-३ इंच के होते हैं, तो हम सभी एक साथ अपनी-अपनी मुल्लिकट्टी (हाथ में पकड़ी जाने वाली कुदाल, जिसे तेलुगु में थोनिकिकट्टी भी कहा जाता है) को लेकर खेत से खरपतवार निकालने के लिए निकल पड़ते हैं। हमने कभी यह नहीं सोचा कि यह खेत किसका है। हमारे दादा-दादी के समय में हरिजन के सभी खेत हमारे थे और पूरी कॉलोनी गाँव की ज़मीन के एक हिस्से पर काम करने के एक साथ उतरती थी। इसलिए अब कुली संघ के साथ-साथ कुली संघ इकाई के सभी सदस्यों के क्षेत्र हमारे अपने हैं।

"लेकिन इस साल यह बिलकुल अलग था। क्योंकि हम वायरस से संक्रमित होने के डर से समूहों में बाहर जाने से डरते थे। और गाँव के अधिकारी जैसे पुलिस कांस्टेबल और सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हम पर चिल्लाते थे जब भी दो से अधिक लोग एक साथ अपने घरों के बाहर देखे जाते थे। यह महामारी भी थी और लॉकडाउन भी; हमारी गलती और उनके लिए परेशानी.......।

"बहुत जल्द, फसल अभी भी एक फुट से भी कम लंबी थी, लेकिन खरपतवार 2 फीट ऊँचे थे। इसलिए कुछ भी करने में अब तक बहुत देर हो चुकी थी।"

5.3 देशी मवेशी

बहुत सी बैठकों में यह कहना था -

"आजकल हमारे पास दूध के लिए केवल संकर (हाईब्रिड) गायें हैं। हम नर बछड़ों को पैदा होने के तुरंत बाद ही उनसे छुटकारा दिला देते हैं क्योंकि वे आलसी होते हैं और न ही कोई काम करेंगे। केवल ट्रैक्टर और टिलर सामान्य समय के लिए ठीक हैं। लेकिन मूँगफली को डी-वीड (घास-फूस साफ़) करने के लिए हमें देशी बैल या यहाँ तक कि युवा गायों के एक जोड़े द्वारा खींचे गए गूतवों (एक डी-वीडिंग हैरो) की आवश्यकता होती है।
"हमने अपनी सभी देशी गायों से छुटकारा पा लिया है। अब बहुत कम लोगों के पास अभी भी देशी जानवर और बैलगाड़ी के औजार हैं। लॉकडाउन के कारण हम कुछ किलोमीटर दूर पड़ोस के गाँवों में बैल और गूतवों की एक जोड़ी (एक डी-वीडिंग हैरो) किराए पर लेने नहीं जा सके।
सिद्दापल्ली थंडा के वेंकटरामा नाइक ने कहा, कि "मैं देशी जानवरों को रखने में विश्वास करता हूँ। लेकिन जब मेरा बछड़ा बीमार हो गया तो पशु चिकित्सक ने एक इंजेक्शन दिया, और वह तुरंत मर गया। मुझे यकीन है कि यह चिकित्सक की गलती है। जिसकी मुझे कोई बीमा राशि भी नहीं मिलेगी। आखिर नाटी गाय का बीमा कौन

करता है? यह योजना केवल संकर दुधारू पशुओं के लिए ही है। वैसे मेरी डेयरी (दूध संग्रह समिति) कुछ करने की कोशिश कर रही है। मुझे उसके लिए इंतजार करना होगा और देखना होगा..."

कृषि मशीनीकरण पर यह सारी बातचीत उसी ग्राम पंचायत के युवाओं के एक समूह द्वारा रंगीन आख्यान के साथ की गई।

"मान लें कि हम ट्रैक्टर और मशीनों के साथ अपनी सारी खेती का प्रबंधन कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। लेकिन चलिए मान लेते हैं।[2]

"हर गाँव में ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर और ड्राइवर किराए पर लेने के लिए हमें बहुत दूर दूसरे गाँवों जाना पड़ता है; जो हम नहीं कर सकते। मान लीजिए हम वहाँ जाने का प्रबंधन करते भी हैं, तो ट्रैक्टर का मालिक कहेगा कि उसके पास डीजल नहीं है; और पैट्रोल पंप बंद हैं। मान लीजिए उसके पास पर्याप्त डीजल है, तो ट्रैक्टर में कुछ गड़बड़ होगी (एक ट्रैक्टर बुलेट मोटरसाइकिल की तरह है जिसे हर दिन मरम्मत की आवश्यकता होती है); वह जाकर मैकेनिक को नहीं ला सकता। मान लीजिए हम एक मैकेनिक को खोजने और उसे लाने का प्रबंधन करते भी हैं; तो वह कहेगा कि उसे कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए और दुकान शहर में है। मान लीजिए हम किसी तरह शहर पहुँच भी गए, तो लॉकडाउन के कारण दुकान बंद मिलेंगी।

बड़ी संख्या में उच्च जाति के हिंदुओं ने (मैंने विशेष रूप से पूछा क्योंकि मैं उन्हें तुरंत उनके मुखौटों से पहचान नहीं सका) एक सवार की तरह एक साथ हस्तक्षेप किया।

"हम गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं। संकर नस्ल की गायों के नर बछड़े किसी काम के नहीं होते। वे कोई काम नहीं करेंगे। वे गाड़ी या हल भी नहीं खींचेंगे। हम यदि कोशिश करते भी हैं तो वे बस बैठ जाते हैं और हिलते -डुलते भी नहीं हैं। और वे मादा बछड़ों (बछीयों) से भी कहीं अधिक दूध पीते हैं। हमें अपने सभी क्रॉसब्रेड नर बछड़ों के साथ क्या करना चाहिए?"

"और किसी भी मामले में, कोई भी काम करने वाले बैल या देशी नर बछड़े को कसाई के पास नहीं भेजता है।"

"लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, यह तय करने के बजाय, सरकार को देशी नस्लों को प्रोत्साहन देना और अच्छे वीर्य के साथ बढ़ावा देना चाहिए।"

5.4 कीट और रोग

एक और बात जो हर बैठक में हमने बार-बार सुनी -

"मैंने देखा कि मेरी मूँगफली के एक छोटे से टुकड़े में लाल बालों वाली सुंडी थी। मैं बागपल्ली नहीं जा सकता था कि हम एक छोटी सी बोतल खरीद लें, जिसे हमें एक बाल्टी पानी में मिलाकर खेत पर छिड़काव कर सकें क्योंकि लॉकडाउन के बाद आज भी कोई बस सेवा नहीं है। पर मान लीजिए मैं किसी पुरानी मोटरसाइकिल पर जाने में कामयाब रहा भी तो मैंने पाया कि बाबू रेड्डी की दुकान लॉकडाउन के कारण बंद थी।

"साथ में, हमने देखा कि हमारे सभी खेतों पर एक के बाद एक हमला हो रहा है।"

5.5 परिवहन

गाँवों से चिलिंग सेंटर तक हर सुबह और शाम दूध के डिब्बे ले जाने वाली वैन को छोड़कर अन्य सभी परिवहन वाहन दो महीने से बंद थे। सब किसानों की ऐसी कहानियाँ थीं -

नीरांगतपल्ली गाँव के श्रीनाथ का कहना है:

"फरवरी में राष्ट्रीय तालाबंदी से ठीक पहले मैंने पहली बार बहुत पैसा लगाया और आधुनिक तरीकों से लाल गोभी उगाई। मैंने नई-नई तकनीकें अपनाईं और अपने कार्यकर्ताओं को भी सिखाया। फसल भी बहुत अच्छी मिली लेकिन एक भी गोभी नहीं बेच सका क्योंकि परिवहन का कोई साधन नहीं था और कोई व्यापारी गाँव में नहीं आया। दो महीने पहले, मैंने एक बार फिर गाजर उगाई। इस बार मैं अच्छी कीमत पर फसल बेचने में सफल रहा और अपने नुकसान का एक हिस्सा पूरा कर लिया। लेकिन यह 6 महीने का बहुत ही डरावना समय था।"

---

[2] The Telugu-English word they use for assumption and supposition is "Example"

देवारेड्डीपल्ली गाँव के नारायणस्वामी ने कहा, "मैंने वैसे ही धनिया की एक पूरी फसल खो दी। जिससे मेरा बहुत सारे पैसे का नुकसान हो गया ..."

मल्लीगुरकी गाँव की अनुषा, "हमने अपना अंगूर का बगीचा नष्ट कर दिया। क्योंकि यह छंटाई का समय था और मेरे पति लॉकडाउन के कारण चिकबल्लापुर से छंटाई करने वाली एक टीम नहीं ला सके। वैसे हम दोनों ने लंबे समय से कार्यकर्ताओं को कई बार छंटाई करते देखा था। इसलिए हमने इसे खुद करने का फैसला लिया। और हमने गड़बड़ कर दी। हमने हमने सभी दाख लताओं को नष्ट कर दिया गया क्योंकि हम इसे ठीक से नहीं कर पाए।

बायरप्पनपल्ली गाँव के कृष्णा रेड्डी ने अपने आप को पूरी तरह से पेड़ों की कटाई के काम में बदल लिया है। "हालाँकि मुझे मेरे आम की अच्छी उपज मिली, लेकिन मैं इस साल एक भी आम नहीं बेच सका क्योंकि कोई भी व्यापारी मेरे गाँव में आम खरीदने आ नहीं सकता था। लेकिन रुकें; मुझे अपने क्षेत्र में ज़ब्त ग्रीनहाउस गैसों से पर्याप्त कार्बन राजस्व प्राप्त हो गया था।"

पल्याकेरे एमवी गाँव के तीन लोगों ने अपने मूंगफली के खेतों पर कड़ी मेहनत की, एक ट्रैक्टर किराए पर लिया और सड़ी हुई फसल को गीली मिट्टी में जोत दिया।

कई महिलाओं का यह कहना था

"मैं जमीन के एक छोटे से हिस्से पर कुछ टमाटर, मिर्च, बीन्स, धनिया पत्ती, पुदीना और अन्य सब्जियाँ उगाता हूँ। मेरे पास कोई कुआं या कोई सिंचाई नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह प्रबंधन करता हूँ। और मैं सप्ताह में दो या तीन बार गाँव-गाँव जाकर ताजी सब्जियाँ बेचता हूँ। लॉकडाउन के दौरान अधिकारियों ने मुझे अपने गाँव में भी घर-घर जाने की इजाजत नहीं दी।

5.6 कृषि के काम में महिलाएँ

महिलाओं का एक अलग अनुभव था। आम तौर पर वे अपने बच्चों को सुबह 9 या 9:30 बजे तक स्कूल भेज देती थीं और शाम को 3:30 या 4 बजे वापस आने तक बच्चों के पालन-पोषण के कामों से मुक्त रहती थीं। उस खाली समय में वे आराम कर सकती थीं या गाय को चराने के लिए बाहर ले जा सकती थीं या कुछ और काम कर सकती थीं। फसल के मौसम के दौरान वे खेतों में काम करने जाती थीं।

इस साल, वे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर कहाँ जा सकते थे? अकेला रह गया, बदमाश घर को जला देंगे।

"खेतों में हमारा जाना हमारी यात्राओं की तरह, एक छोटी 'पिकनिक' की तरह था। जैसे - हम बस जा सकते थे और सब कुछ बर्बाद होते देख सकते थे लेकिन इसके बारे में कुछ कर नहीं करते थे। "

ऊदोलपल्ली गाँव की रावणम्मा टूट गई थीं। कुछ रुककर थोड़ी देर बाद, पूरी तरह से एक हारी हुई और रो देने वाली आवाज में उसने कहा, "जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैं अपने भाई के बच्चों को अपने साथ रखने के लिए शहर से अपने गाँव में ले आयी, ताकि वे कोरोना से सुरक्षित रहें। और एक दिन चारों लड़के तैरने के लिए पास के एक तालाब में चले गए। मेरे बेटे और वे सिर्फ 11 और 12 साल के थे, यह एक झील भी नहीं थी। बल्कि सिर्फ एक तालाब था।"

6.0 बच्चों की स्कूली शिक्षा

हर एक बैठक में भगदड़ मच जाती है जब भी कोई अपने बच्चों के बारे में बोलना शुरू करता है तो क्रमबद्ध /व्यवस्थित प्रवचनों को छोड़ दिया जाता है। यह स्पष्ट था कि चाइल्ड-केयर उनकी सामूहिक चिंताओं में सर्वोच्च स्थान पर था, यहाँ तक कि वित्त और आजीविका से भी ऊपर। दुनिया का सामना करने के लिए एक पीढ़ी को तैयार करना हमारी प्राथमिकता में नंबर एक पर था। क्योंकि यही वह चुनौती है जिसे वे हमारे साथ साझा करने आए थे।

इसके बाद के अनुभवों और चर्चाओं का वर्णन कहीं भी संरचित और व्यवस्थित नहीं था जैसा कि अब मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा।

"पिछले आठ महीनों में जो सबसे बुरी चीज हुई है वह हमारे बच्चों की शिक्षा है। बाकी सब कुछ हमने किसी तरह प्रबंधित कर लिया है। लेकिन अपने बच्चों को स्कूल से बाहर देखना वाकई बहुत मुश्किल है। वे हमेशा और केवल गलियों में खेल रहे होते हैं। जैसे ही हम पढ़ाई का जिक्र करते हैं, तो उनके चेहरे उदास हो जाते हैं और

अगर उन्हें अपनी किताबों के साथ बैठने के लिए जोर देते हैं, तो वे उदास लगाने लगते हैं। वे अब छात्रों की तरह दिखते नहीं हैं।"

माताओं ने शिकायत की, "उन्हें हर समय घर में कैद करके रखना असंभव है। वे चुपके से निकल जाती हैं और कई तरह की परेशानी में पड़ जाती हैं। भगवान जानता है कि उन्होंने कौन सी बुरी आदतें अपनाई हैं।"

"कुछ निजी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं। लेकिन हममें से ज्यादातर लोगों ने किसी तरह अपने बच्चों को इन 'कॉन्वेंट' स्कूलों में भर्ती तो करा दिया है, लेकिन हम ये फैंसी (स्मार्ट) मोबाइल नहीं खरीद सकते। हमारे पास केवल साधारण फोन हैं स्मार्टफोन नहीं। और वे इस तरह बिना स्मार्ट फोन के क्या सीखते होंगे? कृपया हमें बताएँ कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम अपनी विवेक से कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर हमारी बुद्धि भी काम नही कर पा रही है।"

बाल केंद्र के शिक्षक ने कहा, कि "बच्चे पिछले साल सीखी गई हर एक बात को भूल गए हैं। उनका पढ़ने का कौशल शून्य हो गया है और अब वे 3, या 4, का टेबल भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं।

"वे कहते हैं कि इस साल सभी बच्चों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया जाएगा। लेकिन एक बच्चा छठी कक्षा में क्या करेगा। जब उसने अपनी 5वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम से कुछ नहीं सीखा है?"

हम सब इस बात पर सहमत हुए कि चर्चा में कुछ नए विचार रखने और इस महत्वपूर्ण समस्या को समझने के लिए हमें शायद अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को तीन अलग-अलग मुद्दों में विभाजित करने की आवश्यकता है :

1) सरकारी स्कूलों में प्राथमिक बच्चे
2) निजी स्कूलों में प्राथमिक बच्चे[3]
3) हाई स्कूल में बड़े बच्चे और कॉलेज में युवा

6.1 सरकारी स्कूलों में प्राथमिक बच्चे

सभी इस बात से सहमत थे कि ड्रॉपआउट्स बच्चों के पुन: प्रवेश के हमारे 40 साल के लंबे प्रयासों के बावजूद भी उनमें से एक भी नहीं रुक सका था। एक या दो साल के लिए स्कूल से निकाले गए बच्चे के 10 साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए वापस आने का एक भी मामला नहीं है।

हो सकता है कि युवा लड़कों को भेड़ चराने या सब्जी के बगीचे में काम करने या मैकेनिक की दुकान में काम करने के लिए बाहर भेजा गया हो। एक भाई की मदद करने के लिए छोटी लड़कियों को बाहर काम करने को भेजा जाता है। कोरोनावायरस ने एक पूरी पीढ़ी को पूरे एक साल के लिए स्कूल से बाहर कर दिया है और कौन जानता है, कि हो सकता है शायद दो साल के लिए भेजा गया हो।

इस पर महिलाओं ने तुरंत कहा, "यह कितना सच है! जब एक 10-12 साल के लड़के को मैकेनिक या चाय की दुकान में काम करने के बाद दिन के अंत में शाम को 25-30 रुपये मिलते हैं, तो वह एक तरह स्वतंत्र हीरो बन जाता है और बहुत खुश होता है। और उस शाम को उसे कोई रोक नहीं सकता।"

"आह! और अगर उसे हर शनिवार ₹150-180 की साप्ताहिक मजदूरी मिलती है…" तो वह और खुश होता है।

बुजुर्गों ने थरथराते और कंपकपाती हुई सी आवाज में कहा, "भेड़ और बकरियों के झुंड के पीछे की दुनिया बहुत ही नीरस और उबाऊ होती है यह सचमुच दिमाग को मार देती है।

"बच्चों को दोष क्यों? हमारे बारे में क्या है? क्या आपको 40 साल पहले कुली संघ में आयोजित वयस्क साक्षरता कक्षाएँ याद हैं? जब हमारे समय में पेट्रोमैक्स लालटेन, स्लेट और ब्लैकबोर्ड होते थे। हम में से किसी ने भी अपना नाम तक लिखना या बोर्ड पढ़ना नहीं सीखा था! केवल बचपन ही पढ़ने और सीखने का समय होता है।"

[3] The so-called "convent schools"

मैंने 40 साल से कम उम्र की लड़कियों को उनकी मां द्वारा स्कूल भेजे जाने के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाकर चर्चाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की।

> *"यहाँ बैठी आप में से हर एक युवा महिला ने स्कूली शिक्षा के 10 साल पूरे कर लिए हैं। तब ही तुम यहाँ इस सभा में बैठने आए हो। कुली संघ ने 65,000 से अधिक स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में मदद की, जिनमें से ठीक आधी लड़कियाँ थीं। उनमें से 70% बच्चों ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, और उनमें भी आधी लड़कियाँ हैं। मुझे बताओ, क्या यह ADATS (कृषि विकास और प्रशिक्षण समिति) या आपकी महिला बैठकों के कारण हुआ है?"*

प्रत्येक बैठक में लगभग सभी ने, "ADATS बाल कार्यक्रम" का उत्तर दिया। परन्तु हमेशा की तरह मैं इस राजनीतिक रूप से सही प्रतिक्रिया से पूरी तरह असहमत था।

> *"ADATS ने कुछ नहीं किया। परियोजनाओं और कार्यक्रमों से कुछ हासिल नहीं होता। आपके लिए, किताबें, कपड़े खरीदने और बालेंद्र शिक्षक वजीफा देने के लिए भी पैसा काफी हद तक आपके संघ फंड से था। माता-पिता ने एक भी NGO कार्यक्रम में 'भाग नहीं लिया'। बस उन्होंने अपना खुद का कार्यक्रम चलाया और ADATS ने तकनीकी सहायता से मदद की।*

> *"आपकी माताओं के जिद्दी दृढ़ संकल्प ने ही आपको स्कूल भेजा और पूरे 10 साल तक आपको स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। ताकि आप कभी भी उनके जैसे (अनपढ़) न बनें। आपको जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए और आपको अपने घरों में जायदाद /संपत्ति नहीं बनना चाहिए। आपको हमेशा हर सुबह अपने पति के पैर नहीं छूना चाहिए और जो कुछ भी आप करते हैं उसके लिए हमेशा उनकी अनुमति नहीं लेनी चाहिए। आपको स्वतंत्र होना चाहिए, और अगर आप चाहें साम करने के लिए बैंगलोर जा सकती हैं, आप जो चाहें पहन सकती हैं, अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं और आप हर मामले में पुरुषों के बराबर हो सकती हैं।*

यह उनका परिपक्वता का ही श्रेय था कि सभाओं में बड़ी उम्र की महिलाओं ने भी मेरे भावनात्मक प्रकोप पर ध्यान दिया लेकिन एक सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखी। लेकिन मैंने महसूस किया कि वे उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे जिसे वे एक स्व-स्पष्ट सत्य के रूप में जानते थे, लेकिन हम ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते थे। कुछ मौन क्षणों के बाद, जब यह स्पष्ट हो गया कि वे डेरा नहीं डालेंगे, तो मैंने अपना वक्तव्य जारी रखा:

> *"आज हम जिस वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं, वह एक पूरी पीढ़ी का नुकसान है। सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका असर होगा। गाँवों में सिर्फ गरीब परिवार ही नहीं होते, बल्कि सभी तरह के लोग होते हैं। अगले 35 वर्षों में दुनिया में एक आबादी अशिक्षित होगी।*

"लड़कियाँ लड़कों की तुलना में अधिक हिट होंगी। आप अपनी बेटियों में कम उम्र में विवाह, अधीनता और गरिमा और आत्मविश्वास की कुल हानि का पुनरुत्थान देखेंगे।

"वहीं दूसरी ओर, लड़के, जैसा आप खुद कहा कि लडके 'हीरो' बन जाएँगे और जब तक वे शादी नहीं कर लेते, तब तक युवावस्था में ही बढ़ते जाते हैं, फिर उनके अपने बच्चे होते हैं और वे जिम्मेदारियों का सामना करते हैं। और उसके बाद, वे आपके पिता और दादा की तरह मर्दाना लक्षण विकसित करेंगे, और फिर वे जीवन में दयनीय असफलताओं के लिए पत्नियों को दोष देंगे।"

फिर वहाँ एक अजीब सा स्तब्ध करने वाला सन्नाटा था जोकि मौन स्वीकृति में आता है। मैंने पालन-पोषण पर अपने वाक पटु प्रवचनो को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था।

"ज्यादातर पिता अपनी बेटी की शिक्षा में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। वे अपने बेटों में केवल उन्हीं मूल्यों को हस्तांतरित करते हैं जिनके द्वारा वे जीते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बेटे केवल उनकी ही छवियों में विकसित हों उन्हीं की तरह बनें। यह तो केवल माताएँ हैं जो आंतरिक रूप से समझती हैं कि 'शिक्षा' का क्या महत्त्व है; कि यह मुक्तिदायक प्रक्रिया है जिससे उसका बच्चा नया ज्ञान प्राप्त करता है और जिसके द्वारा अपना एक व्यक्तित्व और एक विशिष्ट पहचान विकसित करता है।

"अब यह आप पर निर्भर है, और बालकेन्द्र के शिक्षकों और युवा माताओं को यह सुनिश्चित करना है कि एक पूरी पीढ़ी बर्बाद न हो। कुली संघ में नागफनी वुड्स का गाँव (VHW) और वृद्ध महिलाओं ने अपना काम किया है। इसलिए इस सब को उलटने न दें।"

6.2 कार्य योजना

i. इस वर्ष, सरकार ने जून 2020 में स्कूल वर्ष की शुरुआत में सभी छात्रों को सभी विषयों के लिए कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति की है।

ii. सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने पेड़ों के नीचे, मंदिर के बरामदे आदि में कुछ घंटों की कक्षाएँ संचालित करना शुरू कर दिया है। "हम मोटा सरकारी वेतन नहीं ले सकते" और घर पर बैठ सकते हैं, जबकि हमारे बच्चे बर्बाद हो गए हैं" उनमें से एक विशाल बहुमत की वास्तविक भावना है।

iii. बालकेन्द्र शिक्षक, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा, कुछ घंटों के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए "प्रबंधकों" के रूप में जब सरकारी शिक्षक गाँवों में जाते हैं, तो इस कार्य के लिए इन सरकारी शिक्षकों का समर्थन करना चाहिए बच्चों से कक्षा के बाद उनका गृहकार्य करवाना चाहिए आदि।

iv. ग्राम कुली संघ इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कराया जाए और शारीरिक दूरी बनायी रखी जाए, और स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।

और आखिर में बूढ़ी महिलाएँ खुल कर बोलने लगीं :

"कानून सख्त हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बच्चों को नहीं पीटना चाहिए। लेकिन यह कानून बालकेन्द्र शिक्षक पर लागू नहीं होता है। हम आपको (बालकेन्द्र शिक्षक) अधिकार देते हैं। कि माताओं के अधिकार की तरह और मौसी के अधिकार की तरह मारो! हर समय अपने हाथों में एक मजबूत छड़ी रखें! बच्चों को इतना आतंकित करें कि जैसे सरकारी स्कूल फिर से खुलें वे नियमित रूप से स्कूल वापस जाने के लिए बेताब हो जाएँ!"

हर कोई खिलखिलाकर हँस पड़ा, लेकिन मैं इन शब्दों के पीछे की समझदारी को समझ गया था, दशकों से गाँवों की हजारों माताओं से मैंने एक प्रमुख अभिभावक का सबक सीखा है कि जब छोटे बच्चों को डांटा जाता है या यहाँ तक कि "बुरे लड़के" की चीजों के लिए मारा जाता है, जो चीजें या काम वे "बुरे लड़के" करते हैं, उसे वे जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं और आपके द्वारा डाँटने पर जल्दी से पीछे हट जाते हैं, लेकिन अगर उनकी बिना किसी गलती के उन पर चिल्लाया गया, तो वे केवल माता-पिता का अधिकार मानते हुए, उस पर विद्रोह कर देते हैं।

6.3 प्राइवेट स्कूलों में प्राथमिक बच्चे

इसके विपरीत हमारी सलाह के बावजूद एक चौथाई से अधिक कुली संघ समर्थित बच्चे निजी/प्राइवेट स्कूलों में नामांकित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूली माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करें। हालाँकि, शिक्षकों को कम वेतन देने वाले ये कम वित्त पोषित निजी स्कूल निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

> *कोंडोरापल्ली के लोगों ने कहा, कि "हमने अपने अधिकांश बच्चों को एक निजी स्कूल में स्थानांतरित करा दिया और इसलिए सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या घटकर केवल 13-14 छात्रों तक रह गई, जिससे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को हमारे गाँव के सरकारी स्कूल को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल भी बंद हो गए क्योंकि हमने फीस का भुगतान नहीं किया और वे शिक्षक का वेतन नहीं दे सके। अब हमारे बच्चों कहीं नहीं जा रहे है।"*
>
> *रासचेरुवु के किसी व्यक्ति ने कहा, "हमें याद है कि हम उन्हें सरकारी स्कूल नामांकित नहीं कराने के लिए कह रहे थे। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी..."*
>
> *लॉकडाउन के बाद, केवल कुछ बड़े निजी स्कूलों ने तथाकथित ऑनलाइन कक्षाओं का प्रयास किया है, जो वास्तव में जूम और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आयोजित की जाने वाली नियमित कक्षाएँ हैं, शैली या पदार्थ में कोई भी परिवर्तन किए बिना।*
>
> *"हमने बड़ी मुश्किल से अपने एक बच्चे को ₹12,000 में एक स्मार्टफोन लेकर दिया है। हमारे तीन बच्चे है। अब आप बताइये कि मैं दो और स्मार्टफोन कैसे खरीद सकता हूँ? और सबसे सस्ते डेटा प्लान की कीमत भी ₹120 प्रति माह है। उस पर भी आधा समय हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। जब कनेक्शन होता है, तो वह अपने दोस्तों के साथ सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलता है और YouTube देखता है।"*
>
> *"इड्डीलीवरिपल्ली की सोनिया सातवीं कक्षा में पढ़ती है। और स्मार्टफोन पर ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेती है। जिससे उसने अपनी आँखें खराब कर ली हैं और अब उसे लगातार सिरदर्द हो रहा है।"*
>
> *"उसी गाँव के भानु प्रकाश छठी कक्षा में हैं। उसका स्मार्टफोन ठीक से काम नही कर रहा उसमे कुछ समस्या है, इसलिए वह अपना काम नहीं कर पा रहा है वह अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने दोस्त के फोन का इस्तेमाल करता है। जिसके नतीजतन, वह क्लासेस नियमित नहीं कर पा रहा है, कुछ कक्षाओं को वह पढ़ पा रहा है, और कुछ कक्षाओं को उसे मजबूरी वश छोड़ना पड़ता है।"*
>
> *ओंगरलापल्ली के एक अभिभावक ने कहा, "हमने अपने गाँव के आठ बच्चों को एक निजी स्कूल में भर्ती कराकर एक बहुत ही बड़ी गलती की है। स्कूल के शिक्षक गाँव के इकलौते स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप पर अलग-अलग कक्षाओं के सभी आठ बच्चों को पाठ और गृहकार्य करने के लिए भेजते हैं। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि संदेश क्या में क्या हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को गेंद की तरह इधर से उधर एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास दौड़ -भाग करते हुए देख सकते हैं। इसलिए सिर्फ भगवान जानता है कि वे क्या पढ़ रहे हैं!*
>
> *"आजकल हर किसी को अपने काम के लिए एक स्मार्टफोन/ मोबाइल फोन की जरूरत होती है। दुकानदार, ऑटो चालक, बढ़ई, राजमिस्त्री, यहाँ तक कि सब्जी विक्रेता भी सभी के लिए। और अगर हम अपने फोन अपने बच्चों को उनकी कक्षाओं के लिए देते हैं, तो हम हमारे माल के ऑर्डर और ग्राहकों को खो देते हैं। जिससे हमारा व्यापार प्रभावित होता है।"*

मैंने 5 वीं कक्षा में 10 वर्षीय जिमी के साथ पिछले आठ महीनों का अपना अनुभव साझा किया। वह एक अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल में हैं, क्योंकि मैं उसके पाठों में मदद नहीं कर पाऊँगा यदि वे किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। ADATS परिसर में पर्याप्त उपकरण और एक अच्छी कनेक्टिविटी होने के बावजूद, यह सुनिश्चित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है कि वह ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेता है, पाठ को समझता है, अपने नोट्स लिखता है, अपना होमवर्क करता है और हर शाम इसे समय पर जमा करता है।

"तुम्हारे साथ लिए मुझे उसे दिन में 3-4 बार खेल के मैदान से लाने के लिए 15-20 बार उसका नाम चिल्लाना पड़ता है। कक्षा शुरू होने से ठीक पहले वह कहता है कि उसके नेक्सस टैब की बैटरी खत्म हो गई है क्योंकि वह और उसके दोस्त YouTube पर ब्रेकडांस देख रहे थे, और उसे चार्जर नहीं मिल रहा था। कक्षा में दस मिनट में ही नेटवर्क ख़त्म हो जाता है और मुझे उसे अपने फोन से हॉटस्पॉट कनेक्शन देना पड़ता है। और इस तरह 40 मिनट की आधी क्लास बर्बाद हो जाती है और बच्चे चिल्लाते हैं कि 'यह अटक रहा है[4] *मैम! हम बोर्ड नहीं देख पा रहे हैं।' और शिक्षक वापस चिल्लाते हुए 'चुप रहो और अपनी आवाज बंद करो'।*

"एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं उनके गृह अध्ययन के दौरान अपना आपा नहीं खोता।[5] *और फिर एक दिन पूरी तरह से हताशा में, मैंने यह कहकर एक प्रमुख गलती की, कि 'मैं अब थक गया हूँ और तंग आ गया हूँ, जिमी! क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको एक चतुर लड़का बनाऊँ, या फिर क्या आप जीवन भर खेलना और सिर्फ खेलना ही चाहते हैं?' फिर उन्होंने शांति से उत्तर दिया, 'जाओ, जाओ और खेलो', उन्होंने अपनी किताबें बंद कर दी और "खुले मुंह" मुझे छोड़ कर बाहर चले गए।*

हर बार जब मैंने यह बताया, कि मुझे 10 साल के बच्चे को इस तरह का विकल्प देने के लिए कितना मूर्ख होना चाहिए! माताओं के साथ विनम्रता से यह इंगित करने से परहेज करते हुए, तो बैठकें हँसी के साथ गर्जना करती थीं।

जिमी के होम स्कूलिंग कार्य के साथ अपने स्वयं के अनुभवों के अपनी सहजता के साझाकरण को देखते हुए, अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने सहानुभूति से सहानुभूति को अलग करने वाली पतली रेखा को भी पार कर लिया था। सहानुभूति किसी की पीड़ा के लिए दूसरे की चिंता है। सहानुभूति समझ से परे जाती है; यह समान भावनाओं का अनुभव कर रही है। इसने पालन-पोषण, खाली हाथ घर लौटने वाले युवाओं की तीखी आलोचना और नरेगा को भ्रष्ट करने में कुली संघ के युवाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर मेरे कई भावुक आक्रोशों को बल दिया। मुझे करीब से जानने और चार दशकों से भी अधिक समय से मेरे आदर्शवाद को झेलने के बाद, शायद यही वे क्षण भी थे जिनका वे इंतज़ार कर रहे थे।

"ऑनलाइन कक्षाएँ एक विकल्प नहीं हैं। यह केवल अमीर परिवार ही हैं जो उन्हें वहन कर सकते हैं। और वह भी एक ही परिवार के सभी बच्चों के लिए नहीं।"

"केवल सभी बच्चों को पास करना और उन्हें अगली शैक्षणिक कक्षा में भेजना भी कोई विकल्प नहीं है। सभी को दोहराने के लिए कहा जाना चाहिए था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बच्चों की एक पूरी पीढ़ी 16 साल की मानक उम्र के बजाय 17 या 18 साल की उम्र में स्कूली शिक्षा खत्म कर लेती है?"

अब सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि सभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को वापस सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया जाए, शिक्षकों का समर्थन किया जाए, स्कूल प्रबंधन समितियों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाए और सरकार के साथ लॉबी की जाए कि सभी बच्चों को अगले साल दोहराने की जरूरत है।

6.4 हाई स्कूल में बड़े बच्चे और कॉलेज में युवा

आठवीं, नौवीं और दसवीं कक्षा के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने में बहुत देर हो चुकी है और इसलिए वही कार्य योजना काम नहीं करेगी। हाई स्कूल के बच्चों को अपने नोट्स/ असाइनमेंट प्राप्त करने और परीक्षण लिखने के संदेह को दूर करने के लिए सप्ताह में एक बार व्यक्तिगत बातचीत के लिए अपने स्कूलों का दौरा करना पड़ता है। सौभाग्य से अब तक शिक्षक या छात्र के संक्रमित होने का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

इड्डीलीवरिपल्ली गाँव की भावना दसवीं कक्षा में है। और पढ़ाई के लिए उसे हर दिन चेलूर शहर के हाई स्कूल जाना पड़ता है। उसके परिवार को उसे स्कूल लेकर जाने और आने के लिए अपनी एक गाय बेचनी पड़ी और एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदनी पड़ी।"

"नानजी रेड्डी की कॉलेज में दो बेटियाँ हैं - एक बी.ए. प्रथम वर्ष और दूसरी प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स की छात्रा हैं। लेकिन उनके पैतृक गाँव बोम्मईगरीपल्ली में कोई इंटरनेट कवरेज नहीं है। इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं में भाग

---

[4] If "Googling" has found its way into the dictionary, here is another one that richly deserves to be included.

[5] To be perfectly honest, I have paradoxically maintained my sanity in these insane times precisely because this child drives me crazy on a regular basis every single day. And then, after the ritual "**अब टीवी टेखने का मेरा टाइम है।**" fight with Mario, at bedtime we have our warm re-affirmative exchanges.

लेने के लिए लड़कियों को अपने साझा स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट टॉवर की ओर जाना पड़ता है। और उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हुए, कुछ चट्टानों की छाया में, सड़क के किनारे बैठे देखना एक आम दृश्य है।"

"जी. चेरलोपल्ली गाँव के कृष्णमूर्ति के दो बेटे हैं। एक आठवीं कक्षा में और दूसरा 10 वीं में। बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें एक स्मार्टफोन दिलाया लेकिन उन दोनों की क्लास एक ही समय पर है। इसलिए उन्हें बड़ी परेशानी होती है और इसके अलावा, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अनिश्चित है।"

कॉलेज फिर से खुले, बंद हुए और फिर खुल गए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या सार्वजनिक परिवहन की कमी है।

"मैंने अपनी बेटी को बी.ए. में एक साल गँवाने के लिए मना लिया। मैंने उससे वादा किया है कि मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि वह अपना कोर्स पूरा कर ले, भले ही इसमें एक साल और लग जाए।

"मैंने अपने बेटे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए बेल्लारी भेजा, पर मैं सचमुच डर गया था।"

7.0 महात्मा गांधी - राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम

हर एक बैठक में उन्होंने तालाबंदी के दौरान नरेगा कार्यों को नकदी के एकमात्र स्रोतों में से एक के रूप में बताया, लेकिन मैंने कुछ दावों को संदिग्ध बताकर चुनौती दी।

मैंने उन्हें याद दिलाया कि पहले दो या तीन वर्षों के लिए प्रभावशाली रिसाव मुक्त नरेगा कार्यों को ठीक उसी तर्ज पर निष्पादित किया गया था जैसे कि अभी बंद शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम (DLDP) किया गया था। उसके बाद कुली संघ के युवाओं ने खुद ग्राम पंचायत के अधिकारियों के साथ मिलकर जॉब कार्ड "खरीदने" बैंक खाते का विवरण एकत्र करने, रिकॉर्ड में हेरफेर करने और नरेगा मजदूरी निकालने की साजिश रची थी। बदले में उनके "ग्राहकों" को कोई काम न करने के लिए एक हिस्सा मिलता था।[6]

"यह आपकी मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता था", मैंने एक कठोर और तीखी फटकार के साथ मौजूद युवाओं से कहा, "कोई भी बाहरी व्यक्ति कुली संघ इकाई (CSU) सदस्यों को जॉब कार्ड और बैंक विवरण सौंपने के लिए राजी नहीं कर सकता था।"

"और आप वयस्कों को इतना गर्व महसूस होता कि आपके बेटे इतने बड़े 'उद्यमी' थे, है ना? बिल्कुल राजनीतिक दल के नेताओं की तरह। पर मेरा सवाल यह है कि आप इस साल अचानक से जीवनरक्षक नरेगा मजदूरी कैसे प्राप्त करने में सफल रहे इसकी क्या आवश्यकता थी?

काफी छानबीन के बाद हमने हिसाब लगाया, कि नरेगा के काम 94 गाँवों में से केवल 84 में ही किए गए थे। महामारी के दौरान जीविका के एकमात्र स्रोतों में से एक होने के बावजूद 270 रुपये प्रति दिन की मजदूरी के बावजूद, सभी कुली संघ परिवारों को सरकार द्वारा हर साल 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी का लाभ नहीं मिल पाया।

वास्तव में, केवल 17 गाँव ही 80 फीसदी हक पाने के करीब पहुँच पाए, जबकि ज्यादातर गाँव आधे से भी कम तक ही पहुँच सके।

ग्राम पंचायत	नरेगा में संचालित	दिनों की संख्या	औसत दिन
राचेरुवु, बिलूर, थिम्ममपल्ली और गोरथापल्ली ग्राम पंचायतें	14 गाँव	588	42
मारगनाकुंटा, गुलूर और कोठाकोटा ग्राम पंचायतें	17 गाँव	1,335	79
जुलापाल्या और पाल्याकेर ग्राम पंचायतें	23 गाँव	805	35
कनागमकलपल्ली और मित्तेमरीक ग्राम पंचायतें	11 गाँव	370	34
सोमनाथपुरा और वेंकटपुरा ग्राम पंचायतें	19 गाँव	1,022	54
कुल ग्राम पंचायतें	84 गाँव	4,118	49

[6] Please see the Postscript on our webpage at https://adats.com/home/dldp

कोठाकोटा ग्राम पंचायत के लोगों ने कहा, "आप जो कहते हैं वह आम तौर पर सच होता है, लेकिन हम अपने गाँवों में अपनी बात से कभी नहीं फिसले। हम यह कभी नहीं भूले और न ही भूलेंगे, कि यह हमारी 22 साल की शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम (DLDP) थी जिसे राजीव गांधी ने देखा था और पूरे देश में रोज़गार गारंटी अधिनियम लाने का विचार किया था। चाहे जो भी पार्टी सत्ता में हो, लेकिन हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने हमारे लिए क्या किया था।

"पिछले 10 वर्षों से हमने शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम (DLDP) की तरह ही नरेगा के कार्यों को भी लागू किया है। बिना भ्रष्टाचार के, बिना ट्रैक्टर और जेसीबी के, और बिना 'मटेरियल सप्लाई' बिल के। इसलिए हमें इस साल भी तीन-चौथाई से अधिक का लाभ मिला है और साल में अभी भी 4 महीने बाकी हैं।

मार्गनाकुंटा ग्राम पंचायत के लोगों ने कहा कि "हमारे गाँवों में भी ऐसा ही है। लेकिन हम अपनी निजी जमीनों और गाँवों में वह काम नहीं कर पाए जो हम खुद चाहते थे। क्योंकि कार्यों का चुनाव कहीं न कहीं तैयार और वह हम पर थोपी गयी कार्य योजनाओं द्वारा तय किया गया है। लेकिन उन कामों को करते हुए भी हमने मशीनों के इस्तेमाल और 'सामग्री की आपूर्ति' का हमेशा विरोध किया है।

"जब उन्होंने कहा कि हर प्रकार के काम के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, हमने कहा, 'ठीक है! लेकिन हम आपको हमारी 100 दिनों की वेतन पात्रता को कम करने की अनुमति नहीं देंगे।"

मैंने यह कहने के लिए हस्तक्षेप किया कि मेरी जानकारी के अनुसार नरेगा के नियम नहीं बदले हैं। अधिकारियों से जो भी काम आप मांगते हैं उसे फॉर्म नंबर: 6 में कहीं भी और कभी भी क्यों स्वीकार करना होगा। इसके अलावा ठेकेदारों की तरह पीस रेट मजदूरी के भुगतान की अनुमति नहीं है। उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए भी मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है जो केवल कार्यस्थल पर आकर घूमकर प्रबंधन का कार्य देखते हैं।

कोठाकोटा गाँव के लोग इस बात से पूरी तरह सहमत थे, "आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं! लेकिन यह तभी हो पायेगा जब हमारी ग्राम पंचायतों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होगा। अगर हम चुनाव के दौरान लापरवाह रहे तो हमें पूरे 5 साल तक उसके दुष्प्रभाव परिणाम भुगतने होंगे।

8.0 कुली संघ

प्रत्येक बैठक में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक चिंता पर प्रत्येक कथा में इस तथ्य का पुन: दावा था कि वे जाति समुदाय और धर्म में अपनी एकता और पारस्परिक समर्थन के बिना कामयाब नहीं हो सकते थे। व्यक्तित्व उस समुदाय का परित्याग नहीं था जो संकीर्ण पहचानों से ऊपर उठ रहा था।

"इस बार सदस्यता में वृद्धि होगी। सभी जानते हैं कि वे कुली संघ के बिना जीवित नहीं रह सकते। छूटे हुए परिवार वापस आएँगे और कई नए परिवार भी जुड़ेंगे।

मैंने जवाब दिया, "नहीं। हम सदस्यता अभियान पर नहीं हैं। आप में से कुछ ही जो कुली संघ के मूल्यों और विचारधारा से जुड़े हुए हैं, बस वही काफी हैं। सभी को दिखाएँ कि आपने अभी क्या कहा है कि यह केवल एक-दूसरे की सच्ची देखभाल है जो सभी को महामारी से उबरने में मदद कर सकती है। उस स्वार्थी अमानवीयता को नहीं जो इस कोरोनावायरस में सामने आयी है।"

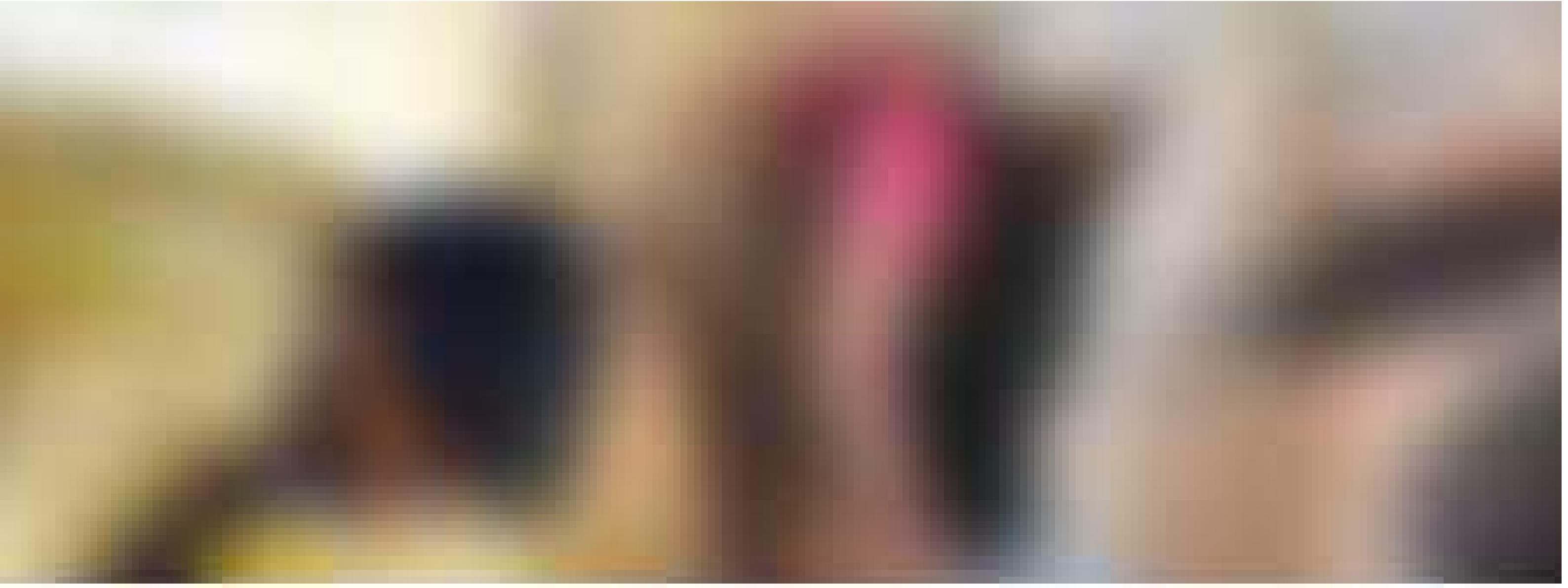

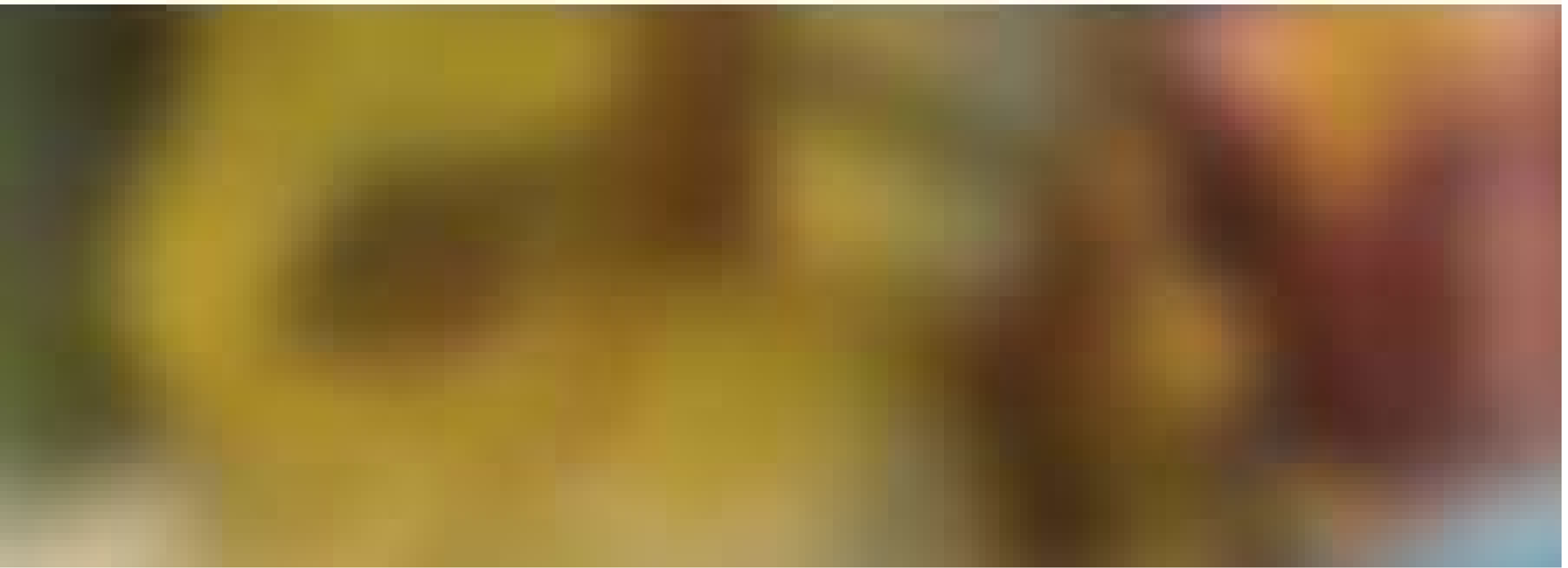

मैला ढोने वालों के रूप में रोज़गार के निषेध की समीक्षा और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

- अर्नब बोस

1.0 परिचय

हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया में बिना फ्लश सिस्टम के बने खुले गड्ढों, नालियों, सूखे शौचालयों या शौचालयों से मानव मल की सफाई, का प्रबंधन या निपटान शामिल है। सदियों पुराने सामंती और जाति-आधारित रीति-रिवाजों के अनुरूप, भारत के अधिकांश हिस्सों में हाथ से मैला ढोने वाले अभी भी दैनिक आधार पर मानव अपशिष्ट एकत्र करते हैं, इसे बेंत की टोकरियों या धातु के कुंडों में लोड करते हैं, और समझौता के अनुसार इसे अपने सिर पर रखकर निपटान के लिए बाहरी इलाके में ले जाते हैं।मैला ढोने वाले आमतौर पर जाति समूहों से होते हैं जिन्हें प्रथागत रूप से जाति पदानुक्रम के नीचे तक ले जाया जाता है और उच्च जाति समूहों द्वारा इन्हें बहुत कम समझे जाने वाले आजीविका कार्यों तक ही सीमित रखा जाता है। उनका जाति-निर्दिष्ट व्यवसाय सामाजिक कलंक की पुष्टि करता है कि वे अशुद्ध या अछूत हैं और व्यापक भेदभाव को कायम रखते हैं।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की केंद्र सरकार ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए विधायी और नीतिगत प्रयासों को अपनाया है। हालाँकि, क्योंकि इन नीतियों को ठीक से लागू नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रथा देश के कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैली हुई है। इंटरनेशनल दलित एकता नेटवर्क के अनुसार लगभग 12 लाख लोग जिनमें ज्यादातर दलित समुदाय की महिलाएँ हैं, हाथ से मैला[1] ढोने का काम करती हैं। पिछली नीतियों की विफलताओं को ध्यान में रखते हुए, 2013 में मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजर्स के पिछले रोज़गार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 में संशोधन करके अधिनियमित किया गया था। संशोधन के परिणामस्वरूप उन सभी लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने पर्याप्त शारीरिक सुरक्षा के बिना काम किया और मानव मल अपशिष्ट[2] को मैन्युअल रूप से साफ करने के लिए सीधे मानव संपर्क के माध्यम से काम किया। इसने मानव मल के मैनुअल ले जाने से लेकर सभी सीवरेज और सेप्टेज श्रमिकों तक की परिभाषा का विस्तार किया, जो पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपकरणों के बिना मानव मल के सीधे शारीरिक संपर्क में आ सकते हैं। इस अधिनियम को गेम चेंजर माना जा रहा था। लेकिन सात साल बीत जाने के बाद भी इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इस पत्र का उद्देश्य भारत में हाथ से मैला उठाने की प्रथा की समीक्षा करना और 2013 के अधिनियम के कार्यान्वयन में प्रमुख मुद्दों को उजागर करना है, जिसने इसे अप्रभावी बना दिया है।

2.0 एक संक्षिप्त इतिहास

भारत में अस्पृश्यता की यह समस्या लगभग दो हजार साल पहले की है, जो श्रम के कड़ाई से परिभाषित विभाजन पर आधारित है। अस्पृश्यता की उत्पत्ति दलित वर्गों के जीवन पर लगाए गए प्रतिबंधों में निहित है, जिसमें विभिन्न रूपों में अन्य पिछड़े वर्गों के बीच अछूत शामिल थे। इस समूह को अछूत मानने का मुख्य कारण मुख्य रूप से उनके उनके रहन -सहन और अस्वच्छ व्यवसायों जैसे मैला ढोने का काम है। 19वीं शताब्दी के मध्य से इन अछूतों के जीवन को बेहतर बनाने के अनेक प्रयास किए गए लेकिन बहुत बाद तक कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई। 1901 में, तत्कालीन जनगणना आयुक्त, Sir Herbert Hope Risley ने जनगणना के आंकड़ों को उनके सामाजिक पदानुक्रमों[3] के अनुसार सात प्रमुख जाति श्रेणियों में वर्गीकृत किया। उत्तर भारत के भंगी, बाल्मीकि, चुहरा, मेहतर, मझबी, लाल बेगी, हलालखोर आदि जैसे विभिन्न राज्यों में मैला ढोने वाली जातियाँ जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता था; पूर्वी भारत में हर, हादी, हेला, डोम और सानेई आदि; दक्षिणी भारत में मुखिया, थोटी, चचती, पके, रेली आदि; और मेहतर, भंगिया, हलालखोर, घासी, ओलगना, जदमल्ली, बरवाशिया, मेतारिया, जमफोड़ा और मेला आदि। पश्चिमी और मध्य भारत में भी एकजुट

---

[1] https://idsn.org/wp-content/uploads/2017/10/Submission-Caste-and-Gender-Based-Sanitation-Practice-of-Manual-Scavenging-in-India.pdf

[2] https://www.prsindia.org/uploads/media/Manual%20Scavengers/Brief--manual%20scavenging,%202013.pdf

[3] Srivastava, B.N. (1997). Manual Scavenging in India: A Disgrace to the Country. New Delhi: Sulabh International Social Service International and Concept Publishing

होने और एक सामान्य नाम[4] रखने का प्रयास किया। "तत्पश्चात 1927 में, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, जो सामाजिक सुधार के इस कारण को उठाने के लिए अग्रणी चैंपियन थे, ने अस्पृश्यता[5] के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के मद्देनजर, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री Mac Donald ने एक सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप वंचित वर्गों[6] को एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया।
उस समय गांधी इस फैसले के सख्त खिलाफ थे और उनका मानना था कि वंचितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल देने से भारत के लोगों[7] के बीच विभाजन होगा। गांधी के प्रतिरोध को देखते हुए अम्बेडकर ने संयुक्त निर्वाचक मंडल का एक अलग प्रस्ताव और दलित वर्गों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव रखा। इसके बाद गांधी ने खुद को दलित वर्गों के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया, जिन्हें वे 'हरिजन' या भगवान की संतान कहने लगे। गांधी ने घोषणा की कि हरिजनों को अछूत मानना पाप है क्योंकि उन्हें भी अन्य मनुष्यों की तरह जीने का पूरा अधिकार है। गांधी और कई अन्य लोगों के प्रयासों से, अछूतों के लिए कुएँ और मंदिर खोले गए। इसके अलावा धीरे-धीरे ऐसे स्थानों में उनके प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध टूटने लगे।
1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, संविधान निर्माताओं द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करके वंचित वर्गों की समस्याओं और स्थितियों पर विचार किया गया। अनुच्छेद 14, 15, 16, 25, 26, 29, 341 और 342 में अल्पसंख्यक अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला निहित थी। (4), (4ए), (4बी), 17, 23 और 25 (2) (बी) ने वंचित वर्गों[8] की सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं को दूर करने की मांग की। मौलिक अधिकारों के अलावा, राज्य नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांतों ने भी वंचित वर्गों[9] के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से इसे अनिवार्य बना दिया। संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
1953 में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जो पिछड़े वर्गों को तय करने में अपनाए जाने वाले मानदंडों को निर्धारित करने के साथ-साथ सफाईकर्मियों[10] और मैला ढोने वालों सहित पिछड़े वर्गों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में हाथ से मैला ढोने की मौजूदा प्रणाली को खत्म करने के लिए शौचालयों की सफाई के लिए यॉंत्रिक और अद्यतन तरीके अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस रिपोर्ट को अक्टूबर 1956 में गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया था। इन सिफारिशों के बाद, 1956 में, तत्कालीन गृह मंत्री जीबी पंत की अध्यक्षता में एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था, जो कामकाज की समीक्षा करेगा। और सफाईकर्मियों और मैला ढोने वालों की रहने की स्थिति, जिसने इस उद्देश्य के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना[11] की सिफारिश की।
तत्पश्चात, अक्टूबर 1957 में, प्रोफेसर एन.आर. मलकानी की अध्यक्षता में बोर्ड ने प्रथा[12] को समाप्त करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसे सफाई जाँच समिति के रूप में जाना जाता है। समिति ने मैला ढोने वालों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार के लिए कुछ उपाय करने का भी सुझाव दिया। फिर 1965 में, श्रम मंत्रालय ने श्री भानु प्रसाद पंड्या की अध्यक्षता में राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया, जिसने सफाईकर्मियों और सफाईकर्मियों[13] के काम और सेवा शर्तों की फिर से जाँच की। आयोग ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को उनकी कार्य स्थितियों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए।
1970 में, गांधीवादी विचारधारा के अनुयायी, डॉ बिंदेश्वर पाठक की अग्रणी भूमिका के तहत, मैला[14] ढोने वालों को मुक्त करने के उद्देश्य से एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक सामाजिक संगठन सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, का गठन किया गया था। वर्षों से सुलभ आंदोलन लागत प्रभावी स्वच्छता और मैला ढोने[15] वालों की मुक्ति के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जाना जाता है।

---

[4] Ibid
[5] Keer, Dhananjay (1990). Dr. Ambedkar: Life and Mission (3rd edn). Bombay: Popular Prakashan Private Limited
[6] https://www.tandfonline.com/ doiabs/10.1080/00856407908722988?journalCode=csas20
[7] https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/ambedkar-and-the-poona-pact/ article31333684.ece
[8] The Constitution of India
[9] Part III and IV of the Indian Constitution
[10]http://164.100.47.193/Refinput/New_Reference_Notes/English/Manual%20scavengers%20welfare%20and%20Rehabilitation.pdf
[11] Ibid
[12] Ibid
[13] Ibid
[14] Social Inclusion of Manual Scavengers (2012). A Report of National Round Table Discussion Organised by United Nations Development Programme and UN Solution Exchange

1986 में मैला ढोने वालों की दुर्दशा पर एक बार फिर से ध्यान दिया गया जब इस प्रथा[16] को समाप्त करने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया गया। इस अभियान ने तीव्र गति पकड़ी और एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में समाप्त हुआ जिसे सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की और इस तरह इस प्रथा[17] को जारी रखने के लिए प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टरों को जवाबदेह ठहराने का फैसला किया। इसके बाद 1993 में मैला ढोने वालों का रोज़गार और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 पारित किया गया, जो हाथ से मैला उठाने वालों के रोज़गार पर रोक लगाने और सूखे शौचालयों[18] के निर्माण या निरंतरता का प्रावधान करता है। सभी इसके बाद राज्य सरकारों को अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए कहा गया था। तदनुसार, 26 जनवरी 1997 से यह अधिनियम 6 राज्यों और केंद्र शासित[19] प्रदेशों में लागू हो गया।

3.0 हाल का परिदृश्य

स्वतंत्रता के बाद से समय-समय पर सफाईकर्मियों और सफाईकर्मियों की कार्य दशाओं में सुधार के लिए समितियों द्वारा की गईं विभिन्न सिफारिशों और सुझावों के बावजूद भी बहुत कम प्रगति हुई है। 2009 में सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट[20] को प्रस्तुत की गई थी। जिसके आंकड़ों से पता चला कि 15 राज्यों के 265 जिलों का सर्वेक्षण करने पर 114 जिलों[21] में हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्रचलित पाई गई। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि ऐसे 34,365 सूखे शौचालय 7,630 श्रमिकों के द्वारा उपयोग[22] में थे। इसके अलावा 2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में 1,82,505 घरों में हाथ से मैल[23] उठाने की सूचना मिली थी। डेटा ने 7,95,252 सूखे शौचालयों की संख्या भी नोट की जहाँ मानव अपशिष्ट को मैन्युअल[24] रूप से साफ किया जाता था।

2011 की जनगणना ने शौचालयों पर अधिक व्यापक डेटा प्रदान किया। अखिल भारतीय आंकड़े बताते हैं कि देश में अभी भी 7,94,390 सूखे शौचालय हैं जहाँ उस समय मानव द्वारा मानव मल को साफ किया जाता था[25]। इनमें से 73% ग्रामीण क्षेत्रों में थे जबकि 27% शहरी क्षेत्रों में थे[26]। इनके अलावा 1,3,14,652 शौचालय थे जहाँ मानव मल को खुली नालियों में बहाया जाता था और 4,97,236 शौचालय ऐसे थे जहाँ मानव मल की सेवा जानवरों[27] द्वारा की जाती थी। राष्ट्रीय गरिमा अभियान के अनुसार इन दोनों को सफाईकर्मियों द्वारा सफाई की आवश्यकता है। इस प्रकार देश में कुल मिलाकर 26 लाख से अधिक सूखे शौचालय थे, जहाँ जनगणना[28] के समय भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी थी। इसके अलावा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 14,703,818 मिलियन शहरी परिवारों (या 18.6%) में परिसर के भीतर शौचालय की सुविधा नहीं थी[29]। इसके अलावा भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में सूखे शौचालय मौजूद हैं, जो हाथ से मैला ढोने वालों द्वारा संचालित किए जाते हैं। हालाँकि, इसके डेटा को जनगणना आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया। इस डेटा से हम जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वह यह है कि सूखे शौचालयों और हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाने वाले पहले कानून के दो दशक बाद भी बहुत कम प्रगति हुई थी। यद्यपि ऐसे शौचालयों का उपयोग करने वाले परिवार शहरी परिवारों का केवल एक छोटे अनुपात में हैं, फिर भी वे निरपेक्ष रूप से पर्याप्त संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह इस प्रथा को खत्म करने के लिए राज्य, संस्थानों और समाज की इच्छाशक्ति की कमी को रेखांकित करता है, जो 21 वीं सदी के आधुनिक भारत में भी मौजूद हैं।

---

[15] http://www.sulabhinternational.org

[16] Raghunathan, S. R. (2009). Supreme Court Steps In: Struggle in Progress, Frontline (25 June 2009

[17] Zaide, Annie (2006, September 22). India’s shame: Manual scavenging is still a disgusting reality in most States despite an Act of Parliament Banning it, Frontline.

[18] https://nhrc.nic.in/press-release/commission-pursues-issue-abolition-manual-scavenging.

[19] Ibid

[20] Safai Karamchari Andolan Survey, 2009.

[21]Ibid

[22]Ibid

[23]Socio Economic Caste Census 2011

[24]Ibid

[25] Census 2011, GoI

[26] Ibid

[27] Ibid

[28]Ibid

[29]Ibid

4.0 हाथ से मैला उठाने वालों के संरक्षण के लिए राज्यों का हस्तक्षेप

4.1 संवैधानिक सुरक्षा के उपाय

चूँकि हाथ से मैला उठाने वाले लोग समाज के पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, इसलिए वे भारतीय संविधान के तहत सामान्य के साथ-साथ कुछ विशेष अधिकारों के भी हकदार हैं। उनके संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं :

- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता (समानता का अधिकार)
- अनुच्छेद 16(2): सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में अवसर की समानता
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
- अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलपूर्वक श्रम का प्रतिशोध
- अनुच्छेद 41: कुछ परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार
- अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवीय शर्तें
- अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
- अनुच्छेद 338: अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन

4.2 विधायी प्रावधान

इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा संसद ने हाथ से मैला उठाने वालों सहित पिछड़े समुदायों की सुरक्षा और उत्थान के लिए कुछ कानून भी बनाए हैं।

- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:** अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 में अनुसूचित जाति[30] के सदस्यों के खिलाफ अस्पृश्यता की प्रथा और इससे उत्पन्न होने वाली सामाजिक अक्षमताओं को समाप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसे 1977 में संशोधित किया गया था और अब इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में जाना जाता है। संशोधित अधिनियम के तहत, अस्पृश्यता की प्रथा को संज्ञेय और गैर-शमनीय दोनों तरह का अपराध बना दिया गया था, जिसमें अपराधियों के लिए कड़ी सजा दी गई थी। अधिनियम की धारा 7(ए) के तहत, किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से बंधुआ मजदूरी, हाथ से मैला ढोने या जानवरों के शवों को निपटाने के लिए मजबूर करने को एक आपराधिक अपराध माना जाएगा और उसे 3 से 6 महीने तक की कैद या 500 रुपये[31] तक जुर्माना की सजा हो सकती है।
- **बंधुआ श्रम प्रणाली(उन्मूलन) अधिनियम, 1976:** बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** यह अधिनियम 31 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए ऐसे अपराधों के परीक्षण और ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों[32] के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान करना है। हाल ही में एक संशोधन के माध्यम से हाथ से मैला उठाने वालों के संबंध में अधिनियम को और मजबूत किया गया था, जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने[33] का काम करने के लिए या काम करने की अनुमति देने के लिए एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। उक्त प्रावधान का उल्लंघन करने पर कम से कम छह महीने की कैद और जुर्माने सहित पांच साल से अधिक की सजा हो सकती है।

---

[30] Act no. 22 of 1955 and the Protection of Civil Rights (PCR) Rules, 1977

[31] Ibid

[32] Act no. 33 of 1989 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995

[33] The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015 (Act no. 1 of 2016).

- **मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993:** यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन पर रोक लगाने के साथ-साथ शुष्क शौचालयों के निर्माण जारी रखने तथा सीलबंद जल शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के नियमन और अन्य संबंधित मामलों[34] का प्रावधान करता है। इस अधिनियम को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार निषेध और उनका पुनर्वास (PEMSR) अधिनियम, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

4.3 सरकारी आयोग

भारत सरकार ने हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास और सामाजिक समावेश की निगरानी के लिए कुछ आयोगों की नियुक्ति की है

- **सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग:** 1993 के अधिनियम ने सफाई कर्मचारियों के लिए और साथ ही हाथ से मैला ढोने वालों की शिकायत निवारण के लिए विभिन्न योजनाओं के अध्ययन, मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय सफाई[35] कर्मचारी आयोग की स्थापना की। इस आयोग को 2013 के अधिनियम द्वारा भी मान्यता दी गई है। PEMSR अधिनियम, 2013 की धारा 31 अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के साथ-साथ PEMSR अधिनियम 2013[36] के कार्यान्वयन के भीतर उल्लंघनों की जांच करने के लिए आयोग को वैधानिक जिम्मेदारी प्रदान करती है।
- अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCSC): आयोग का गठन भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 (5) NCSC[37] के कुछ कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
  - i) अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना
  - ii) अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जाँच करना
  - iii) अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना
  - iv) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना।
  - v) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना
  - vi) ऐसी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन सुरक्षा उपायों और अन्य उपायों के कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिशें करना।

4.4 सरकारी योजनाएँ

मैला ढोने वाले समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएँ हैं:

- **हाथ से मैला उठाने की प्रथा के पुनर्वास के लिए स्वरोज़गार योजना (SRMS):** अप्रैल 2007 में सरकार ने हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने 2013 के अधिनियम[38] के प्रावधानों के माध्यम से (SRMS) को संशोधित किया है। योजना की मुख्य विशेषताओं में एकमुश्त नकद सहायता, वजीफा के साथ प्रशिक्षण और वैकल्पिक व्यवसाय[39] करने के लिए सब्सिडी के साथ रियायती ऋण शामिल हैं।

- **मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (NSLRSD):** इस योजना को 1989 में शुरू किया गया था NSLSRD का मुख्य उद्देश्य मैनुअल मैला ढोने वालों को उनके मौजूदा वंशानुगत व्यवसाय से मुक्त कराना और वैकल्पिक सम्मानजनक व्यवसायों के लिए प्रदान कराना था। 2003 में CAG की

---

[34] Act No. 46 of 1993
[35] Act no. 64 of 1993
[36] Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (PEMSR) Act, 2013
[37] Constitution of India, art. 338 (5) a-h
[38] Act no. 35 of 2014
[39] Ibid

एक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुक्त हुए लोगों का भी पुनर्वास[40] किया गया था।

- **एकीकृत कम लागत वाली स्वच्छता योजना:** शहरी रोज़गार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने हुडको के साथ हाथ से मैला[41] ढोने वालों को मुक्त करते हुए शुष्क शौचालय प्रणाली को जल जनित कम लागत वाली स्वच्छता में बदलने के लिए एकीकृत कम लागत वाली स्वच्छता के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है।
- **निर्मल भारत अभियान (NBA) (2009 -14) और स्वच्छ भारत अभियान (SBA) (2014 - 19):** संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) की कल्पना 1999 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2017 तक 100% स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसे बाद में 2012 में निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया और फिर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान (SBA) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। SBA की निम्नलिखित उद्देश्यों[42] के लिए की गई है :

  i. खुले में शौच का उन्मूलन।
  ii. मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन।
  iii. आधुनिक और वैज्ञानिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
  iv. स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करना।

5.0 न्यायिक स्थिति

न्यायपालिका ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई निर्देशात्मक सिद्धांतों को लागू करने योग्य अधिकारों में अनुवाद करके सामाजिक-आर्थिक न्याय के कारण को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। संविधान के अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या ने अनेक अधिकारों का सृजन किया है और भारत में सामाजिक कल्याण न्यायशास्त्र को एक नई दिशा दी है। हाथ से मैला ढोने के संबंध में अदालतों ने इस प्रथा को खत्म करने में विफल रहने के लिए राज्य के अधिकारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाया है। निम्नलिखित दो मामले न्यायपालिका की स्थिति को उजागर करते हैं:

i. सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारतीय संघ, 2014[43]

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैला ढोने के खतरे को एक अमानवीय अपमानजनक और अशोभनीय प्रथा के रूप में स्वीकार किया। न्यायालय ने पाया कि (PEMSR) मैला ढोने वाले और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में रोज़गार का निषेध अधिनियम, 2013 और (EMSCDL) मैनुअल मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 न तो अनुच्छेद 10 के संवैधानिक जनादेश को कमजोर करते हैं और न ही यह केंद्र और राज्य सरकारों की निष्क्रियता को माफ करते हैं। न्यायालय ने यह भी माना कि PEMSR अधिनियम, 2013 स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 17 और 21 को सीवेज और टैंकों की सफाई के साथ-साथ रेलवे पटरियों पर मानव मल की सफाई में लगे व्यक्तियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला[44] उठाने वालों के पुनर्वास के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे :

a. सीवर से होने वाली मौतें - आपातकालीन स्थितियों में भी बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर लाइन में प्रवेश को अपराध बनाया जाना चाहिए। सीवर लाइन में प्रवेश से होने वाले प्रत्येक मृत्यु के लिए मृतक के परिवार को 10 लाख दिए जाने का प्रावधान अनिवार्य किया जाना चाहिए।
b. रेलवे - रेलवे की पटरियों पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए समयबद्ध रणनीति अपनायी जाये।
c. हाथ से मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हुए व्यक्तियों को कानून के तहत उनकी वैध देय राशि को प्राप्त करने के लिए निर्धारित सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए।
d. सफाई कर्मचारी महिलाओं को उनकी पसंद की आजीविका योजनाओं के अनुसार सम्मानजनक आजीविका के लिए सहायता प्रदान करना।
e. 1993 से सीवरेज कार्य (मैनहोल, सेप्टिक टैंक) में मरने वाले सभी व्यक्तियों के परिवारों की पहचान करें, और उनके परिवार के सदस्यों को उनके आधार पर ऐसी प्रत्येक मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा दें।

---

40 Safai Karamchari Andolan v. Union of India (2014)11SCC 224
41 Under ‘Pay and Use Toilet Scheme’, Central assistance through Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) was available to Urban Local Bodies (ULBs) for construction of toilets for footpath and slum dwellers who were unable to construct their own toilets.
42 https://swachhbharaturban.gov.in/writereaddata/Mission_ objective.pdf
43 2014 (4) SCALE 165.
44 Ibid para 14.

f. पुनर्वास, न्याय और परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने PEMSR अधिनियम, 2013 के भाग IV के अनुसार हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास पर जोर दिया। इसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को PEMSR अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के साथ ही अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन और गैर-कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

ii. दिल्ली जल बोर्ड बनाम सीवरेज और संबद्ध कामगारों की गरिमा और अधिकारों के लिए राष्ट्रीय अभियान, 2011[45]

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन सफाईकर्मियों और सीवेज श्रमिकों की दुर्दशा को उजागर करते हुए एक निर्णय पारित किया, जो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम करके अपनी जान जोखिम में डालते हैं और पिछले छह दशकों से अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। अदालत ने इन लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति असंवेदनशील होने पर सरकार और राज्य तंत्र की भी आलोचना की है, जो सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं और नियमित रूप से मौत के खतरे का सामना करते हैं। इसके अलावा, कोर्ट ने न केवल मृतकों के परिवारों को अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया, बल्कि नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे सीवेज श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।

6.0 अधिनियम 2013

हाथ[46] से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को 18 सितंबर 2013 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम ने हाथ से मैला उठाने वालों के मौजूदा रोज़गार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 को प्रतिस्थापित किया क्योंकि यह पूरी तरह से अप्रभावी[47] था। 2013 के अधिनियम का एक व्यापक दायरा है और यह शुष्क शौचालयों पर प्रतिबंध से अलग है, और अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों, या गड्ढों की सभी मैनुअल मलमूत्र सफाई को अवैध बनाता है। और महत्वपूर्ण रूप से यह वैकल्पिक आजीविका और अन्य सहायता प्रदान करके मैला ढोने वाले समुदायों द्वारा झेले गए ऐतिहासिक अन्याय और अपमान को दूर करने के लिए एक संवैधानिक दायित्व को मान्यता देता है।

6.1 मुख्य विशेषताएँ

i. यह अधिनियम हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाता है और अनुबंध के आधार[48] पर इस अभ्यास में लगे कर्मचारियों को भी अनुबंध से छुटकारा दिलाता है

ii. यह हाथ से मैला ढोने वालों की परिभाषा को व्यापक बनाता है और इसमें मानव मल को हटाने के सभी रूपों को शामिल करता है जैसे कि एक खुली नाली, गड्ढे वाला शौचालय, सेप्टिक टैंक, मैनहोल, और रेलवे पटरियों [49]पर मल को हटाना।

iii. यह मैनुअल मैला ढोने वालों को तैयार घर, वित्तीय सहायता और स्थायी आधार पर वैकल्पिक व्यवसाय करने के लिए ऋण प्रदान करके, मैला ढोने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके पुनर्वास पर मुख्य ध्यान देता है 3000 रुपये की सरकार[50] की संबंधित योजना के तहत अपने बच्चों को छात्रवृत्ति की पेशकश से किसी अन्य पेशे का विकल्प चुन सकें।

iv. अधिनियम हाथ से मैला उठाने के अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती[51] बनाता है।

v. इसमें शहरी[52] और ग्रामीण क्षेत्रों[53] में हाथ से मैला उठाने की प्रथा के सर्वेक्षण की मांग की गई है।

---

45 2011 (8) SCC 568.
46 Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013 (Act 25 of 2013)
47 Ibid Sec. 3
48 Ibid Sec. 5(1)(b)
49 Ibid Sec. 2(1)(g)
50 Ibid Sec. 13(1)
51 Ibid Sec. 22
52 Ibid Sec. 14(1)

vi. यह नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के लिए अनिवार्य बनाता है ताकि मल[54] के मैनुअल हैंडलिंग की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके।

vii. अधिनियम के तहत, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, छावनी बोर्ड और रेलवे प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र[55] के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार है। वे कई स्वच्छता समुदाय शौचालयों[56] का भी निर्माण करेंगे।

viii. इसमें जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर[57] पर विस्तृत सतर्कता तंत्र का प्रावधान है।

तालिका 1: मैनुअल मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 EMSCDL, और मैला ढोने वाले और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के रूप में रोज़गार का निषेध। (PEMSR), के बीच तुलना

	EMSCDL अधिनियम, 1993	**PEMSR अधिनियम, 2013**
केंद्र-बिंदु	शुष्क शौचालयों के निषेध पर फोकस के साथ स्वच्छता	कल्याण और पुनर्वास के माध्यम से सम्मान का अधिकार
कवरेज	शुष्क शौचालय	शुष्क शौचालय - सीवेज सिस्टम, रेलवे ट्रैक, सेप्टिक टैंक और अस्वच्छ शौचालय।
मैनुअल स्कैवेंजर्स की परिभाषा	मानव मल को हाथ से ले जाने में कार्यरत एक व्यक्ति।	एक अस्वच्छ शौचालय में या एक खुले नाले या गड्ढे में किसी भी तरह से मानव मल को निपटाने या अन्यथा संभालने के लिए मैन्युअल रूप से सफाई करने वाला व्यक्ति।
अधिनियम	राज्य सूची के तहत	समवर्ती सूची के तहत
अपराध का वर्गीकरण	संज्ञेय	संज्ञेय और गैर-जमानती
हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान	कोई प्रावधान नहीं	हाथ से मैला उठाने वालों का सर्वेक्षण कराने का प्रावधान
दंडात्मक प्रावधान	1 साल तक की कैद और 2000. रुपये तक का जुर्माना।	अस्वच्छता के निर्माण/ निषेध के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए: - पहली बार उल्लंघन- 1 साल तक की कैद और 50,000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों। दूसरे और बाद के अपराधों के मामले में यह सजा और जुर्माना दोगुना होगा। सेप्टिक टैंक और सीवर की खतरनाक सफाई के निर्माण / निषेध के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पहली बार उल्लंघन- 2 साल तक की कैद और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना। दूसरा और बाद का उल्लंघन - 5 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हों।
स्थानीय अधिकारी	स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं	धारा 4(1) के तहत स्वच्छता शौचालय उपलब्ध कराने की अनिवार्य बाध्यता।

स्रोत: PRS विधायी अनुसंधान, 2013

53 Ibid Sec. 14(1)
54 Ibid Sec. 33(1)
55 Ibid Sec. 4(1)(a)
56 Ibid Sec. 4(1)(c)
57 Ibid Sec. 24(1)

7.0 महत्वपूर्ण मुद्दे

i. **अधिनियम में बचाव का रास्ता -** सेप्टिक टैंकों और सीवर गड्ढों की 'खतरनाक सफाई' पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन केवल तभी जब श्रमिकों को 'सुरक्षात्मक कवच' और 'अन्य सफाई उपकरण' प्रदान नहीं किए जाते हैं। हालाँकि यहाँ तह परिभाषित नहीं किया गया कि 'सुरक्षात्मक गियर/ कवच' क्या हैं।[58] एक कार्यकर्ता को केवल एक सुरक्षा बेल्ट प्रदान की जा सकती है, लेकिन हेलमेट, वाटरप्रूफ एप्रन या हेडगियर नहीं। यह खतरनाक काम से सुरक्षा के उद्देश्य जरुरी है।

ii. **डेटा में विसंगति -** अधिनियम की धारा 12 के अनुसार मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को पुनर्वास उपाय प्रदान करना है। पहचान के उद्देश्य के लिए राज्य एजेंसियों को सूखे शौचालयों की संख्या और हाथ से मैला ढोने में शामिल लोगों की संख्या पर विश्वसनीय डेटा एकत्र करना आवश्यक है। हालाँकि, कई राज्यों में सर्वेक्षण ठीक से नहीं किए गए और आंकड़ों में भारी विसंगतियाँ हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की रिपोर्ट (2016-2017) के अनुसार देश में 26 लाख अस्वच्छ शौचालय हैं। जिनमें से 13.29 लाख शहरी क्षेत्रों में और 12.71 लाख ग्रामीण क्षेत्रों[59] में हैं। इसके अलावा भी 31 मार्च 2017 तक 13 राज्यों[60] में 12,742 हाथ से मैला ढोने वालों की पहचान की गई है। यह आंकड़ा प्रथम दृष्टया असंगत है क्योंकि यह समझ से बाहर है कि 13,000 हाथ से मैला ढोने वाले 26 लाख अस्वच्छ शौचालयों की खुदाई कर कैसे सकते हैं? स्वतंत्र अध्ययन और राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या के बीच भी अंतर है।

iii. **हाथ से मैला उठाने वालों की मौत -** सितंबर 2019 में दाखिल एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि भारत में सीवर गैस चैंबर्स की तरह हैं जहाँ मैनुअल मैला ढोने वालों को मरने[61] के लिए भेजा जाता है। अदालत ने बड़ी संख्या में मौतों के कारण सुरक्षात्मक गियर प्रदान करने में सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाया था। 25 साल पहले मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोज़गार और ड्राई लैट्रिन के निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 के पारित होने के साथ मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों मैनुअल मैला ढोने वाले मर जाते हैं, जहरीली गैसों से दम तोड़ देते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1993 से अगस्त 2019 [62]के बीच 820 मौतें सीवर में हुई हैं। हालाँकि, विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस संख्या को बहुत कम करके आंका गया है। SKA (सफाई कर्मचारी आंदोलन) ने हाल ही में 1,870 मौतों के आंकड़े जुटाए और सरकार को सौंपे हैं। यह सिर्फ सितंबर 2018 के बाद से 400 मौतों की वृद्धि है। समस्या सीवेज के निर्माण और रखरखाव में योजना और विनियमन की कमी में है। कई मामलों में श्रमिकों को कोई सुरक्षा उपकरण या गियर जैसे मास्क या सुरक्षात्मक कपड़े, काले चश्मे आदि प्रदान नहीं किए जाते हैं। यह सुरक्षात्मक गियर की परिभाषा पर स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप भी होता है।

iv. **सजा में ढिलाई -** अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट रूप से अधिकतम तक की सजा का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पर दो साल की कैद और दो लाख रुपये का जुर्माना और बाद के अपराध के लिए पांच साल की कैद और पांच लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। ये दंड उस समय लागू होते हैं जब किसी कर्मचारी को बिना सुरक्षा उपकरण के मैनहोल या सेप्टिक टैंक में भेजा जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप मृत्यु न हुई हो। इस तरह के कड़े प्रावधानों के बावजूद, 2014[63] में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। 2015 की NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) रिपोर्ट में कर्नाटक से कानून के तहत दो मामले दर्ज किए गए थे, जहाँ केवल एक मुकदमे के लिए गया था। मार्च 2018 तक कर्नाटक में सबसे अधिक 55 FIR दर्ज की गई थी। आज तक दिल्ली के सीवर [64]में होने वाली किसी भी मौत के लिए DJB (दिल्ली जल बोर्ड) के एक भी कर्मचारी पर सफलतापूर्वक मुकदमा नहीं चलाया गया है।

---

[58] https://www.epw.in/engage/article/manual-scavengers-blind-spot-urban-development-discourse

[59] https://clpr.org.in/blog/review-of-data-on-survey-and-identification-of-manual-scavengers/

[60] Ibid

[61] https://timesofindia.indiatimes.com/india/in-sewer-deaths-supreme-court-sees-gas- chamber/articleshow/71193184.cms

[62] https://www.downtoearth.org.in/news/rural-water-and-sanitation/sewers-are-gas-chambers-where-manual-scavengers-are-sent-to-die-sc-66803

[63] https://theprint.in/india/282-deaths-in-last-4-years-how-swachh-bharat-mission-failed-indias-manual-scavengers/354116/

[64] https://thewire.in/labour/manual-scavengers-rehabilitation-sanitation

v. प्रशासनिक उपेक्षा - हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए सरकार के सभी निकायों के अनुपालन की आवश्यकता है। हालाँकि, कई अधिकारी अक्सर अधिनियम[65] की धज्जियाँ उड़ाते हुए पाए जाते हैं। राज्य और निजी कंपनियों द्वारा शहर के लिए बनाई गई शहरी नीतियों में सीवरेज, सेप्टिक टैंक और कचरा निपटान प्रणाली के रखरखाव की योजना का पूर्ण अभाव है। सरकारी निकायों में तदर्थवाद हावी है जहाँ सीवर और नालियों के रखरखाव का काम निजी ठेकेदारों को दिया जाता है। काम की गुणवत्ता या शर्तों पर कोई निगरानी नहीं है। इस तरह के तीव्र अनुबंधीकरण ने कानूनी जिम्मेदारी तय करना और दोषियों की पहचान करना और भी मुश्किल बना दिया है।

vi. स्वच्छ भारत मिशन की अपर्याप्तता - स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एँड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन) के तहत शौचालय निर्माण के लिए नीतिगत धक्का और उनकी सफाई में लगे लोगों[66] के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। SBM (स्वच्छ भारत मिशन) मैला ढोने वालों पर पूरी तरह मौन है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, SBM के तहत 50 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। लेकिन समस्या यह है कि शौचालय बनने के बाद भी कचरे[67] के निस्तारण का कोई उपाय नहीं है। भारत के अधिकांश हिस्से विशेष रूप से ग्रामीण भारत, सीवेज सिस्टम से नहीं जुड़े हैं। इसलिए अधिकांश शौचालय जो SBM के तहत बनाए गए हैं वे सिंगल पिट शौचालय हैं जिन्हें मैन्युअल रूप से साफ करने की आवश्यकता होती है। इससे हाथ से मैला ढोने की समस्या और बढ़ रही है।

vii. अपर्याप्त पुनर्वास - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोज़गार योजना (SRMS) हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए 3 मुख्य तरीके प्रदान करती है। सबसे पहले एकमुश्त नकद सहायता योजना के तहत पहला -हाथ से मैला ढोने वालों के परिवार के एक सदस्य को 40,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरा- मैला ढोने वालों को दो साल के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रति माह 3,000 रुपये मिलते हैं। और तीसरा, एक पूर्व निर्धारित नियत तक के ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। हालाँकि, आंकड़ों[68] के अनुसार,2018 में पहचाने गए 42,203 में से केवल 27,268 को ही 40,000 रुपये की नकद सहायता दी गई है। केवल 1,682 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है और केवल 252 हाथ से मैला ढोने वालों को 325,000 रुपये की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी मिली है। धन की कमी के कारण पुनर्वास सुविधा बाधित है। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा, सरकार ने 2006 -07[69] से पुनर्वास के लिए कुल 226 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 से पहले सभी धनराशि जारी की गई थी और उसके बाद से कोई और धनराशि जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी की गयी 24 करोड़ रुपये से अधिक राशि भी खर्च नहीं हुई है।

9.0 सिफारिशें

i. जब तक सही स्वच्छता तकनीकों को नहीं अपनाया जाता है, तब तक हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एँड सीवरेज बोर्ड 70 मिनी जेटिंग मशीनों का उपयोग कर रहा है जो कॉलोनियों में पाइप को साफ करने के लिए संकरी गलियों और छोटी गलियों में फंसे सीवर तक पहुँच सकती हैं। तिरुवनंतपुरम में, इंजीनियरों के एक समूह ने मकड़ी के आकार का एक रोबोट तैयार किया है, जो मैनहोल और सीवर को सटीकता से साफ करता है।

ii. सुरक्षात्मक गियर के गठन करने की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को सीवर के अंदर कार्य के लिए भेजना है, तो दस्ताने, मास्क और जूते जैसे सुरक्षात्मक गियर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। किसी भी उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आपात स्थिति के मामले में एक डॉक्टर के साथ-साथ एक एम्बुलेंस को भी पास में रखना चाहिए।

---

[65] https://www.news18.com/news/buzz/manual-scavenging-is-illegal-in-india-then-hows-there-7-lakh-foot-soldiers-of-swachh-bharat-1898891.html

[66] Ibid

[67] Ibid

[68] https://www.orfonline.org/expert-speak/swachh-bharat-a-failed-mission-for-manual-scavengers-60538/

[69] https://thewire.in/government/modi-govt-manual-scavengers-rehabilitation

iii. हाथ से मैला उठाने वालों पर डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गहन और स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता है

iv. सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले को सीवर/सेप्टिक टैंक की मौत के सभी मामलों में विधिवत लागू किया जाना चाहिए और मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

v. सीवरों/सेप्टिक टैंकों आदि को साफ करने के लिए श्रमिकों को भेजने/मजबूर करने के दोषी नियोक्ताओं की आपराधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे श्रमिकों की मृत्यु या बीमारी हो सकती है। ऐसे सभी मामलों की सुनवाई तेजी से की जानी चाहिए।

vi. मुद्दे की गंभीरता को पहचानने और समस्या को अमानवीय और असंवैधानिक के रूप में देखने के लिए अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। सफाई कर्मियों के प्रति अंतर्निहित जाति आधारित रवैये की पहचान की जानी चाहिए और कदाचार के मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

vii. राज्य को सीवरेज के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सफाई कर्मचारियों के लिए उचित काम करने की स्थिति के लिए प्रावधान किए गए हैं।

viii. सफाई कर्मचारियों के मूल मौलिक अधिकारों की कीमत पर स्वच्छता का अधिकार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान और भविष्य की स्वच्छता नीतियों और भारत की सफाई के अभियानों के डिजाइन में सीवर / सेप्टिक टैंक श्रमिकों की बार-बार होने वाली मौतों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। सरकार को अपना ध्यान शौचालय निर्माण से हटाना चाहिए और मानवीय हस्तक्षेप के बिना गड्ढों को खाली करने के तरीके तलाशने चाहिए।

ix. पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी पहचान किए गए मैला ढोने वालों को तत्काल आधार पर सभी पुनर्वास उपायों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

10.0 परिणाम

भारत में मैला ढोने वालों के लिए यह पहले उनके सम्मान की लड़ाई थी, लेकिन आज यह अस्तित्व के लिए संघर्ष बन गई है। उन्हें आजीविका के किसी अन्य सुरक्षित स्रोत से वंचित किया जाता है, और उन्हें अपनी आजीविका की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ से मैला ढोने का सहारा लेना पड़ता है। और इस प्रक्रिया में उनमें से कई अपनी जान गंवा देते हैं। हाथ से मैला ढोने की प्रथा का अस्तित्व और राज्य की उदासीनता को हिंसा के एक रूप के रूप में देखा जाना चाहिए, खासकर तब जब इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं।

राज्य आपराधिक उपेक्षा के लिए दोषी हैं, यह स्थिति हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण निगरानी भूमिका की राज्य की उपेक्षा के कारण जारी है। जिसके कारण समाज के सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्तियों की मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है।

राज्य अपने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी विभागों के माध्यम से असंवैधानिक और अमानवीय व्यवहार में भी शामिल है। समाज में जाति और अस्पृश्यता के निरंतर संचालन के कारण भी यह स्थिति बनी हुई है।

इसलिए, आगे बढ़ते हुए यह जरूरी है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो कि इस अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए।

11.0 संदर्भ

- उदय बालकृष्णन 14 अप्रैल 2020, 'अंबेडकर और पूना संधि,' द हिंदू, नई दिल्ली:
- साक्षी बलानी, जून 2013, संक्षिप्त विधायी: मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास विधेयक 2012, 'नई दिल्ली: PRS विधायी अनुसंधान।
- राखी बोस, 9 अक्टूबर, 2018, 'मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में अवैध है। फिर कैसे हैं 'स्वच्छ भारत के 7 लाख पैदल सैनिक',' News18.
- भारत सरकार जनगणना 2011,
- चौधरी अमित आनंद, 19 सितंबर, 2019, 'सीवर से होने वाली मौतों में सुप्रीम कोर्ट ने देखा' गैस चैंबर, "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया नई दिल्ली: टाइम्स न्यूज नेटवर्क।

- कानून और नीति अनुसंधान केंद्र (CLPR) 26 जून, 2019, 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के सर्वेक्षण और पहचान पर डेटा की समीक्षा', बेंगलुरु: केंद्र के लिए कानून और नीति अनुसंधान।
- शैलेश कुमार दारोकर, जून 2018, मैनुअल स्कैवेंजर्स: शहरी विकास प्रवचन में एक ब्लाइंड स्पॉट,'आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम 53, नंबर 22. मुंबई: इकोनॉमिक एँड पॉलिटिकल वीकली।
- धवल देसाई, 22 जनवरी 2020, 'स्वच्छ भारत - मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए एक असफल मिशन', मुंबई: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन।
- धवल देसाई, 27 जनवरी 2020, 'पिछले 4 वर्षों में 282 मौतें: स्वच्छ भारत मिशन ने भारत के मैला ढोने वालों को कैसे विफल किया,' द प्रिंट।
- मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993
- (IDSN) इंटरनेशनल दलित एकजुटता नेटवर्क, 2017 'भारत में हाथ से मैला ढोने की अमानवीय जाति और लिंग आधारित स्वच्छता अभ्यास...',द इंटरनेशनल दलित सॉलिडेरिटी नेटवर्क।
- कपिल शगुन, 18 सितंबर 2019, 'सीवर गैस चैंबर हैं जहाँ मैनुअल मैला ढोने वालों को मरने के लिए भेजा जाता है: डीसी,' डाउन टू अर्थ।
- धनंजय कीर, (1990). डॉ. अम्बेडकर: जीवन और मिशन (तीसरा संस्करण) बॉम्बे: पॉपुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड
- धीरज मिश्रा, 31 अगस्त,2018, 'मोदी सरकार ने हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए एक रुपया भी जारी नहीं किया है', द वायर।
- मैला ढोने वाले और उनका पुनर्वास (PEMSR) अधिनियम, 2013 के रूप में रोज़गार का निषेध
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और नागरिक अधिकारों का संरक्षण (PCR) नियम, 1977
- एस.आर. रघुनाथन, (2009) सुप्रीम कोर्ट के कदम: प्रगति में संघर्ष, फ्रंटलाइन (25) जून 2009,
- सफाई कर्मचारी आंदोलन सर्वेक्षण, 2009।
- तृप्ति सिंह, और मनीष सिंह, 8 मई 2019, 'हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास जाति को मजबूर करने से भी आगे जाना चाहिए' पदानुक्रम, 'द वायर।
- मैला ढोने वालों का सामाजिक समावेश (2012), (UNDP) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र समाधान एक्सचेंज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गोलमेज चर्चा की एक रिपोर्ट:
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011
- बी.एन. श्रीवास्तव, (1997) भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग: देश के लिए एक अपमान। नई दिल्ली: सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस इंटरनेशनल एँड कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग।
- भारत का संविधान
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- Annie Zaide, (22 सितंबर 2006,) भारत के लिए शर्म की बात है: संसद के एक अधिनियम, फ्रंटलाइन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अधिकांश राज्यों में मैला ढोने की प्रथा अभी भी एक घृणित वास्तविकता है।

किसान विरोध क्यों कर रहे हैं?

यद्यपि कृषि एक राज्य का विषय है, परन्तु केंद्र ने राज्यों के परामर्श के बिना संशोधनों के माध्यम से नए कानूनों की शुरूआत करने की मांग की। लेकिन किसान मुख्य रूप से उन्हें मिलने वाली कीमतों से चिंतित हैं।

इन दिनों सरकार जो कुछ भी करती है उसे 'ऐतिहासिक' कहा जाता है। लेकिन क्या 'ऐतिहासिक' कृषि सुधार, पहले की नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन जैसी ऐतिहासिक भूलों से भी बदतर हालत में बदल जाएँगे?

सरकार के प्रति अविश्वास ऐसा है कि किसान प्रधानमंत्री के आश्वासनों को अंकित मूल्य पर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। प्रधान मंत्री ने दावा किया है कि विपक्ष देश को कृषि बिलों पर गुमराह कर रहा है; उनका दिल किसानों के लिए रोता है और उनकी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था को कभी ख़त्म नहीं करेगी। तथ्य यह है कि तीन अध्यादेश, जिन्हें अब संसद द्वारा बिना अधिक जांच के अनुमोदित किया गया है, सरकार द्वारा MSP या खाद्यान्न की खरीद को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं करते हैं।

लेकिन किसान, अभी भी 2022 तक अपनी आय दोगुनी होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि 2014 में भाजपा और नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, MSP को कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। पीएम के लिए यह कहना ठीक है कि किसान अब अपनी उपज कहीं भी और किसी को भी किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि कीमतें नहीं गिरेंगी, निजी कॉरपोरेट निकाय और व्यापारी कार्टेल (कैदियों जैसा व्यवहार) नहीं करेंगे और किसानों को निचोड़ेंगे नहीं? और अगर पीएम किसानों को अधिक दाम देने के लिए इतने ही ईमानदार हैं तो यह कानून क्यों नहीं बनाते कि कृषि उपज की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित MSP से कम नहीं हो सकतीं?

सब्जी उगाने वालों से लेकर कॉफी बनाने की मशीन तक, सेब उत्पादकों से लेकर चावल उगाने वाले किसानों तक, यह अनुभव रहा है कि खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों और जिन लोगों ने उत्पाद का प्रसंस्करण और विपणन करके उसका मूल्य बढ़ाया है, उन्होंने अप्रत्याशित मुनाफा कमाया है। भोजन के लिए अन्न उगाने वाला किसान और उपभोक्ता दोनों ही अधर में हैं।

“एक देश, एक बाज़ार?

सरकार ने कृषि बिलों का बचाव करते हुए एक विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन में एक पंक्ति कहती है कि "एक राष्ट्र एक बाज़ार" किसानों को स्वतंत्रता देगा। 85 प्रतिशत किसान वे छोटे किसान हैं जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम अधिशेष है। अगर उन्हें कुछ बोरी धान या गेहूँ बेचना है, तो उन्हें पूरे देश में "कई हजार बाज़ार" चाहिए, एक बाज़ार नहीं। पीएम और उनके अन्य मंत्रियों ने किसानों को वादा किया है कि किसान को MSP की गारंटी दी जाएगी। प्रार्थना करें हमें बताएँ कि कैसे? सरकार को कैसे पता चलेगा कि किस किसान ने किस व्यापारी को क्या उत्पाद बेचा है? गाँवों में हर दिन लाखों निजी लेनदेन होंगे। इन लेनदेन में सरकारी गारंटी MSP का भुगतान कैसे किया जाएगा? एक निजी खरीदार किस कानून के तहत किसान को निजी लेनदेन में MSP का भुगतान करने के लिए बाध्य है?

पी चिदंबरम

खाद्य नीति विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा था, "तेल और प्राकृतिक गैस जैसी वस्तुओं के उत्पादकों के विपरीत, कॉफी किसानों को लंबे समय से मूल्य श्रृंखला के गलत छोर पर रहने का सामना करना पड़ा है - उन्हें खुदरा मूल्य का केवल एक छोटा अंश प्राप्त होता है। भारत में उनकी फसल की ...” शर्मा ने गणना की, कि कॉफी बार में 250 रुपये में बेची जाने वाली एक कप कॉफी के लिए कॉफी प्लांटर्स को सिर्फ एक रुपया मिलता था।

जून के बाद से, जब अध्यादेश जारी किए गए थे, किसानों का अनुभव बेहद दुखद रहा है। सरकार द्वारा नहीं खरीदे गए उत्पाद हमेशा MSP से कम कीमत पर बेचे जाते हैं। तो, इन कानूनों का क्या फायदा, अगर उन्हें MSP का भी आश्वासन नहीं दिया गया है? पिछले तीन महीनों के दौरान विभिन्न तिथियों पर प्रचलित निम्न औसत दरें किसानों के डर की पुष्टि करती हैं।

मूंग के लिए 2020-21 के लिए MSP: 7,196 रुपये प्रति क्वींटल जबकि मप्र में बाज़ार भाव: 4,000 रुपये से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल है। सोयाबीन के लिए MSP 3,880 रुपये प्रति क्विंटल पर होशंगाबाद में बाज़ार मूल्य: मक्का के लिए 3,000 रुपये MSP: पंजाब में 1,850 रुपये प्रति क्विंटल बाज़ार मूल्य: कपास के लिए 8000 रुपये MSP: 5,515 से 5,825 रुपये / पंजाब में बाज़ार मूल्य: 4,600 / क्विंटल है।

किसानों को अपनी फसल के कम दाम मिलने की बात तो सब ही जानते हैं। सब्जी उत्पादक और डेयरी किसान जो सहकारी समिति अमूल की तरह संगठित नहीं हैं, वे भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी भारत में फूलगोभी की कीमत 40 वर्षों में जस की तस है, हालाँकि इनपुट जो मिलते हैं उनमें कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन उत्पादक अभी भी 100 फूलगोभी थोक व्यापारी को 20 रुपये से 30 रुपये तक के दामों पर बेचते हैं। जबकि, प्रत्येक फूलगोभी की खुदरा कीमत 30 रुपये से 50 रुपये के बीच होती है।

प्रधानमंत्रीजी कृपया बात करें

पीएम ने हमें बार-बार कहा है कि ए) वह MSP को कभी मरने नहीं देंगे बी) वह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। तो उन आश्वासनों को पुख्ता करने वाले कुछ पैराग्राफ बिल को आगे बढ़ाने से क्या / कौन रोकता है? MSP पर (स्वामीनाथन फॉर्मूला): जैसा कि भाजपा ने 2014 में वादा किया था) गारंटीकृत है। कोई भी बड़ा व्यापारी, निगम या अन्य "नए खरीदार" MSP से कम कीमत पर उपज नहीं उठा सकते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए गारंटी खरीद कि MSP एक मजाक में नहीं है। अंत में, बिल किसान ऋण को रद्द करने की घोषणा करेगा। 2022 या 2032 तक उनकी आय दोगुनी होने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि वे पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। और चूंकि इस सरकार ने पहले ही राज्य के विषय - कृषि पर कब्जा कर लिया है - इस इच्छा को आगे बढ़ाने से क्या रोकें? निश्चित रूप से यह संघीय ढाँचे और राज्यों के अधिकारों का सम्मान नहीं करते।

पी. साईनाथ

खुदरा विक्रेता और बिचौलिए भारी मार्जिन के साथ लाभ कमाते हैं जबकि न तो उपभोक्ताओं को और न ही उत्पादकों को इसका कोई लाभ मिलता है।

नई व्यवस्था इसे कैसे बदलेगी? क्या अंबानी और अडानी, जो अपने कृषि व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं, वे किसानों को उचित मुआवजा देंगे?

जब कॉर्पोरेट संस्थाओं को कृषि व्यवसाय और खुदरा बिक्री की अनुमति दी गई थी, तो यह दावा किया गया था कि वे पूँजी और प्रौद्योगिकी लाएँगे, कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन स्थापित करेंगे, गुणवत्ता में सुधार करेंगे और परिवहन आदि के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का उपयोग करेंगे। तब सभी के लिए एक जीत की स्थिति बन गयी थी, यह जब कहा गया था तो उन आशाओं पर विश्वास किया गया है। पर अब इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार कॉरपोरेट निकाय वादों को पूरा करेंगे?

सरकार द्वारा पेश किए गए तीन कानून, कम से कम कागजों पर, सुविचारित प्रतीत होते हैं। किसानों का उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 - किसानों को कृषि उपज बाज़ार समिति (APMC) को दरकिनार करने और उपज को सीधे एक बड़ी कंपनी के गोदामों, कोल्ड स्टोरेज चेन, या यहाँ तक कि दुकान में स्थापित करने की अनुमति देता है।

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक 2020, पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता एक किसान के लिए एक विशिष्ट मूल्य के लिए विशिष्ट उत्पादों की खेती करने के लिए एक खरीदार के साथ अनुबंध करने के लिए अनुबंध

खेती की अनुमति देता है। जो यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को खेती शुरू होने से पहले ही पता चल जाए कि उन्हें क्या कीमत मिलेगी।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 खरीदारों को जमाखोर कहे बिना और दंडात्मक कार्रवाई की चपेट में आए बिना वस्तुओं को खरीदने और स्टॉक करने की अनुमति देता है।

कानून में बदलाव से बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों को बाज़ार में प्रवेश करने में आसानी होती है। सरकार खाद्यान्न की खरीद के व्यवसाय से पीछे हटना चाहती है और अंततः इन निजी कंपनियों को भारतीय खाद्य निगम (FCI) की संपत्ति सौंपना चाहती है। हालाँकि यह सरकार के दृष्टिकोण से समझ में आता है, लेकिन इस तरह के कदम के निहितार्थ लंबे समय में भी निश्चित नहीं हैं।

सरकार के विपरीत, कॉर्पोरेट निकाय, अपने लाभ को अधिकतम से अधिकतम करने में रुचि लेंगे। यदि यह उद्देश्य जमाखोरी, निर्यात या उपज न खरीद कर भी प्राप्त किया जाता है, तो वे ऐसा करने में भी संकोच नहीं करेंगे। जबकि मुक्त बाज़ार अर्थशास्त्र, जो बाज़ार की ताकतों को न केवल कीमत बल्कि उत्पादन भी तय करने की अनुमति देता है, छोटी आबादी और बड़े निर्यात बाज़ार वाले देशों में काम कर सकता है, यह भारत जैसे गरीब, विकासशील देश में विनाशकारी हो सकता है। बाज़ार की अनिश्चितताओं का असर किसानों की एक फसल पैदा करने की पसंद पर पड़ सकता है बल्कि दूसरी पर और भी गंभीर हो सकता है।

निजी व्यापार द्वारा किए गए अंतर को मुंबई स्थित पत्रकार सुजाता आनंदन द्वारा निम्नलिखित सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा तेजी से सामने लाया गया है। यह पोस्ट पुन: प्रस्तुत करने लायक है:

"उन लोगों के लिए जो आश्चर्य करते हैं कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं - यहाँ केरल से एक जीवंत उदाहरण है। मोदी सरकार द्वारा एपीएमसी की तरह नारियल बोर्ड को खत्म करने से एक दोस्त के चाचा खुश हो गए। एक सरकारी संगठन कोकोनट बोर्ड ने प्रति नारियल 10 रुपये की पेशकश की। नारियल बोर्ड की समाप्ति के बाद, निजी व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली कीमत 40 रुपये प्रति नारियल थी।

"उन लोगों के लिए जो आश्चर्य करते हैं कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं - यहाँ केरल से उनके लिए एक जीवंत उदाहरण है। मोदी सरकार द्वारा APMC की तरह नारियल बोर्ड को खत्म करने से एक दोस्त के चाचा खुश हो गए। एक सरकारी संगठन कोकोनट बोर्ड ने प्रति नारियल 10 रुपये कीमत की पेशकश की। परन्तु नारियल बोर्ड की समाप्ति के बाद, निजी व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली कीमत 40 रुपये प्रति नारियल हो गयी थी।

"लेकिन नारियल बोर्ड अपने स्वयं के आदमियों को पेड़ लगाने, नारियल के बाहरी हरे खोल को काटने और उन्हें बाज़ार तक पहुँचाने के लिए लगाता है। अब उसे पेड़ों पर चढ़ने के लिए लोगों को काम पर रखना होता है, और चूंकि यह जोखिम भरा है, इसलिए उनके बीमा के लिए भी भुगतान करना होता है। उसे हरी त्वचा को छीलने के लिए और अधिक भुगतान करना पड़ता है, और फिर नारियल को बाज़ार में ले जाना पड़ता है। सारा खर्चा उठाने के बाद उसे प्रति नारियल चार रुपये का फायदा हुआ।

उपभोक्ता पहले 20 से 40 रुपये प्रति नारियल का भुगतान कर रहा था। अब शुरूआती कीमतें 50 रुपये से शुरू होती हैं।

अब आप जान सकते हैं कि किसान विरोध क्यों कर रहे हैं।

साभार - द नेशनल हेराल्ड

https://www.nationalheraldindia.com/india/why-are-farmers-protesting

मीडिया का भूमिका और सरकार की नीयत दोनों ठीक नहीं, किसान और मजबूत होंगे

- डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान महासंघ

अखिल भारतीय किसान महासंघ के अध्यक्ष, डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी, ने वतन समाचार से विशेष बातचीत में कहा है कि सरकार पहले दिन से ही किसानों और किसान आंदोलन के बीच मतभेद पैदा करना चाहती थी और वह हर संभव प्रयास कर रही थी जिससे कि किसी तरह से इस आंदोलन में दरार पैदा हो। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को मीडिया का रोल भी अत्यंत निंदनीय रहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने और बनाये रखने के लिए जिस तरह की मीडिया की ज़रूरत होती है उस तरह की मीडिया का अभी हमारे यहाँ अभाव है।

उन्होंने कहा कि मीडिया ने देश के सामने से सच्चाई को छुपाया है और उन 99% किसानों के बारे में कोई खबर नहीं दिखाई जो हाथों में तिरंगा लिए पैदल मार्च कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन लोगों को दिखाया गया जो किसान नहीं थे और दंगाई थे। इस की जाँच होनी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी भी जाँच होनी चाहिए और उनके कनेक्शन भी किस विशेष पार्टी से सामने आ रहे हैं, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। ऐसे में सरकार बच नहीं सकती।

उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया के आभारी हैं कि उन्होंने किसानों से संबंधित सच्ची खबरों को देश और दुनिया के सामने रखा है और यह सच्चाई अब गाँव-गाँव पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन को सरकार और उसके लोग बदनाम करना चाहते हैं, अब उसी तरह से वह सब चीजें बाउंस हो रही हैं जो सरकार पर उल्टा साबित होंगी और सरकार और मीडिया के झूठ को देश और जनता के सामने रखेंगी। उन्होंने कहा कि मीडिया का रोल हो या फिर किसानों के बीच हिन्दू किसान, सिख किसान और खालिस्तानी और पाकिस्तान का जो मसला हो बात इससे आगे जा चुकी है और किसान इसमें अब फँसने वाले नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी सच्चाई मजबूत होती है तो झूठे लोग उसको बदनाम करने के लिए षडयंत्र रचते हैं। उन्होंने कहा कि यह लोग युद्ध का भी माहौल बनाएँगे, उसकी संभावनाएँ प्रकट करेंगे, लेकिन किसान अपनी बात को लेकर के अडिग हैं और किसान तीनों कानून की वापसी से कुछ कम पर पीछे हटने वाले नहीं हैं।

डॉ राजाराम त्रिपाठी ने आगे कहा कि जहाँ तक किसान संगठनों में मतभेद की बात है, तो इस मुद्दे पर सब लोग एक साथ हैं और मतभेद कोई गलत या बड़ी बात नहीं हैं। मतभेद होना चाहिए, लेकिन यहाँ सबकी एक ही मांग है कि यह कानून वापस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह मीडिया और सरकार का रोल रहा है वह दुःखद है। उन्होंने कहा कि हमारी मीडिया के लोगों से अपील है कि वह अपनी जिम्मेदारी का परिचय दें और देश को सच बताएँ और दिखाएँ।

उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों पर अडिग है और किसान उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि सरकार इन तीनों कानून को वापस नहीं ले लेती।

साभार: डॉ राजाराम त्रिपाठी का साक्षात्कार वतन समाचार में प्रकाशित

https://www.watansamachar.com/search?tag=26+January%3A+Both+the+role+of+the+media+and+the+government%27s+intention+are+not+good

आदिवासियों और अन्य परंपरागत वननिवासियों पर "कृषि कानूनों" के प्रभाव

सितंबर 2020 में तीन कानून पारित किये गये जिन्हे **"कृषि कानूनों"** के रूप में जाना जाता है। इन तीनों कानूनों का देश-भर के विभिन्न किसान और आदिवासी संगठनों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों के व्यापक अध्ययन के बाद कहा जा सकता है कि यह देश-भर में खेती-बाड़ी को **कारपोरेट** (बड़े पूँजीपतियों) **के हवाले** करने में काफी हद तक सहायक है। ये कानून अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) एवं पारंपरिक रूप से जंगलों में रहने वाले समुदायों (ओ.टी.एफ.डी.) के लिए पाँचवीं अनुसूची व आदिवासी क्षेत्रों में लागू पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) कानून 1996 (पेसा) तथा वनाधिकार कानून, 2006 (एफ.आर.ए.) के तहत प्रदत्त अधिकारों तथा विशेष गारंटी का भी हनन करता है। अंततः ये कानून ग्राम संभाओं की **शक्तियों व अधिकारों** को समाप्त कर देंगे। वर्ष 2020 के ये कृषि कानून **कल्याणकारी राज्य** (welfare state) की अवधारणा को वापस लेने में सहायक होंगे, जहाँ **डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस** (distributive justice) प्रदान करने की दिशा में कल्याणकारी राज्य की भूमिका को समाप्त कर दिया जाता है। दिनांक **12 जनवरी 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2020 के तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गयी है।** परन्तु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जब न्यायालय इस आदेश को हटायेगा तब भविष्य में इन कानूनों को लागू नहीं किया जायेगा।

ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश-राज के जमींदारी प्रणाली के दौरान अधिकतम टैक्स एवं राजस्व नीति ने किसानों को कर्ज के जाल में फँसाया तथा उनकी जमीनें चली गयीं।
*इसके फलस्वरूप **संथालों द्वारा हुल** तथा **मुंडाओं द्वारा उलगुलान** जैसे कई आदिवासी विद्रोह हुए।*

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून

किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अधिनियम 2020

यह कानून कहता है कि:

कृषि सेवा व कृषि उपज की बिक्री के लिए कृषि व्यवसाय फर्मों (Agri –Business firm), प्रोसेसर कंपनियों, थोक व्यापारियों, या बड़े खुदरा व्यवसाइयों, व्यवसायियों के साथ सुरक्षित तरीके से "परस्पर सहमति आधारित मूल्य" (Mutually agreed price) किसानों को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से प्रदान करना

इसका मतलब क्या है:

खेती उपज के मूल्य निर्धारण, और विपणन तथा खरीद और बिक्री के तरीकों व अभ्यास पर निजी कंपनियों पूर्ण नियंत्रण प्रदान करना।

- **छत्तीसगढ़** और **ओडिशा** में जट्रोफा (बायोफूल), गन्ना तथा कपास जैसे नगदी फसलों का कांट्रैक्ट फार्मिंग वर्ष **2000 के आस -पास** शुरू किया गया है। इसने कमजोर आदिवासी किसानों को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया है।
- पाँचवीं अनुसूची में शामिल सभी राज्यों में छोटे और सीमांत अनुसूचित जातियों के किसान 71% से 91% तक हैं। छोटे और सीमांत किसानों तथा बड़े कृषि व्यवसायी फर्मों/ खुदरा व्यवसायी/ निर्यातकों के बीच शक्ति असंतुलन बहुत अधिक है। इस कानून के परिणाम स्वरूप काम संसाधनों वाले किसानों और कॉर्पोरेट के बीच **मोल-भाव की असमानता** उत्पन्न होगी क्योंकि किसानों के बीच बाज़ार की शक्तियाँ और **वैश्विक खाद्य श्रंखला** प्रणाली की जानकारी नहीं होती है।
- **साहूकारी का नया स्वरूप :** वैश्विक स्तर पर कृषि व्यावसायिक फर्मों द्वारा जो कांट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से खेती में निवेश करते हैं तथा कृषि उत्पादों की खरीद करते हैं वे जमानत के रूप में जमीन की गारंटी पर किसानों कर्ज भी देते हैं। कृषि कानून इस तरह के अभ्यास को प्रोत्साहित करेगा, साहूकार आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसेगा और जिसके परिणाम स्वरूप कॉर्पोरेट द्वारा जमीनें हड़पी जाएँगी।

कृषि बाज़ारों / मंडियों / हाटों का निजीकरण

किसानों के उत्पादों का व्यापार तथा वाणिज्य (प्रोत्साहन एवं फेसिलिटेशन) कानून 2020

यह क्या कहता है:

- वैकल्पिक व्यापार (Alternative Trading) चैनल का विकास जैसे इलेक्ट्रानिक व्यापार मंच, प्रभावी, पारदर्शी तथा रहित व्यापार व वाणिज्य को प्रोत्साहित करने की की बात करता है।
- कृषि उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बाजारों के दायरे में लाना जहाँ किसान और व्यापारी मुक्त व्यापार में सलंग्न हो सकते हैं।
- किसी भी व्यक्ति /निगम को कृषि उत्पादों के व्यापार का अधिकार देता है।

- कोई भी व्यक्ति अपने पैन नम्बर के आधार पर ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकता है।
- ए.पी.एम.सी. कानून या राज्य के किसी कानून के तहत इन ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई **बाज़ार शुल्क नहीं वसूला जा सकता है।**

इसका मतलब क्या है:

- कृषि **निर्वाह** (Subsistence Agriculture) की एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें भूख की संतुष्टि और पोषण सुनिश्चित किया जाता है। उसे ये कानून वाणिज्यिक व प्रति स्पर्धी व्यापार (Commercial and Competitive trade) में परिवर्तित करता है।
- कृषि बाज़ार को अनियमित करना खाद्य सामग्रियों के लिए स्थानीय और वैश्विक व्यापार श्रंखला का खोलना, पूर्णत: खुले बाज़ार की दया पर निर्भरता, कृषि का आधुनिकीकरण।

क्या "न्याय तक पहुँच" (access to justice) खतरे में हैं?

- कांट्रैक्ट फार्मिंग तथा कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य कानून-ये दोनों किसानों का कंपनियों/ ठेकेदारों के साथ विवाद पर न्यायालय जाने के अधिकार को सीमित करते हैं।
- न्यायालय के स्थान पर **अनुमंडलीय मजिस्ट्रेट** (एस.डी.एम.) द्वारा गठित **कनशिलियेशन बोर्ड** के माध्यम से विवादों को निपटाने का प्रावधान करता है |
- **पेसा** के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संशाधनों के प्रशासन, अपनी मान्यताओं व परम्पराओं की सुरक्षा तथा **प्रथा के अनुसार** विवादों का समाधान करने की **ग्राम-सभा शक्तियों का उलंघन** करते हैं।
- छोटे जल निकायों या आदिवासी जमीनों के हड़पने जैसे मामलों में अतिरिक्त वैधानिक सुरक्षा लागू करने और न्यायायिक उपचार (legal remedy) की शक्तियों को भी नए कृषि कानून नजरअंदाज करते हैं।
- कुछ विवाद एस.सी./एस.टी. पर "अत्याचार" के हो सकते हैं। इस तरह के मामलों का निपटारा अपराधिक न्यायालय की जगह एस.डी.एम. द्वारा करना बेतुका लगता है।

अनुचित व्यापार (unfair trading) के कारण स्थानीय हाट की अस्थिरता

- पारंपरिक ग्रामीण हाट एवं ग्रामीण बाज़ार असुरक्षित होंगे।
- निजी और एलोक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों के आक्रामक प्रचार में मंडियों और ग्रामीण हाटों का विघटन होगा।
- यह **अनुचित व्यापार** (unfair trade practices) को बढ़ायेगा जैसे व्यवसायी समूह एवं कुछ निजी कंपनियों के एकाधिकार (monopoly), बाज़ार मूल्य (market price) को अस्थिर करना।

खाद्य असुरक्षा के लिए कानून

आवश्यक वस्तु (संशोधन कानून) 2020

यह क्या कहता है:

- आवश्यक वस्तु कानून, 1955 को संशोधित किया गया है जिनमें अनाज, दाल, आलू, प्याज, तिलहन एवं तेल आदि शामिल हैं जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य चीजों सहित खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों - युद्ध, **अकाल,** असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसे **गंभीर परिस्थितियों** में ही विनियमित किया जायेगा।
- बागवानी उत्पाद के खुदरा मूल्य में **100 प्रतिशत** की वृद्धि तथा जल्द खराब होने कृषि उत्पादों का **50 प्रतिशत** की वृद्धि होने पर उन वस्तुओं के जमाखोरी पर **प्रतिबंध** किया जायेगा।
- प्रोसेसर/ मूल्य श्रंखला प्रतिभागियों (value chain processors) के लिए **संग्रहण की सीमा में छूट होगी** यदि भंडारण सीमा प्रसंस्करण की स्थापित क्षमता या निर्यातक द्वारा निर्यात की मांग से अधिक नहीं है।

इसका मतलब क्या है:

- भूमिहीन कामगार वर्ग तथा गरीब जनता **120 सालों** के अंग्रेजी - दौरान **31 अकालों** का सामना किया। ये संशोधन आवश्यक वास्तु कानून 1955 को पंगु बना देगा जिसे आजादी के बाद भारत में **मानव निर्मित अकालों को रोकने** के लिए लागू किया गया था।
- मूल्य श्रंखला प्रतिभागियों को दी गयी **जमाखोरी की छूट** के कारण उत्पन्न खाद्य सामग्रियों की कृत्रिम कमी से मूल्य में वृद्धि होगी।

खाद्य असुरक्षा एवं जन-वितरण प्रणाली (PDS) प्रणाली की तबाही

- **आवश्यक एवं प्रमुख खाद्य वस्तुओं** को अविनियमित (Deregulated) किया गया तथा **वाणिज्यिक रूप से उपयोग किया जा सकने वाली वस्तु में बदल दिया गया।**
- बाज़ार गतिविधियों जैसे -बिक्री, खरीद, मूल्य संवर्धन, भंडारण एवं निर्यात आदि के अविनियमीकरण से **जनवितरण प्रणाली** (PDS) कमजोर होगी और अंतत: समाप्त हो जायेगी।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013**, के द्वारा पहले ही (ए.पी.एल) परिवारों को (पी.डी.एस) के अधिकारों से बाहर किया जा चुका है भले ही वे कुपोषण के कगार पर खड़े हों खाद्य सुरक्षा का दायरा केवल (बी.पी.एल) परिवारों तक ही सीमित है।
- अन्य शर्तें जैसे- **आधार लिंकेज** (Aadhar Linkage) का अनिवार्य होना कई **(बी.पी.एल)** परिवारों को खाद्य सुरक्षा से बाहर कर देगा।
- कुछ क्षेत्रों में **(पी.डी.एस)** को सीधे **नकद हस्तांतरण** (Direct cash transfer) में बदलने का अभियान पहले से ही चल रहा है जिससे **पोषण सुरक्षा** (Nutritional security) का नकारात्मक प्रभाव पडेगा।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत भर में 42% आदिवासी बच्चे काम वजन वाले होते हैं, जबकि 77% आदिवासी बच्चे और 65% आदिवासी महिलाएँ (15-49) वर्ष तक अरक्तता (खून कि कमी) के शिकार हैं।
- आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम के मुद्रास्फीतीय परिणाम पहले से ही मौजूद अन्य नीतियों के साथ मिलकर गंभीर पोषण संकट का सामना कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित कामगार आदिवासियों के **भोजन के अधिकार** का **हनन** होगा।
- इन कानूनों के लागू होने से आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों के **सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार** का **हनन** होगा।

क्या ये कानून पैसा और वन अधिकार कानून के अंतर्गत प्रदान किये गए संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा?

ये कृषि कानून आदिवासियों और जंगलों में रहने वाले समुदायों के संविधान के **अनुच्छेद 14** व **15 (4)** (बराबरी का अधिकार तथा भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, **अनुच्छेद 19 (1) क** (अपनी पसंद का पेशा चुनने का अधिकार) तथा **अनुच्छेद 21** (सम्मान जनक जीवन जीने तथा आजीविका का अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त **मौलिक अधिकारों** का **हनन** करने वाले हैं। ये भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 244, पाँचवीं अनुसूची**) तथा **पेसा** तथा **वन अधिकार कानून** जैसे विशेष कानून प्रदत्त सुरक्षा के प्रावधानों का भी हनन करता है।

पेसा कानून का हनन

ग्राम सभा की शक्तियों को काम करना : ऐसे वातावरण में जहाँ बड़े कृषि / व्यवसाईयों (Agri–abusinss firm) तथा निगमों को अनुबंध आधारित खेती करने और कर्ज देने की अनुमति है। यह आदिवासी समुदायों की जमींन छीनने अथवा कर्ज के जाल में फंसने से बचाव के सन्दर्भ में कमजोर और असुरक्षित करता है।

- *गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे - जनवितरण प्रणाली पर ग्राम सभा का नियंत्रण समाप्त करना :* यहाँ तक कि आवश्यक व प्रमुख खाद्य वस्तुओं के भंडारण सीमा एवं बाज़ार के रुझानों के अनुरूप खाद्य पदार्थों के मूल्य में उतार -चढाव को वैधानिक नियंत्रण (Statutory Prohibition) से मुक्त कर दिया गया है। इसमें पाँचवी अनुसूची क्षेत्रों तथा अन्य आदिवासी क्षेत्रों में अभूतपूर्व खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होगी।

- *स्थानीय ग्रामीण बाजारों/ हाटों के प्रबंधन की ग्राम सभा की शक्तियों में कमीं :* कृषि और खाद्य प्रसंस्करण बाज़ार में निजी कंपनियों के प्रवेश से स्थानीय बाजारों तथा वहाँ के मूल्यों पर ग्रामसभा के नियंत्रण में कमीं होगी।

- *ग्राम सभाएँ विवाद निपटारे की अपनी पारंपरिक भूमिका से बाहर हो जाएँगे :* चूँकि कृषि कानूनों में एस डी एम द्वारा गठित सुलह समितियों द्वारा क्रषि अनुबंधों और प्रोसेस से सम्बंधित विवादों के निपटारे का प्रावधान किया गया है। परिणाम -स्वरूप समय के साथ-साथ पेसा के उद्देष्यों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की ग्राम सभाओं की केन्द्रीयता काम होगी और अंतत: समाप्त हो जाएगी।

वनाधिकार कानून का उलंघन

- *भूस्वामित्व (जल, जंगल, जमीन) के लिए खतरा:* कांट्रैक्ट आधारित खेती, बड़े कृषि-व्यवसायिकों द्वारा कर्ज देना तथा कृषि उपज का वाणिज्यीकरण को लागू करने से वनाधिकार कानून के तहत जंगलों में रहने वाले समुदायों की भूमि पर अधिकारों की सुरक्षा समाप्त हो जायेगी।

- *सामूहिक भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध:* नए कृषि कानूनों के अंतर्गत जब कांट्रैक्ट खेती तथा फसलों के वाणिज्यीकरण के तहत ज्यादा से ज्यादा जमीनों को खरीदा जाएगा, समुदायों का सामुदायिक वनभूमि पर निस्तार अधिकार तथा चराई का अधिकार जैसे अधिकार समाप्त हो जाएँगे।

- *पी.वी.जी.टी तथा उनके रहवास (Habitate) का अधिकार बाज़ार की शक्तियों के लिए आसान लक्ष्य है:* विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particulary Vulnereble trible group) अपने वनाधिकार खासकर रहवास का अधिकार (Habitate Rights) पर शक्तिशाली कृषि व्यवसाय संस्थाओं तथा बाज़ार के अदृश्य हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे।

- *सामूहिक वन संशाधनों (CFR) के संरक्षण में ग्राम सभाओं की भूमिका में कमी:* जंगल व उसके संशाधनों की सुरक्षा करने, पुनर्जीवित करने (Regenerate), प्रबंधन करने तथा संरक्षण करने के ग्राम सभाओं की शक्तियों को पहले ही सम्बंधित विभागों जैसे वन विभाग द्वारा काम किया जाता रहा है वह समाप्त हो जायेगा।

हमें क्या करना चाहिए?

2020 के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की माँग करना

- पाँचवी अनुसूची के पारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा अपने सम्बंधित राज्यों में 2020 तीनों कृषि कानूनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना
- पेसा को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग :
  - ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के द्वारा स्थानीय बाजारों/ हाटों तथा कृषि उपज के मूल्य पर नियंत्रण।
  - कृषि उपज व एमएफपी के लिए सरकारी खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के द्वारा।
  - जनवितरण प्रणाली (PDS) सशक्तिकरण के द्वारा।
  - वन भूमि पर किसी भी विकास कार्य के करने से पहले ग्राम सभाओं की मंजूरी की अनिवार्यता से सम्बंधित नीलगिरी जजमेंट को सख्ती से लागू करने के द्वारा
- भू हस्तांतरण की रोक थाम से सम्बंधित कानूनों तथा पेसा के तहत स्वीकृति के अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से भूसंपत्ति सुरक्षा की मांग करना।
- अगर ग्राम सभाओं को कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर कोई आपत्ति हो तो वह प्रस्ताव पारित कर एस.एल.एम.सी (SLMC) डी.एल.सी (DLC) जिला पदाधिकारी (District Collector) टी.ए – आई.टी.डी.ए (T A - ITDA) को अपनी शिकायत कर सकती है अगर एस.सी/एस.टी अत्याचार कानून का उलंघन हो तो ग्राम सभा फौजदारी न्यायालय में भी शिकायत कर सकती है।

किसान

तुम किसानों को सड़कों ओर ले आये हो, अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं,
अब जो आ ही गए हैं तो यह भी सुनों, झूठे वादों से ये टालने वाले नहीं हैं,
तुमसे पहले भी जाबिर कई आये थे, तुम से शातिर भी कई आये थे,
तुमसे पहले बी ताजिर कई आये थें, तुमसे पहले भी रहजन कई आये थे,
जिनकी कोशिश रही सारे खेतों का कुंदन, बिना दाम के अपने आकाओं के नाम गिरवीं रखें,
उनकी किस्मत में भी हार ही हार थी, और तुम्हारा मुकद्दर भी बस हार है,
तुम जो गद्दी पे बैठे खुदा बन गए, तुम ने सोचा आज तुम भगवान बन गए हो,
तुम को किसने दिया ये हक़, खून से सबकी किस्मत लिखो और लिखते रहो,
सर-ब-कफ, अपने हाथों में परचम लिए सारी तहजीब ऐ -इंसान का वारिस है जो आज सडकों पे है,
हाकिमों जान लो, तानाशाहो सुनो अपनी किस्मत लिखेगा वो सडकों पे अब,
काले कानून का जो कफान लाये हो, धज्जियाँ उसकी बिखरी हैं चारों तरफ,
इन्हीं टुकड़ों को रंग कर धनक रंग में, आने वाले जमाने का इतिहास भी शाहराहों पे ही अब लिखा जाएगा
तुम किसानों को सडकों पे ले आये हो, अब ये सैलाब है और सैलाब तिनकों से रुकते नहीं

------- गौहर रजा

"लड़ेंगे, जीतेंगे", लडे हैं, जीते हैं"

विश्व सामाजिक मंच (W.S.F) 2021
सामाजिक, शांति व पर्यावरण आंदोलनों की सभा से घोषणा

विश्व सामाजिक मंच (WSF), 2021 वस्तुतः 23 जनवरी और 30 जनवरी, 2021 के बीच आयोजित किया गया था।

विश्व सामाजिक मंच (WSF) नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक बैठक है, जो पहली बार ब्राजील में आयोजित की गई थी, जो प्रति-आधिपत्य वैश्वीकरण के चैंपियनिंग के माध्यम से एक वैकल्पिक भविष्य विकसित करने के लिए एक आत्म-सचेत प्रयास प्रदान करती है।

विश्व सामाजिक मंच को वैश्विक नागरिक समाज की एक दृश्य अभिव्यक्ति माना जा सकता है, जो गैर-सरकारी संगठनों, वकालत अभियानों और औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक आंदोलनों को एक साथ लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय एकजुटता की मांग करता है। विश्व सामाजिक मंच खुद को "एक खुली जगह - बहुवचन, विविध, गैर-सरकारी और गैर-पक्षपातपूर्ण" के रूप में परिभाषित करना पसंद करता है - जो विकेन्द्रीकृत बहस, प्रतिबिंब, प्रस्तावों के निर्माण, अनुभवों के आदान-प्रदान और आंदोलनों और संगठनों के बीच ठोस कार्यों में लगे संगठनों को उत्तेजित करता है। एक अधिक एकजुटता, लोकतांत्रिक और निष्पक्ष दुनिया .... नव उदारवाद के विकल्प के निर्माण के लिए स्थायी स्थान और प्रक्रियाओं के साथ।"

विश्व सामाजिक मंच का आयोजन परिवर्तन-वैश्वीकरण आंदोलन (जिसे वैश्विक न्याय आंदोलन भी कहा जाता है) के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो वैश्विक अभियानों का समन्वय करने, आयोजन रणनीतियों को साझा करने और परिष्कृत करने के लिए एक साथ आते हैं, और एक दूसरे को दुनिया भर के आंदोलनों और उनके विशेष मुद्दों के बारे में सूचित करते हैं।

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Social_Forum

जैसा कि आप जाने हैं कि हम एक नया दशक शुरू कर रहे हैं, जिसमें वैश्विक कोविड -19 महामारी जीवन का दावा कर रही है, और विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर रही है। वायरस के प्रभाव और बिगड़ती जलवायु आपात स्थिति हर जगह सामाजिक असमानताओं को बढ़ा रही है। दोनों संकटों से लड़ना मानव जाति के अस्तित्व, हमारे जीवन और हमारी आजीविका, शालीनता और मानवता के लिए लड़ाई है। दोनों संकटों से निपटने के लिए यह वर्ष बेहद महत्वपूर्ण है।

अतीत में लोकप्रिय आंदोलनों ने व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता को सामने रखा है; उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया है, विशेषकर हाशिए पर पड़े बहुसंख्यकों के जीवन में। उदाहरण के लिए, श्रम, महिला, सामाजिक न्याय, गुलामी-विरोधी और जातिवाद-विरोधी, मुक्ति, शांति, युवा, पर्यावरण, पारिस्थितिक, किसान और स्वदेशी आंदोलनों ने कई बार अपने संघर्षों से ऐतिहासिक परिवर्तन हासिल किए हैं।

आज हमें एक मजबूत आंदोलन बनाने के लिए अपनी ताकतों में शामिल होने की जरूरत है क्योंकि मानव और प्रकृति, पूँजीवाद, पितृसत्ता, जातिवाद और उपनिवेशवाद के बीच हानिकारक संबंधों के कारण पुरानी समस्याओं के शीर्ष पर हम और भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आज के गहरे और बहुआयामी संकटों में धन और शक्ति का

अत्यधिक संकेंद्रण, काम और आजीविका की अनिश्चितता, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता, कोविड महामारी के लिए सत्तावादी और कई बार सैन्य प्रतिक्रिया और पुरानी और नई सूचना प्रौद्योगिकियों द्वारा हेरफेर की विशेषता है।

जमीनी स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक कार्रवाई के विभिन्न क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तरों को स्पष्ट करके ही समाधान ढूंढा जा सकता है और कार्यान्वित किया जा सकता है। लोगों और उनके संगठनों द्वारा समर्थित परिवर्तन नीचे से आना चाहिए। इस संदर्भ में हमें यह महसूस करना होगा कि विशेषज्ञता के हमारे सभी विभिन्न विषयगत क्षेत्र परस्पर जुड़े हुए हैं: पर्यावरण की सुरक्षा के बिना शांति प्राप्त नहीं की जा सकती और सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक संबंधों को बहाल नहीं किया जा सकता है; सामाजिक काल्पनिक में आमूलचूल परिवर्तन के बिना पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया जा सकता है और सामाजिक न्याय और हमारी मौद्रिक प्रणाली के परिवर्तन के बिना शांति प्राप्त नहीं की जा सकती है। अन्यथा एकतरफा सत्ता और लाभ का मकसद सभी के हितों को नुकसान पहुंचाएगा।

यही कारण है कि हम सामाजिक, पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक संक्रमण के लिए अंतर-समानता के साथ एक व्यापक-आधारित आंदोलन के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो पृथ्वी के अधिकारों, प्रकृति और सामुदायिक भागीदारी लोकतंत्र को मूल मूल्यों के रूप में पहचानते हैं। विभिन्न पहलों को एक साथ जोड़कर हम आम लोगों और रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं को दूर करना चाहते हैं ताकि मानव जाति को युद्धों, भूख और पारिस्थितिक आपदाओं से तबाही का सामना करने से रोका जा सके।

ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों में स्थानीय पहल जो स्थानीय आबादी को भूमि, आवास और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाती हैं, महत्वपूर्ण हैं। यह एक जीवित जीवन एक अच्छे जीवन को सक्षम बनाने के लिए पहुँच आसान बनाती है। इस तरह की पहल खाद्य संप्रभुता और कृषि विज्ञान, संकट के दोनों समय में एक दूसरे की मदद करने के लिए और ग्रामीण इलाकों और कस्बों दोनों में बेहतर भविष्य में और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सहयोग के लोकतांत्रिक आर्थिक रूपों का निर्माण करने के लिए हैं।

इसे प्राप्त करने के लिए, विश्व सामाजिक मंच 2021 में भाग लेने वाले आंदोलनों ने आने वाले भविष्य के लिए, सामान्य कार्यों का एक वैश्विक एजेंडा स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो अप्रैल के अंत में और मई के पहले सप्ताह में सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण की मांग के साथ शुरू होगा। सामाजिक न्याय और एक पारिस्थितिक संक्रमण के लिए: निम्नलिखित मांगों पर प्रकाश डालते हुए:

1. सभी सैन्य संघर्षों में एक सार्वभौमिक संघर्ष विराम, सभी सैन्य खर्चों में आमूल-चूल कमी, एक सामान्य परमाणु निरस्त्रीकरण और प्रति व्यक्ति बड़ी ऊर्जा खपत में आमूल-चूल कमी।
2. कोविड-19 टीकों और दवाओं के साथ-साथ सभी के लिए समान, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक मुफ्त पहुँच के माध्यम से हर जगह जीवन की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट पेटेंट अधिकारों के खिलाफ लड़ें जो हमें एक प्रकार के स्वास्थ्य रंगभेद की ओर ले जाते हैं। महामारी के लिए समुदाय आधारित समाधानों को बढ़ावा देना। नए वायरस और भविष्य की महामारियों को उभरने से रोकने के लिए वन्यजीवों का संरक्षण करना अनिवार्य किया जाए।
3. तपस्या समाप्त, विशेष रूप से सिकुड़ती सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और वैश्विक दक्षिण के साथ-साथ वैश्विक उत्तर में, निजी और सार्वजनिक, नाजायज ऋणों को समाप्त करें!
4. कॉमन्स, पानी, जानवरों, पौधों, भोजन, पानी की मेज, जंगल, नदियों, झीलों, समुद्र तटों, खनिजों के साथ-साथ काम करने की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रकृति के वस्तुकरण को रोकें!
5. अर्थव्यवस्था को व्यक्तियों की वैध जरूरतों के इस्तेमाल किया जाना चाहिए न कि लाभ के लिए। इसलिए: मुक्त व्यापार समझौतों पर अन्याय नहीं होना चाहिए। तथाकथित "मुक्त व्यापार" बिक्री-बहिष्कार और निवेश व्यवस्थाओं के बजाय परिवर्तनकारी अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष व्यापार और पारस्परिक रूप से लाभकारी अंतरराष्ट्रीय समझौतों को बढ़ावा देना जो निवेशकों और समृद्ध देशों को लाभान्वित करते हैं।
6. राष्ट्रवादी पहचान के डर को भड़काने और नस्लवादी या धार्मिक घृणास्पद भाषणों और ज़ेनोफोबिया के प्रसार के लिए नहीं, और दुश्मन की छवियों को बलि का बकरा बनाने के खिलाफ जिसने एक नए शीत युद्ध के परिदृश्य को जन्म दिया है! सैन्य कार्रवाइयों के लिए आर्थिक उपकरण के रूप में प्रतिबंधों को नहीं।
7. राज्यों और सामाजिक आंदोलनों के निजी नागरिक सेना और क्षेत्र, प्रकृति और मानवाधिकारों के रक्षकों द्वारा दमन को रोकें, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करें। पर्यावरण और अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्याओं की निंदा और न्याय की मांग करें।
8. पारिस्थितिक लोकतंत्र और समुदाय में भागीदारी को बढ़ावा देना और व्यापक सशक्तिकरण सहित सभी लोगों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार देना, जैसे विशेष रूप से स्वदेशी समुदायों, महिलाओं और सभी उत्पीड़ित लोगों की संप्रभुता और कृषि विज्ञान पर आधारित भोजन विकसित करना!

9. दुनिया भर में अभयारण्य/पुण्य स्थान शहर बनाकर प्रवासियों पर विशेष ध्यान और समर्थन दें और उनके गतिशीलता के अधिकार की रक्षा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर विशेष आयोग बनाएँ।
10. बौद्धिक संपदा और पेटेंट व्यवस्था के उन्मूलन सहित विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान, कला, विज्ञान और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल में सांस्कृतिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए रिक्त स्थान का लोकतंत्रीकरण करें।
11. छोटे किसानों, शिल्पकारों और औद्योगिक श्रमिकों के जीवन को सम्मानजनक बनाकर, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध स्थापित करके एक सामाजिक और पारिस्थितिक संक्रमण का निर्माण करें और लोकतांत्रिक शासन के तहत स्थायी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास और दोहन करें।
12. हम सभी लोगों के संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करते हैं, विशेष रूप से सहारावी लोगों और फिलिस्तीन के लोगों के लिए।
13. हमें तत्काल एक अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला कानून की आवश्यकता है जो बहुराष्ट्रीय निगमों को श्रम कानून, सामाजिक और पारिस्थितिक मानकों को लागू करने के लिए बाध्य करता है।
14. पश्चिम और पूर्व, उत्तर और दक्षिण में हर जगह दमन का सामना कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ पूर्ण एकजुटता!

विशेष रूप से हम विश्व सामाजिक मंच 2021 में होने वाले सभी आंदोलनों में भाग लेने वालों और अन्य सभी को 17 अप्रैल से 1 मई तक शांति, सामाजिक और पारिस्थितिक न्याय और संक्रमण के लिए एक कार्रवाई अवधि बनाने का सुझाव देना चाहते हैं।

- 17 अप्रैल - अंतर्राष्ट्रीय किसान संघर्ष दिवस,
- 22 अप्रैल - अंतर्राष्ट्रीय धरती माता दिवस,
- 26 अप्रैल – अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल दिवस,
- 30 अप्रैल - सैन्य खर्च पर कार्रवाई के वैश्विक दिवस (GDAMS) जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य-विरोधी विरोध शामिल हैं,
- 1 मई - अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस: सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सम्मानजनक कार्य के लिए,

दावोस फोरम (गोष्ठी) का विरोध करने की परंपरा में, हम सिंगापुर में 25-28 मई को आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नव-उदारवादी एजेंडे का मुकाबला करने के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के लिए सार्वभौमिक लामबंदी के लिए 15 मई को कार्रवाई का दिन कहते हैं। हम यह भी सुझाव देते हैं कि हम ऐसे अवसरों पर और भी प्रयास करना जारी रखें:

- 8 मार्च महिलाओं के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
- 7 अप्रैल - विश्व स्वास्थ्य दिवस
- 5 जून - विश्व पर्यावरण दिवस,
- 6 अगस्त - हिरोशिमा दिवस,
- 28 सितंबर - अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस,
- 2 अक्टूबर - अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी का जन्मदिन,
- 7 अक्टूबर - विश्व सभ्य कार्य दिवस,
- 16 अक्टूबर - संयुक्त राष्ट्र खाद्य दिवस,
- 20 नवंबर - ब्राजील में राष्ट्रीय अश्वेत जागरूकता दिवस
- 29 नवंबर - फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।

कार्रवाई के दिनों और हफ्तों के अलावा, हम इस घोषणा में व्यक्त सामान्य कारणों का अनुसरण करने वाले संगठनों और नेटवर्क को एक साथ लाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। हम आम कार्रवाई के लिए वैश्विक एजेंडा का समर्थन करने के लिए लोकप्रिय शैक्षिक सहयोग के निरंतर समन्वय का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। हम स्थानीय पड़ोस से लेकर वैश्विक नेटवर्क तक सभी स्तरों पर अभिसरण करने के लिए पुरानी और नई पहलों का भी स्वागत करते हैं। हम विविधता में एकजुट होने और हमारे समय की मांग की ऐतिहासिक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

विश्व सामाजिक मंच 2021 सामाजिक, शांति और पर्यावरण आंदोलनों के लिए सभा के अधोहस्ताक्षरी संगठनों और प्रतिभागियों द्वारा अपनाया गया।

30 जनवरी 2021

नीचे सूचीबद्ध संगठनों और व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित

संस्थाएँ

- 06600 प्लैटाफॉर्मा वेसीनल और ऑब्जर्वेटोरियो डी ला कोलोनिया जुआरेज, मेक्सिको
- शांति के लिए कार्यकर्ता, स्वीडन
- AFAPREDESA - पश्चिम- सहारा में सहरावी कैदियों और गायब परिवारों के संघ,
- अल्फाक्यूबेक प्रोजेटोस सोसाइटी - ग्रुपो सिस्टेमास कॉम्प्लेक्सोस और इंटेलिगेंसिया कोलेटिवा, क्यूबेक, कनाडा
- श्रम और एकजुटता का गठबंधन (पूर्व चेक सोशल फोरम), चेक गणराज्य
- एसोसिएशन डेस फ़ैमिल्स डेस प्रिज़नियर्स एट डिसपेरस सहरौइस-AFAPREDESA, सहारा ऑक्सिडेंटल/वेस्टर्न सहारा
- एटीटीएसी हंगरी एसोसिएशन, हंगरी
- सहारावी लोगों के साथ एकजुटता के लिए मध्य और पूर्वी यूरोपीय गठबंधन, बुडापेस्ट, जुब्लज़ाना,मॉस्को
- शांति की संस्कृति, जर्मनी
- इंटरसिंडिकल, संघ स्पेन
- नैशनल डी कोपरेटिवास पैरा ला इमेन्सिपेसिओन, संघ मेक्सिको
- सेंट्रो डी एस्टुडिओस एस्ट्रेटेजिकोस नैशनलस, मेक्सिको
- डायनेमिक सोसियल सहरौई - सहारा ऑक्सिडेंटल/ पश्चिमी सहारा
- ECOMUNIDADES, रेड इकोलॉजिस्टा ऑटोनोमा डे ला कुएनका डी मेक्सिको
- Fundación लैटिनोअमेरिकाना डे अपोयो अल सेबर वाई ए ला इकोनोमिया पॉपुलर, मेक्सिको
- फ्रेंटे एम्प्लियो सिंडिकल यूनिटेरियो फासू, मेक्सिको
- इंस्टिट्यूट सिडैड्स सस्टेनटेविस, ब्राज़ील
- इंटरसिंडिकल वालेंसियाना, स्पेन
- प्राग स्प्रिंग 2 - दक्षिणपंथी उग्रवाद और लोकलुभावनवाद के खिलाफ नेटवर्क, यूरोप
- रेड यूनिवर्सिडैड और कॉम्प्रोमिसो सोशल डे सेविला, स्पेन
- सिंडीकाटो डे टेलीफ़ोनिस्टस डे ला रिपब्लिका मेक्सिकाना, मेक्सिको
- UJSARIO - सहारावी युवा संघ, पश्चिम सहारा
- UNEGRO - ब्राजील की समानता के लिए ब्लैक यूनियन, ब्राजील
- वसुधैव कुटुम्बकम नेटवर्क - व्यापक लोकतंत्र मंच, फिनलैंड-भारत-नेपाल-स्वीडन

केवल व्यक्ति की पहचान के उद्देश्यों के लिए संगठन

- अलेक्जेंड्रे ब्रागा, ब्राजील - यूनेग्रो ब्रासीला
- अज़रिल बकल रोइज, स्वीडन एमिगोस डे ला टिएरा-उप्साला, आईपीबी, इरिपाज़
- बछिर मौटिक, सहारा ऑक्सिडेंटलम – AFAPREDESA
- सेसिलिया कैसिन - रेड ह्यूमनिस्टा पोर ला रेंटा बेसिक यूनिवर्सल
- कार्लोस टिबुर्सियो, ब्राजील - आईपीएस इंटर प्रेस सर्विस / सीआई-एफएसएम
- अब वैश्विक न्याय डोरोथी ग्युरेरो, ग्रेट ब्रिटेन
- फैबियाना सांचेस-अर्बल, ब्रासील, सिफरास - सर्विसिओस फ्रांसिस्को डी सॉलिडेरिडाड

- गिजेल एल राहेब, फ्रांस - मौवेमेंट डी ला पैक्सो
- जर्मन नीनो - कॉरपोरेशन सियास - लैटिनाडड – फॉस्पा
- हेनिंग ज़ीरॉक, जर्मनी/अंतर्राष्ट्रीय - शांति की संस्कृति
- ह्यूगो मोयानो - रेड ह्यूमनिस्टा के लिए रेंटा बेसिका यूनिवर्सल
- जेनिफर लिंगरफेल्ट डी अराउजो कार्नेइरो, ब्राजील - एको लोकप्रिय समाजवादी
- लियो लेगुइज़ामोन, अर्जेंटीना - आरएचआरबीयू - रेड ह्यूमनिस्टा पोर ला रेंटा बेसिक यूनिवर्सल
- मार्को उलविला, फ़िनलैंड - फ़िनिश सोशल फोरम
- मार्टा बेनावाइड्स, अल सल्वाडोर - सिग्लो 23
- मत्यास बेनिक, हंगरी - वामपंथियों के लिए आयोजकों के सदस्य (SZAB)
- मिगुएल वालेंसिया, मेक्सिको - ECOMUNIDADES, रेड इकोलॉजिस्टा ऑटोनोमा डे ला कुएनका डे मेक्सिको
- मिगुएल अल्वारेज़, मेक्सिको – सेरापाज़
- मिरेक प्रोक, चेक गणराज्य - संयुक्त सांस्कृतिक कार्रवाई के लिए
- मिरोस्लाव प्रोकेस, चेक गणराज्य - बच्चों के लिए रक्षा अंतर्राष्ट्रीय (डीसीआई)
- मोनिका रोमेरो, कोलम्बिया - रेड ट्रांसफ्रंटरिज़ा डे आर्टे, शिक्षा और ऑटोगेस्टियन
- पीटर फ़ार्कस, हंगरी- कार्ल मार्क्स सोसाइटी
- डॉ. रितु प्रिया, भारत - स्वास्थ्य स्वराज
- रहमा हसन. यूएसए - फिर कभी नहीं
- सोलेदाद रोजस रुइज़, चिली - सियाल चिली, जीएएफए, ओएनजीई, कैलेटा सूर
- टॉर्ड ब्योर्क, स्वीडन - फ्रेंड के लिए कार्यकर्ता
- डॉ. उमा शंकरी नरेन, भारत - स्वदेशी ट्रस्ट
- विजय प्रताप, भारत - समाजवादी समागम
- विले-वीको हिरवेला, फ़िनलैंड - न्यू विंड एसोसिएशन
- विवेक बाबू गिरिजा, भारत- एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और भाषाई समानता मंच को बढ़ावा देना
- ज़ेनो बर्नहार्ड, फ़्रांस – अटाका

घोषणा करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त दस्तावेज

- घोषणा के लिए प्राप्त इनपुट
- WSF असेंबली ऑफ सोशल के लिए मध्य पूर्वी यूरोपीय घोषणा
- WSF 2021 में फ़ोरम पॉपुलर डी नेचरज़ा का योगदान जलवायु, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अक्ष (चार भाषाएँ)
- विले-वीको हिरवेला: विश्व सामाजिक मंच के लिए एक प्रस्ताव
- मई 2021 में विश्व आर्थिक मंच के समानांतर एक असाधारण लामबंदी की ओर

विश्व सामाजिक मंच 2021 के लिए यूरोपीय/प्राग स्प्रिंग दिसंबर 5 - 6 मोबिलाइजिंग मीटिंग का वक्तव्य

इसके पैमाने, प्रसार की गति और समग्र जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए उनके संभावित परिणामों के कारण, COVID-19 की वर्तमान महामारी बिना मिसाल के स्वास्थ्य पर एक संकट है। यह पहले एक महामारी से एकजुट आर्थिक दुनियान पर संकट का भी प्रतिनिधित्व करता है,

महामारी में निहित गतिशील विघटन में राजनीतिक बहुपक्षीय क्षेत्र में संकटों की मिसालें जोड़ी जाती हैं, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन की कमजोरियों को समग्र रूप से समतल करने के लिए,या क्षेत्रीय स्तर पर यूरोपीय संघ में यूनासुर शासन में संकट या विघटन हो सकता है। इन तथ्यों का योग वैश्वीकरण नवउदारवादी की भेद्यता और समग्र रूप से एक शासन की कमी के बारे में और भी अधिक स्पष्टता लाता है।

इस परिदृश्य ने हमारे लोगों की वास्तविकता को सामाजिक रूप से छीन लिया है, प्रकाश में लाए जाने वाले विशाल क्षेत्रों को अदृश्य रूप से सबसे कमजोर लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तंत्र द्वारा कवर नहीं किया जा रहा है, उन्हें और अधिक दृश्यमान बना दिया गया है इसा पर उन्हें और ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑर्गनाइजेशन इंटरनेशनल ऑफ लेबर ऑफिस (ILO) के अनुसार, काम के घंटों की कुल संख्या COVID-19 के कारण हुए संकट से पहले की तुलना में 10.5% कम होगी, जो कि समयबद्ध रूप से औपचारिक रूप से 305 मिलियन नौकरियों के बराबर है।

जैसे कि यह पूँजीवाद के वर्तमान चरण की विशेषता है, यह संकट महिलाओं के साथ-साथ अल्पसंख्यकों और समूहों के लिए सबसे नाटकीय तरीके से प्रभावित करता है, जो स्वदेशी प्रवासियों को समलैंगिकों को बुजुर्गों के लिए काले युवाओं को हाशिए पर रखता है।

हम दशकों के अति-उदारवादी अर्थशास्त्र के वैश्विक आधिपत्य से आते हैं, जो एक व्यक्तिवादी, जनता-विरोधी, राज्य-विरोधी और संघ-विरोधी आख्यान (कथा) का प्रचार करता है। महामारी ने एक ऐसे राष्ट्रवाद के उदय को भी दिखाया जो सामूहिक रूप से इस वायरस का सामना करने के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग की कार्रवाई का विरोध करता है। Thatcher Reagan की सरकारों और लैटिन अमेरिका में विभिन्न तानाशाही सरकारों द्वारा शुरू किए गए युग, और बाद में वाशिंगटन की आम सहमति से प्रबलित ने अपने कई परिसरों को वर्तमान में बनाए रखा है और "क्रांति" से उदारवाद के लिए नव-रूढ़िवादी "प्रगतिशील" को उत्परिवर्तित किया है। "इतना त्वरण पैदा करना, धन और असमानता की एकाग्रता के इतिहास में कभी नहीं देखा गया।

अर्थव्यवस्था की हानि के लिए वित्तीय सट्टे के रियल विस्तार ने एक संकट को आर्थिक प्रणाली की दुनिया को मापने के लिए उकसाया है, जिससे लाखों नौकरियों का नुकसान हुआ। COVID-19 द्वारा उत्पन्न संकट इन आर्थिक नीतियों की दिशा में एक परिवर्तन करने के लिए एक नए अवसर का प्रतिनिधित्व करता है जिसने उनकी विफलता साबित कर दी है।

बड़ी संख्या में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की हमारी स्थिति और इतने परिमाण के एक चरण के लिए हमारी जिम्मेदारी के बारे में, हमने अपने प्रतिबिंब के प्रयासों को इकट्ठा करने का फैसला किया जिन्होंने साथियों, सहयोगियों, संगठनों और बहनों के साथ हमारी चिंताओं को हमारे प्रस्तावों और कार्रवाई के लिए हमारे सुझावों को साझा किया। यह इस प्रकार है कि एफएसएम में उत्पन्न होने वाली भावना को वापस लेते हुए, हम अगले फोरम इकोनॉमिक वर्ल्ड के समानांतर और विकल्प के लिए एक मोबिलाइजेशन का प्रस्ताव करते हैं जो मई के अगले महीने सिंगापुर में होगा।

हम आवश्यकता का दावा करते हैं :

श्रमिकों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आपातकाल की प्रतिक्रियाएँ और एक सभ्य काम सुनिश्चित करना।

- एक सतत विकास और एक संक्रमण मेला
- सार्वजनिक निवेश राज्य के लिए एक मॉडल के साथ -साथ लोगों की रक्षा करता है
- प्रवासियों की सुरक्षा
- न्याय कर
- संघ के कर्ज को रद्द करना और फिर से बातचीत करना

- अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक बदलाव और एक नए समझौते के बाद बहुसंस्कृतिवाद के वैश्विक शासन की एक पुनर्परिभाषा
- राज्यों द्वारा अपनायी गयी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति, जो केंद्र में लोगों के लिए एक सतत विकास को टिकाऊ बनाने की अनुमति देती है
- लोगों के खिलाफ प्रतिबंध हटाना
- समझौते की रूपरेखा वैश्विक कुशल और ILO (इंटरनेशनल ऑफ लेबर ऑफिस) के मानकों पर संगठन संघ के अधिकारों पर और आपूर्ति की श्रृंखला में मानव अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से सौदेबाजी पर आधारित है।
- लोगों की देखभाल के रूप में अक्सर भुगतान नहीं किए जाने या खराब भुगतान के लिए आवश्यक कार्य की मान्यता
- डिजिटलीकरण से संबंधित रोज़गार के सभी नए रूपों और श्रमिकों के अधिकारों की गारंटी
- सुरक्षा के नेटवर्क और सार्वभौमिक न्यूनतम आय की गारंटी
- मानवाधिकारों की गारंटी और शांति के परिदृश्य

इस बात की पुष्टि करने के लिए कि हम अपने जीवन अपने समाज और ग्रह के वर्तमान और उसके भविष्य को दुनिया के बड़े शक्तिशाली लोगों को सौंपने के लिए तैयार नहीं हैं।

https://join.wsf2021.net/initiatives/9140

RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

राजीव गांधी समकालीन अध्ययन संस्थान्

जवाहर भवन,
डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड,
नयी दिल्ली 110 001 भारत

सम्पर्क सूत्र : 011 -23755117, 23755118, 23755128

कृपया हमें यहाँ देखें : Web: www.rgics.org

www.facebook.com/rgics/

https://www.youtube.com/user/rgicsindia